Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का अष्टम दिवस [संख्या ७

शुक्रवार, ३१ अक्टूबर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जिला उदयपुर की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता

२६१. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state :

What are the amounts of grants, loans subsidies etc. given by State Government to the Educational and Cultural Institutions in Udaipur district during the last 3 years ?

Comparative figure of such amount given to similar institutions in other districts may also be given.

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर पूरी सूचना हमें मिल नहीं सकी है इसलिए उत्तर अगली टर्न पर दिया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : कब दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : Next Week.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगले टर्न पर।

फायर आर्म्स के लाइसैन्स

२६२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला बीकानेर में सन् १९५७ से आज तक किन किन व्यक्तियों ने फायर आर्म्स लाइसैन्स प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र दिये और उनमें से अब तक कितने आवेदकों को पुलिस रिपोर्ट के अभाव में लाइसैन्स नहीं दिये जा सके ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि चालचलन तस्दीक सम्बन्धी पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने में आवेदकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के प्रमाण-पत्रों को मान्यता देना उचित नहीं समझती ?

(३) इस सम्बन्ध में जिलाधीश, गंगानगर के क्या आदेश हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जिला बीकानेर में सन् १९५७ से अब तक ६०४ आवेदन-पत्र फायर आर्म्स के लाइसैन्स प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गये हैं, उनमें से २१३ आवेदन-पत्रों में पुलिस की रिपोर्ट आनी शेष है।

(२) लाइसैन्स देने के अधिकारी केवल जिलाधीश व सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट ही हैं जो आवश्यक जानकारी स्थानीय पुलिस तथा तहसीलदार द्वारा करते हैं। इस सम्बन्ध में समस्त भारतवर्ष में इसी प्रकार की प्रणाली प्रचलित है। यह आवश्यक नहीं है कि जो भी लाइसैन्स के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें उन्हें लाइसैन्स दे ही दिये जायं। आवेदन-पत्रों पर स्थानीय तहसीलदार एवं पुलिस में भी पूछताछ करनी पड़ती है तथा कुछ मामलों में गुप्तचर विभाग से भी पूछना पड़ता है। इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासन संस्थाएं ठीक प्रकार से पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभा नहीं सकेंगी।

(३) इस सम्बन्ध में जिलाधीश गंगानगर द्वारा कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री भीमसेन : ११३ केसेज़ में जिनमें रिपोर्ट नहीं आई है वे कब से पेंडिंग हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट नहीं है। वे ५७ के पहले हैं।

श्री भीमसेन : क्या सरकार को मालूम है कि पुलिस की रिपोर्ट इतनी देरी से होने में पब्लिक को परेशानी होती है, तो क्या सरकार टाइम लिमिट फिक्स कर सकती है कि पुलिस की रिपोर्ट १, २ महीने में नहीं आती है तो लाइसैन्स इश्यू कर दिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायगा।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या फौजी पेन्शनरों को जब्त शुदा हथियारों के बदले में लाइसैन्स दिये जायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुना नहीं है।

श्री मोहरसिंह : फौजी पेन्शनर्स हैं उनके हथियार प्रोहिबिटेड कहलाते हैं, वे जब्त कर लिए हैं तो उनके बदले में लाइसेन्स नहीं दिया गया है, यह सही बात है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : नोटिस चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सरकार यह नहीं समझती कि इन ११३ केसेज़ में अनावश्यक देरी हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ये अलग अलग साल के केसेज़ हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिन केसेज़ में जांच के बाद अनावश्यक देरी होना पाया जायगा तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ताल्लुक रखता है, पुलिस में देरी का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस के पास अनावश्यक देरी हुई है, यह बात साबित होने पर क्या सरकार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने का विचार करती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डिविज्युअल केसेज़ नोटिस में लाये जाने पर मामले की जांच करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार विचार नहीं करती है कि सन् ५७ से जो केसेज़ पेन्डिग हैं फिर भी देरी नहीं हुई है, जाँच की आवश्यकता नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास ; जो ११३ केसेज़ बताये गये हैं वे सन् ५७ के बाद के हैं, उनमें सन् ५८ के भी है। आयन्दा कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी निपटाये जायं।

श्री भैरोंसिंह : जो केसेज़ सन् ५७ से पेन्डिग हैं और उनमें अनावश्यक देरी हुई है, उनकी जाँच करके कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने इस बारे में पहले ही निवेदन कर दिया है।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही है कि जिनके हथियार जब्त किये गये उनको कीमत कम दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

जयपुर गवर्नमेंट मोटर गैरेज का फैक्ट्रीज़ एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन

२६३. **श्री पी० के० चौधरी :** Will the Transport Minister be pleased to state ;—

(a) Is the Government Moter Garage at Jaipur a factory within the definition of the Factories Act ?

(b) Is so, has it been registered under the Factories Act ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(a) Yes.

(b) The matter is under consideration of the Government.

श्री पी० के० चौधरी : Why it has not been registered uptil now when the Government insists upon the private Agencies for registration? Why does it insist upon others when the Government is not doing ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ रजिस्ट्रेशन फी के पेमेन्ट का झगड़ा है, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से मित्कियत है। यह मामला लेबर डिपार्टमेन्ट को रेफर किया गया है, वहां से आने के बाद निर्णय लेंगे।

श्री पी० के० चौधरी : पेमेन्ट का लेबर से सम्बन्ध नहीं है, रजिस्ट्रेशन का सवाल है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मामला विचाराधीन है।

भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के बाढ़पीड़ित गांव

२६४. **श्री श्रीभानसिंह (बयाना) :** Will the Minister for Irrigation please state :

Will the Government charge irrigation rates and betterment levy from the flood affected villages and areas of Rupbas, Bayana and Bharatpur tehsils of Bharatpur district ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : Irrigation charges will be levied only on lands innundated within the commands of irrigation works. No betterment charges are levied on old works.

श्री श्रीभानसिंह: Will the innundation charges be levied on those areas which have been innundated by flood water ?

श्री रामकिशोर व्यास: इर्रिगेशन वर्क्स के कमान्डेड एरिया में जो आते हैं उनसे चार्ज करते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Those areas were innundated due to the breaches while the people did not want.

श्री रामकिशोर व्यास : जो जाते में आते हैं उन सब से चार्ज करते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : The area is not commanded by works but the area has been innundated by the breach.

श्री रामकिशोर व्यास : लॉ में मौजूद है, उसके माफिक कार्यवाही करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, सीधा सा सवाल है कि जो बांध टूटे हैं, गवर्नमेन्ट इनन्डेट नहीं करती है, लेकिन बांध टूटने से फ्लड इनन्डेट करता है, उन गांवों से लेवी ली जाती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास: क्योंकि भरतपुर में सिस्टम ही ऐसा है, इसलिये लेते हैं। इनन्डेशन फ्लड से ही होता है।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब क्या यह है कि जो युजुअल पेमेन्ट्स हैं वे नहीं लिये जायं ?

श्री श्रीभानसिंह : जी हां।

श्री रामकिशोर व्यास : जो कमान्डिग एरिया में है उन्हीं से लेते हैं।

टौंक डिस्ट्रिक्ट की स्कूलों को मल्टीपर्पज व हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में परिणत करना

२६५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टौंक डिस्ट्रिक्ट में कितने हाई स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स हैं ?

(२) टौंक डिस्ट्रिक्ट में इस साल किन किन हाई स्कूलों को मल्टीपर्पज़ और हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में परिणत किया जावेगा ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) टौंक जिले में ५ हाई स्कूल्स व ३२ मिडिल स्कूल्स हैं।

(२) इस वर्ष टौंक जिले में कोई हाई स्कूल मल्टीपर्पज़ हायर सेकेन्ड्री स्कूल में परिणत नहीं किया गया। लावा मिडिल स्कूल को इस साल हायर सेकेन्ड्री स्कूल बनाया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह किन आधारों पर बनाया गया है ?

श्रीपूनमचन्द बिश्नोई : आधार यह है कि वहां पर काफी लड़के हों, मिडिल स्कूल्स हों, आसपास मिडिल स्कूल्स जहाँ लड़के ज्यादा हों तो हाई स्कूल बना देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सच है कि दूनी में काफी संख्या में लड़के होने के कारण डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी ने उसको प्राथमिकता दी थी ? यदि हां, तो उसको क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : गवर्नमेन्ट के सामने बहुत से प्रपोजल्स होते हैं, उनमें से कुछ पर फैसला करना पड़ता है। सभी आधारों को देखकर जो ठीक समझा गया, वही किया गया।

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government

Page No.5

(श्री श्रीमानसिंह)

consider the proposal of the Disrtict Development Committee.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, it did.

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी में इतने सदस्यों की राय से जो फैसला हुआ वह कुछ नहीं और आपकी मर्जी से जो चाहा वह किया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मर्जी से कुछ नहीं होता, सब की राय ली जाती है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने अभी फर्माया था कि मर्जी से कर लेते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिस्क्रिशन को काम में लेना होता है, लेकिन उसके लिये भी सैटल्ड प्रिन्सिपल्स हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी में आपका इन्सपेक्टर रिप्रज़ेन्टेशन नहीं करता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : करता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आपके इन्सपेक्टर की राय नहीं थी कि दूनी को हायर सेकन्ड्री स्कूल बनाया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अकेले इन्सपेक्टर की राय से ही फैसला नहीं किया जाता है, कितनी ही दूसरी बातों को देख कर फैसला किया जाता है ।

श्री श्रीमानसिंह : गवर्नमेन्ट लेवल पर क्वेश्चन क्या था ? What were the reasons for by-passing the proposals of the District Development Committee and upholding......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It depends upon the availability of the funds. There are 26 districts and 26 District Development Committees. May be that each of them may recommend 2 or 3 and in some cases we have to reject the proposals.

श्री श्रीमानसिंह : But in the present, there was one case recommended and it was that of Duni.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : But after all the Government has to consider.

श्री श्रीमानसिंह : From which source the Government knew that the school should not be opened at Duni.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The Government has got so many sources...

श्री श्रीमानसिंह : Did the Directorate of Education report that the school should be opened at Duni.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Inspector of Schools is only the person who can justify that his opinion be accepted although the departmental report may be otherwise, but when we see that the departmental recommendation should be accepted we accept that.

श्री श्रीमानसिंह : What was the opinion of the Inspector of Schools in this particular case and were they unanimous or devided opinions of the committee.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I cannot state because I have got no information. I can call for the report.

श्री मदनसिंह दांता : डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड जो सिफारिश करता है उसके अनुसार निर्णय नहीं लिया जाता क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कमेटी हमारे यहां कोई नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : I am Sorry Development Committee.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He does not know the name of the committee and he is asking supplementary questions.

श्री अर्जुनदास : The Honmember does not know the name of the committee but the Honourable Minister does not know anything about it at all.

श्री प० के० चौधरी : What were the recommendations of the Development Comittee ?

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

ग्राम डांगरा के किसानों को बीज का वितरण

२६७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील जालौर के गांव डांगरा के किसानों को सन् १९५२ से आज तक प्रतिवर्ष कितना कितना बीज दिया गया ?

(२) क्या यह सत्य है कि इन काश्तकारों से धान की वसूली की बाबत जिलाधीश जालौर को लिखा गया था ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि वह वसूली न करने बाबत वापिस डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने जिलाधीश जालौर को लिखा था ? यदि हां, तो कब और वह वसूली हो गई है या नहीं ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस विभाग से डांगरा ग्राम में अब तक किसी प्रकार का बीज वितरित नहीं किया गया है।

(२) क्योंकि इस विभाग से बीज का वितरण नहीं किया गया, इसलिये जिलाधीश जालौर को लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) जिला कृषि अधिकारी जालौर ने जिलाधीश को कोई पत्र वसूली रोकने के सम्बन्ध में नहीं लिखा।

(४) बीज ही वितरण नहीं किया गया, अतएव बकाया का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २६८.

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६९.

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २७०.

श्री बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

चम्बल बांध के ट्रोली लाइन्स के स्लीपर्स

२७१. श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : Will the Irrigation Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that in April 1958 the Divisional Accounts Officer, Chambal Barrage, dete-tected nearly 200 iron sleeepers for trolly lines belonging to Chamlal barrage, lying outside the depot cf a Sindhi contractor near 'Lal Burj', Kotah ?

(b) If so, what action has been taken to bring the offenders to book ?

सिंचाई मंत्री (रामकिशोर व्यास) : (a) Yes. except that the sleepers were only 97.

(b) No actioe against anybody was taken as no offence was committed.

श्री पी० के० चौधरी : When these sleepers belong to the Chambal Barrage, why action was not taken ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक्शन लेने का सवाल क्या था, वे दिये गये थे।

श्री पी० के० चौधरी : Is there any Agreement to supply this to Sindhi Contractor ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes.

वन विभाग, बारां द्वारा भूमि अवाप्त

२७२. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या वन विभाग द्वारा बारां की संस्कृत पाठशाला के श्री महेश भारद्वाज एडवोकेट तथा श्री मोती माली की भूमि एक्वायर की गई है ? यदि हाँ, तो कितनी कितनी ?

(२) क्या वन विभाग ने उक्त व्यक्तियों तथा उक्त संस्था को इस रेक्युजिशन के बदले में कोई दूसरी भूमि अथवा कुछ कम्पेन्सेशन दिया है ? यदि हां, तो कितना कितना ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) उक्त कार्य के लिए जो भूमि अवाप्त की गई, उसमें श्री महेश भारद्वाज एडवोकेट की कोई भूमि नहीं थी। श्री मोती माली व संस्कृत पाठशाला की कुछ भूमि अवाप्त की गई जिसका खुलासा निम्न प्रकार हैं :

श्री रामदेव	१६ बिस्वा
संस्कृति विद्यालय, बारां	६ बीघा, ११ बिस्वा
श्री मोती माली	१४ बीघा, २ बिस्वा
श्री महेन्द्रकुमार	१ बिस्वा

(२) जिन व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई, उनको कोई दूसरी भूमि या मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। मुआवजा देने की कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून की धाराओं के मुताबिक निश्चित होने पर।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने बताया कि श्री महेश भारद्वाज की जमीन नहीं खरीदी गई। बारां स्टेशन के पास जमीन क्यों अलॉट की गई और उसको पीछे वन विभाग ने क्यों लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न कोई आश्वासन दिया, न अलॉटमेंट किया और न वन से कोई इसका सम्बन्ध है ।

श्री मूलचन्द डागा : लैंड एक्विज़िशन के बाद मुआवजा देकर फिर उसको कब्जे में लेना चाहिए

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून में लिखा हुआ है उसके मुताबिक लेते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : कानूनन मुआवजा देकर कब्जे में लेनी चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कानूनन जरूरी नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : सरकार द्वारा जिन काश्तकारों की जमीन ली गई है, उनको मुआवजा रुपये में न दिया जाय, जमीन के रूप में दिया जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा जरूरी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

मालपुरा ब्लॉक डेवलपमेंट के गोदाम में से बोरियों की चोरी

२७३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मालपुरा ब्लॉक डवलपमेंट के गोदाम में से बोरियां चोरी गई थीं या गबन हुआ था ? अगर हां, तो कब और वे बोरियां किस चीज की थीं ? खाली थीं या भरी हुईं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त केस पुलिस में दर्ज हुआ था ? अगर हां, तो क्या वह अदालत में चालान हो गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ब्लॉक डवलपमेंट मालपुरा के गोदाम से सन् १९५७ में माह सितम्बर के पहले १९६० खाली अनाज की बोरियां चुराई गई थीं, चोरी की सही स्थिति किसी प्रकार से मालूम नहीं हो सकी ।

(२) हां, मुकद्दमा दर्ज हुआ था और न्यायालय में उसका चालान पेश किया जा चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : ये बोरियां किसके अधिकार में थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक क्लर्क था, उसके अधिकार में थीं ।

श्री भैरोंसिंह : यह रिपोर्ट चोरी होने के कितने दिन बाद दर्ज हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेफिनिट तारीख नहीं है कि किस तारीख को चोरी हुई, कब पकड़ी गई ।

श्री भैरोंसिंह : यह तफतीश से साबित नहीं हो सका कि किस तारीख को चोरी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : किस डेट को चोरी हुई, यह मालूम नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये बोरियां किस तारीख को चोरी गईं, कब मामला रजिस्टर हुआ और कब न्यायालय में चालान हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३-१०-५७ को रिपोर्ट हुई । चालान की डेट शायद नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वे बोरियां खाली थीं या भरी हुई थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : खाली थीं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

डिस्ट्रिक्ट पूल, जालौर की जीपें

२७४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जालौर के डिस्ट्रिक्ट पूल में कितनी जीपें हैं ?

(ख) तारीख ६-१-५८ को डिस्ट्रिक्ट पूल जालौर की तीनों जीपों में कौन कौन ऑफिसर किस कार्य के लिए कहां कहां गये थे ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उस दिन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं था ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) तीन जीपें हैं।

(ख) एक जीप श्री हुक्माराम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, सिरोही को, दूसरी श्री मांगीलाल महेचा, भूतपूर्व जिलाधीश, जालौर, तीसरी एस. एन. शुक्ला, जिलाधीश जालौर को।

(१) श्री हुक्माराम सिरोही श्रीमाधोसिंहजी एम एल. ए. से सहकारी समितियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने हेतु भैंसवाड़ा गए थे।

(२) श्री मांगीलाल जी महेचा कार्यों की प्रगति को बताने के लिए एस. एन. शुक्ला, जिलाधीश जालौर के साथ जाने के लिए चांदराई व गुढा बालोतरान गए थे।

(३) श्री एस. एन. शुक्ला जिला जालौर से विकास कार्यों की प्रगति को देखने के लिए चांदराई व गुढा बालोतरा गए थे।

(ग) सही नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या ये सब एक जीप में नहीं जा सकते थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग वक्त पर गये थे, इसलिए एक जीप में नहीं जा सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने भैंसवाड़ा जाने से पूर्व, जाने की पूर्व अनुमति ली थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी कोई जरूरत नहीं है, वे अपने क्षेत्र के अन्दर दौरा कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने भैंसवाड़ा जाने से पूर्व कलेक्टर को अपना टूर प्रोग्राम भेज दिया था कि उनका भैंसवाड़ा जाना जरूरी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : टूर प्रोग्राम जाने के बगैर जीप अलॉट करते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं पर्टिक्युलर केस के लिए पूछ रहा हूँ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना है, मेरे पास कॉरसपोन्डेन्स नहीं है, मैं प्रिन्सिपल की बात जानता हूँ कि टूर प्रोग्राम उनके पास जाना चाहिए। अगर टूर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

प्रोग्राम नहीं देंगे तो जीप अलॉट नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिंह: क्या भैंसवाड़ा में कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीटिंग के लिए तारीख निश्चित की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख निश्चित थी या नहीं, यह नहीं कह सकता। उस इलाके के जो स्थानीय एम. एल. ए. हैं उनसे विचार-विमर्श करने गए थे। उनमें क्या बातें हुईं, इसकी डिटेल नहीं है ।

श्री मदनसिंह दांता : एक बींद राजा इसमें विराजमान थे और उनको बीच में उतार दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बींद राजा थे या नहीं, इसका पता नहीं ।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : श्री एस, एन. शुक्ला और महेचा उस दिन भैंसवाड़ा गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गये होंगे, उसकी डिटेल नहीं है। अगर दौरे पर गये थे तो जीप लेकर गये होंगे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार; कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जो भैंसवाड़ा के एम. एल. ए. से मशविरा किया, उसकी रिपोर्ट भेजी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूर भेजी होगी ।

श्री भैरोंसिंह : भेजी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बारे में सम्बन्धित मंत्री महोदय से पूछिये ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि ये ऑफिसर एक पार्टी में सम्मिलित होने गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है ?

श्री मदनसिंह : आपकी जानकारी में नहीं है, अगर कोई जानकारी देता है तो उस पर क्या आप एक्शन लेने को तैयार हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर अनियमितता हुई है तो एक्शन लिया जायगा।

श्री तनसिंह : पार्टी विकास कार्य की मालूम होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विकास अधिकारी विकास कार्य का निरीक्षण करने के लिए गये थे ।

श्री भैरोंसिंह : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिस्ट्रिक्ट जीप के अन्दर गये थे, क्या उसके लिए कोई नियम नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नियम है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

२७५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बनास नदी के बांध का प्रॉजेक्ट तैयार हो चुका है ?

(२) अगर हां, तो यह बांध कहां पर बंधना तय हुआ है और इससे कितनी भूमि आबपाश होगी और किस कदर आय और व्यय होगा ?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(३) इसमें कितनी बंजड़ और कितनी बहत पिग्रल होने का अनुमान है और क्या इसका कार्य शुरू हो चुका है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) नहीं, अभी अन्वेषण जारी है।

(२) बांध के लिए स्थान निश्चित नहीं है, निश्चित होने पर आबपाशी तथा आय-व्यय के बारे में पता लगेगा।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री **अध्यक्ष** : श्री दयाकृष्ण विजय।

विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क से मुक्ति

२७६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या उन विद्यार्थियों को भी शिक्षा-शुल्क से पूर्ण मुक्ति (फ्रीशिप) दी जाती है जो उस कक्षा के अनुत्तीर्ण छात्र हैं ? यदि हां, तो राजस्थान में ऐसे विद्यार्थियों की कितनी संख्या है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई): जी नहीं।

श्री **अध्यक्ष** : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ब्युरो ऑफ एग्रीकल्चरल इन्फॉरमेशन एन्ड पब्लिसिटी का महकमा

२७७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ब्युरो ऑफ एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन एण्ड पब्लिसिटी महकमा राजस्थान में है ? अगर हाँ, तो इसकी कहां कहां शाखाएं हैं और हैडक्वार्टर कहां कहां पर हैं ?

(२) यह अमला किस क्वालिफिकेशन और उम्र का और किन किन आधारों पर रखा जाता है ?

(३) उपरोक्त पब्लिसिटी के पास कितनी कार्स, वान्स, ट्रक्स और सिनेमा मशीन रहती हैं और ये किस किस तरह प्रयोग में लाई जाती हैं ?

(४) क्या डिस्ट्रिक्ट टौंक में इसकी शाखा है ? अगर हां, तो तहसीलवाइज सन् १९५६, १९५७, १९५८ में कहां कहां दौरा, प्रदर्शनियां और प्रोपेगेन्डा का काम किया ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राजस्थान में अभी ब्युरो ऑफ एग्रिकल्चरल इन्फॉर्मेशन का कोई अलग महकमा नहीं है। कृषि सूचना प्रसार एक छोटी शाखा है जिसका मुख्य कार्यालय जयपुर में स्थित है। राज्य में और किसी स्थान पर अभी इसकी शाखा नहीं है।

(२) अमले के प्रत्येक अधिकारी के लिये आवश्यक योग्यताए निर्धारित कर दी गई हैं। उन्हीं में आयु का प्रश्न भी आ जाता है। योग्यताओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) कृषि सूचना प्रसार शाखा के पास दो जीप्स हैं। एक के साथ सिनेमा मशीन व जेनरेटर संलग्न है। ये जीपें सिनेमा प्रदर्शन के लिये, कृषि प्रदर्शन व प्रचार के लिये अथवा प्रदर्शनियों के काम में आती हैं।

(४) शाखा नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.12

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या जो जीपें हैं उनमें सिनेमा मशीन वगैरह लगी हुई हैं, अगर कोई मेले के वास्ते डिस्ट्रिक्ट में मांगता है तो सरकार देने के लिए तैयार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर उस समय सिनेमा मशीन खाली हो और आप मांगेंगे तो जरूर भेजेंगे। उनका काम प्रचार करने का है।

श्री पी० के० चौधरी : एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन ब्युरो की स्थापना करने के लिए आप सोच रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: जितना हमारे पास धन उपलब्ध है, उतना ही हम काम कर सकते हैं। जितना हम कर सकते हैं उतना पब्लिसिटी ब्युरो के लिए जरूर किया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यदि जितने बड़े बड़े गांव हैं, तहसीलें हैं उनमें भी यह सिनेमा वान भेजने की व्यवस्था करें, तो क्या नुकसान है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब जगह जाती है। जहां कहीं मौका मिलता है, वहां जाती है, गांवों में, कस्बों में जाती है।

श्री श्रीभानसिंह : अब की आप उनियारा में सिनेमा भेज देना।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर चन्द्रकला।

राजस्थान में छिपे हुए डाकू

२७८. **डॉ० बहादुरसिंह** (डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में इस समय कितने और कौन से डाकू ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं और जिन पर वारन्ट है ?

(२) क्या इनमें से कुछ की ओर से किन्हीं शर्तों पर आत्म समर्पण की बात आई है ?

गृह मंत्री (श्रीरामकिशोर व्यास) : (१) १९५८ तक कुल २०३।

(२) ऐसी कोई सूचना विभाग के पास नहीं है।

डॉ बहादुरसिंह : इतना नम्बर बड़ा हुआ है, इसको कम करने की कोई योजना बनाई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३० साल पूरे न हो जाय, लीगल पोजीशन यही है, नम्बर कन्टीन्यू करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

जिला बीकानेर में नये स्कूलों का खोला जाना

२७९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) जिला बीकानेर में इस वर्ष सरकार की ओर से कितने स्कूल्स खोले जाने का लक्ष्य था और उनमें से अब तक कितने व कहां कहां खोले गये हैं ?

(ब) बीकानेर जिले के किन किन एकल अध्यापक प्राथमिक शालाओं में ५० से अधिक छात्र हैं ? उन शालाओं में अधिक अध्यापक अब तक क्यों नहीं लगाये गये ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (अ) ४२ प्राथमिक शालाओं का

Page No.13

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

कोटा निर्धारित किया गया था. जिनमें २७ निम्नलिखित खोली जा चुकी हैं :

१. रामसर, २. सुरधना बड़ा व छोटा, ३. जलासर व खीचियां, ४. सूरतपुरा, ५. हिमतसर व रायसर, ६. गजसुखदेसर, ७. घट्टू, ८. जेगल पना दरोगा, ६. मैनसर, १०. गजरूपदेसर, ११. हंसासर, १२. सिनिवाली, १३. उदासर, १४. थावरिया, १५. नाथवाना, १६. सुरनाणा, १७. मलकीसर छोटा व बड़ा, १६. खारी चारणान, १८. गिराजसर, २०. रण-जीतपुरा ।

(ब) निम्नलिखित एक अध्यापक वाली शालाओं में छात्र संख्या ५० से अधिक है :

१. बम्बूल, २. बेलासर, ३. कोरिया का बास, ४. करमीसर, ५. मंडसर, ६. मोरगदेसर, ७. रामसर, ८. शरेरा, ६. सरूपदेसर, १०. अड़सर, ११. देसरसर, १२. डीगसरी, १३. जांगल, १४. कचक, १५. कचोरी बड़ी,

(हंसी)

१६. कचोरी अगुनी, १७. कुदस, १८. नोलापाव, १६. सोखड़ा, २०. सोमलसर, २१. उदासर, २२. दुलमेरा, २३. गारबदेसर, २४. मलकीसर, २५. राजासर करनीसर, २६. शेरपुरा, २७. सुरनाणा, २८. चांदी, २६. नैनिया, ३०. नोखड़ा, ३१. हाडला ।

छात्र संख्या की वृद्धि छात्र-वृद्धि अभियान के अन्तर्गत हुई है, अत: अध्यापकों की स्वीकृति विचाराधीन है ।

भवातड़ा पुलिस स्टेशन का भवन

२८०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालोर के भवातड़ा पुलिस थाना का भवन कब बना और उसके बनने में कितने रुपया का खर्चा सरकार को हुआ ?

(२) वह पुलिस थाना अभी तक मौजूद है या गिरा दिया गया ? यदि गिरा दिया गया तो कब ? उसके गिराने में कितना खर्चा हुआ ? उस सामान को किस काम में लिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) पुलिस थाना भवातड़ा का मकान सन् १६५४-५५ में ७८,५७४ रुपयों की लागत पर बना था ।

(२) यह सन् १६५७-५८ में गिराया गया, जिसमें १६२३ रुपये खर्च हुए। इस बिखरे हुए मकान का सामान अभी तक किसी काम में नहीं लिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : यह मकान क्यों गिराया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : लूनी नदी का, ज्यादा बारिश की वजह से, कोर्स चेंज हो गया और इस मकान को खतरा हो गया ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह मकान बनाने से पहले क्या कोई टेक्निकल ओपीनियन ली गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पी० डब्लू० डी० के इन्जीनियर्स की सभी की ओपीनियन ली गई थी, लेकिन अचानक लूनी नदी का कोर्स चेंज हो गया ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही है कि मकान बनाने के बाद में नदी ने कोई डाइरेक्शन चेंज नहीं किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं, यह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

प्राइवेट मोटरों का किराये पर चलाना

२८१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मोटर विहीकल्स एक्ट के तहत प्राइवेट मोटर किराये पर चलाना अपराध है ?

(२) अगर हां, तो कितनी ऐसी कारें पकड़ी गई जो टैक्सी नहीं हैं, परन्तु किराये पर चलाई जाती हैं ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) हां।

(२) ऐसी केवल चार कारें पकड़ी गई हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या एक्शन लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टैक्स वसूल कर लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

कन्या पाठशाला, बारां

२८२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री नरेन्द्र, क्लर्क, कन्या पाठशाला, बारां की परीक्षा के प्रश्न-पत्र प्रकट कर देने पर वहां की मुख्याध्यापिका के द्वारा अपदस्थ (सस्पेन्ड) कर दिये गये थे और वे सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अपदस्थता काल में अयानी, तहसील इटावा की पाठशाला में अध्यापक बना दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही कि उक्त व्यक्ति ने अपदस्थता निवारण के पश्चात् अपने अपदस्थता काल के वेतन के अतिरिक्त अध्यापक के नाते भी वेतन राज्य सरकार से लिया है ? यदि हां, तो इन्हें दो दो बार वेतन देने का क्या कारण है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्रीपूनमचन्द विश्नोई): (१) जी हां। मुख्याध्यापिका, हायर सेकन्डरी स्कूल बारां ने श्री नरेन्द्र क्लर्क को सस्पेन्ड कर दिया और श्री नरेन्द्र ने अपने नाम को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज कोटा में दर्ज करा दिया। एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज कोटा ने उसका नाम इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को सिफारिश करके भेजा। चूंकि सिलेक्शन बोर्ड के किसी भी मेम्बर को यह ज्ञात नहीं था कि श्री नरेन्द्र कन्या पाठशाला, बारां में अपदस्थ लिपिक हैं इसलिए अध्यापक के कार्य के लिए उसका चुनाव हो गया। यदि श्री नरेन्द्र को इन्स्पेक्टर द्वारा अपदस्थ किया गया होता तो ऐसा नहीं होता। कन्या पाठशालाएं इन्स्पेक्टर के अधीन नहीं हैं।

(२) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : श्री नरेन्द्र ने धोखा दिया है, अपने सस्पेन्शन के पीरियड में दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में नाम लिखवा कर दूसरी जगह सिलेक्शन करा लिया तो इस धोखा धड़ी के लिए श्री नरेन्द्र को क्या कोई सजा दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, उसको पनिशमेंट अवार्ड किया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या पनिशमेंट दी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : That he should not be paid for the period under suspension and a remark for negligence was put in his service book.

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह पर्याप्त है, जब कि उसने दो दो दफा धोखा-धड़ी की है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसके खिलाफ नेग्लीजेन्स का कुसूर साबित हुआ है; जान-बूझ कर पेपर्स बता दिये हों, यह साबित नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

राजस्थान नहर निर्माण का कार्य

२८३. श्री भीमसेन (लूणकरनसर) **:** क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान नहर निर्माण योजना का सन् १९५७-५८, १९५८-५९ के क्या क्या लक्ष्य निर्धारित थे ? तथा उनमें से अब तक कितना काम किया जा सका ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) **:** राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित धन-राशि में से राजस्थान नहर के निर्माण के लिए १९५७-५८ के वित्तीय वर्ष में २५ लाख तथा १९५८-५९ के लिये १ करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे जिनमें से महालेखापाल जयपुर के आंकड़ों के अनुसार १९५७-५८ में २३,९७,७२८ रु० खर्च हुए हैं, वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है और आशा की जाती है कि चालू वर्ष में तमाम स्वीकृत धन-राशि खर्च कर दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

जावाल नदी पर पुल का निर्माण

२८४. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि सिरोही जिले में सिरोही–कालन्द्री सड़क पर जावाल की नदी पर रपट बांधने के लिए सन् १९५५-५६, ५६-५७ व ५७-५८ के सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में धनराशि का प्रोविजन रखा गया, फिर भी यह कार्य हाथ में नहीं लिया गया ?

(२) इस विषय में अब क्या प्रगति है तथा कब तक यह कार्य सम्पन्न करने की सम्भावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) नहीं ।

(२) जावाल नदी पर रपट बांधने का एस्टीमेट तैयार हो गया है, जिस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिरोही-कालन्द्री सड़क पर घर्क के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५० हजार रुपये का प्रोविजन हैं, उसमें से १६ डिप्स हैं, एक जावाल नदी वाला पुल है, तीसरा एक और पुल है, तीन चार नम्बर के नाले हैं; सब कामों के लिये २५० हजार रुपये का प्रोविजन है, उसमें १२ हजार का काम करा दिया गया है, २३८ हजार रुपये की बचत है, उसमें से जावाल नदी वाले का २ लाख का एस्टीमेट आता

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है, जितना रुपया है सब का सब खर्च कर देंगे ।

श्री मोहब्बतसिंह : यह काम क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक खत्म हो जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजकीय हाई स्कूल, सिरोही में अध्यापकों की कमी

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state:--

Is there a shortage of teachers in the Government High School at Sirohi ? If so, why ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी नहीं ।

श्री मोहब्बतसिंह : पर्याप्त संख्या क्या होनी चाहिये अध्यापकों की, एक हाई स्कूल के लिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह तो कितने लड़के हैं, कितने क्लॉसेज़ हैं, कितने सब्जेक्टस हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है ।

श्री मोहब्बतसिंह : इस स्कूल के लिए पर्याप्त संख्या कितनी मानी गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले दो अध्यापकों की कमी थी, एक बी० एस– सी० टीचर और दूसरा अन्ट्रेन्ड इन्टरमीजियेट ग्रेड का टीचर, उनमें से एक को १६-६-५८ को और दूसरे को भी भेज दिया गया है, वहां के हैड मास्टर की रिपोर्ट है कि हमारे यहां टीचर्स काफी हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट के अन्तर्गत किये गये मुकदमे की पैरवी

२८६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट के अन्तर्गत जो मुकद्दमे स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जाते हैं उनकी तरफ से मुकद्मे की पैरवी कौन करते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मुकद्मों की पैरवी के लिये समय समय पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोकल वकीलों को मुकर्रर करते हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(३) उन वकीलों की क्या फीस निर्धा- है ? कृपया उन वकीलों के नामों की सूची देने की कृपा करें, जो भिन्न भिन्न तहसील में मुकर्रर किये गये है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) आम तौर पर ऐसे मुकदमो की पैरवी पब्लिक प्रोसीक्युटर्स करते हैं, परन्तु मुकदमे की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के हैड क्वार्टर पर यदि कोई पब्लिक प्रोसीक्युटर नहीं होता है तो ऐसे स्थानों पर जिला मजिस्ट्रेट प्राईवेट वकीलों में से नियुक्त कर देते हैं । कितने ही स्थानों पर पब्लिक प्रोसीक्युटर होते भी हैं और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स यह समझते हैं कि पब्लिक प्रोसीक्युटर सेशन्स केसेज़ की वजह से उन मुकदमों की पैरवी नहीं कर सकेंगे तो वहां भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्थानीय वकीलों में से नियुक्त कर देते हैं ।

Page No.17

(श्री रामकिशोर व्यास)

इस विषय में स्पष्ट आदेश विधि और न्याय विभाग द्वारा हो चुका है।

(२) हां। मुकद्दमों के महत्व के अनुसार वकील की संभालने की योग्यता ही मुख्य आधार है।

(तीसरे का उत्तर नहीं पढ़ा गया)

श्री मूलचन्द डागा : आपने जिन जिन जगहों का जिक्र किया है, वहां पर पी. एस. आईज हैं और पी. आईज हैं, उनके पास कोई काम नहीं, बैठे रहते हैं और मुकदमों की पैरवी दूसरों से करवाई जाती है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने उसूल एक आपके सामने रखा है, जहां जहां पब्लिक प्रोसीक्युटर्स हैं वहां वे पैरवी करते हैं, उनके पास ज्यादा वर्क हो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि औरों को नियुक्त करे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो पाली सेशन्स की बात कर रहा हूँ, वहां पर पी० आईज़ हैं, क्रिमिनल केसेज़ बिल्कुल कम हो गये हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वे बैठे रहते हैं, फिर भी दूसरों को मुकर्रर करते हैं और इस तरह सरकार का जो रुपया है वह व्यर्थ में खर्च किया जा रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : लॉ डिपार्टमेंट से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पर अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिये हैं, उनकी गाइडेन्स के लिये रूल्स मौजूद हैं। आप अगर किसी पर्टिक्युलर केस के बारे में जानना चाहें तो मैं जानकारी करके बता सकता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : तीसरा प्रश्न है कि उनकी पूरी लिस्ट नहीं दी है, केवल कुछ ही तहसीलों का बताया है कि किन किन को मुकर्रर किया है, सब का नहीं बताया।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां जहां मुकदमे होंगे, उनकी फहरिश्त दे दी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तहसीलों का मांगा था।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं समझता हूं और जगह नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर में जल-कष्ट को दूर करने की योजना

२८७. **श्री मोहरसिंह** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार के पास बीकानेर में जल कष्ट को दूर करने के लिए कोई योजना पेश हो चुकी है ? यदि हां, तो उसको कब तक कार्यान्वित किया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

मेडिकल कॉलेज में छात्रों को दिया गया प्रवेश

२८८. **श्री मोहरसिंह** (श्रीमुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : मन्त्री चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग कृपया जवाब दें :

(१) इस वर्ष मेडिकल कॉलेज में कितने छात्रों ने प्रवेश चाहा था व उनमें से कितनों को मिला ?

(श्री मोहरसिंह)

(२) प्रवेश का आधार क्या था ? क्या उन नियमों का पूरा पूरा पालन किया गया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : इस प्रश्न का जवाब माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी अपनी टर्न पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : डॉ चन्द्रकला।

गो-वध कानून की अवहेलना

२८६. **डॉ चन्द्रकला** (डॉ० बहादुरसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राज्य में गो हत्या कानूनन निषिद्ध है ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त कानून की उपेक्षा करके ता० ३०-६-५८ को भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना के जंगल जोतदार में गो-वध किया गया ?

(३) यदि हां, तो कानून विरोधी कार्यवाही करने वालों को सरकार ने क्या दण्ड दिया

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) अपराधियों का न्यायालय में चालान किया जा चुका है।

कोटा डिविजन में छोटे उद्योगों को लोन

२६०. **श्री भैरवलाल काला बादल** (अकलेरा सु०) : क्या उद्योग मन्त्री नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा डिविजन में छोटे छोटे उद्योगों के लिये कितना धन किन किन धन्धों के लिये किन किन व्यक्तियों को दिया गया ?

(ख) इन छोटे उद्योगों ने अब तक कितनी प्रगति की थी तथा क्या यह लोन नियमानुसार दिया गया है ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) इस सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इन उद्योगों ने काफी प्रगति की है, उस तालिका में जो सदन की मेज पर रख दी गई है, अवगत किया गया है। इन्हें लोन नियमानुसार दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : क्या ऐसे लोग भी उनमें हैं, जो रुपये इस नाम से लेकर लोगों को अपने कर्जे चुकाये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : No.

श्री भैरवलाल काला बादल : क्या जिस काम के लिये रुपया लिया गया, उसकी सारी जानकारी सदन की मेज पर जो सूची रखी है, उसमें आपने बता दी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गलवा बन्ध, उनियारा

२६१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि उनियारा में गलवे नामक बन्ध की नहरें निकाली गई हैं और उसमें काश्तकारान की जमीनें आई हैं ?

Page No.19

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(२) अगर हां, तो किन किन काश्तकारान की जमीनें आई हैं और क्या उनको मुआवजा मिल चुका है, अगर हां, तो किस हिसाब से ?

(३) इन नहरों में जो जमीनें आई हैं, क्या उनके काश्तकारान से पटवारी हर साल लगान वसूल करते हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) जिन काश्तकारों की जमीन इस बांध में आई है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। मुआवजा अभी नहीं दिया गया है। इसके लिये कार्यवाही जारी है।

(३) पटवारी इस आराजी का कोई लगान वसूल नहीं करते।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पटवारी लोग इस जमीन का लगान वसूल करते हैं, क्या आप इस सम्बन्ध में तलाश करवाएंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर करवाएंगे।

राजराजा श्री सरदारसिंह : अभी तक जो लगान लिया गया है, क्या उसको सरकार वापिस उन काश्तकारों को देगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस सम्बन्ध में देखूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : क्या आपने इस सम्बन्ध में इन्स्ट्रक्शन्स भेज दिये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब तय कर दिया है तब फिर इन्स्ट्रक्शन्स किस बात के ?

प्रश्न संख्या २६२

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट।

कृषि फार्म जिला पाली

२६३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सरकार द्वारा पाली जिले में कुल कितने कृषि फार्म बनाने की योजना है और कहां-कहां फार्म का काम शुरू हो चुका है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सरकार द्वारा पाली जिले में कुल ३ कृषि उत्पादक फार्म बनाने की योजना है, इसमें दो तो बन चुके हैं और तीसरा रायपुर के पास इस साल खोलने का विचार है।

श्री मूलचन्द डागा : कौन कौन सी जगह हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सुमेरपुर और दूसरा पाली के पास।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

करणपुर घाटी से करणपुर ग्राम तक सड़क विस्तार की योजना

२६४. **श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : Will the Minister for Public Works be pleased to State :

(a) Has any survey been made of Karanpur Ghati for the extension of the road to Karanpur village ?

(b) If so, when ?

सार्वजनिक निर्माणमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) No,

(b) Question does not arise.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयपुर जिले की अध्यापिकाओं का फिक्सेशन

२६५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की कुछ अध्यापिकाओं को २५) रु० फिक्सेशन १९५१ से दिया जा रहा है, जब कि मैट्रिक है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इनके बाद में नियुक्त होने वाली अध्यापिकाओं को ग्रेड व वेतन वृद्धि दी गई है ?

(३) क्या कुछ ऐसी भी अध्यापिकायें हैं, जिनको मैट्रिक न होने पर मैट्रिक की ग्रेड दी गई है ?

(४) उपरोक्त अन्तर रखे जाने का क्या कारण है ?

(५) क्या यह भी सही है कि १९५१ से आज तक भाग (१) में वर्जित अध्यापिकाओं की वेतन वृद्धि भी नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
(१) जी नहीं।
(२) जी नहीं।
(३) जी नहीं।
(४) प्रश्न ही नहीं उठता।
(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या अध्यापिकाओं का फिक्सेशन हो चुका है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुछ का अभी बाकी है।

श्री रामकरणसिंह : जिनका अभी बाकी है, वह क्यों बाकी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनके रिकार्ड नहीं मिले और कुछ के केसेज़ ए० जी० के पास भेजे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिनका फिक्सेशन नहीं हुआ, उनको क्या २५ रु० माहवार ही मिलते हैं, आपने उस पर अभी तक क्यों नहीं गौर किया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप प्रश्न को पढ़ें और देखें कि इसमें क्या पूछा गया है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न पढ़ा गया है और आप उसको ठीक से समझें और उसका उत्तर दें।

तालाबों की मरम्मत, जिला बूँदी

२६६. **श्री सज्जनसिंह** (बूँदी) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) जिला बूंदी तहसील तालेड़ा के बरड़ के इलाके के निम्नोक्त गावों के हर एक बन्ध के नीचे कितनी कितनी भूमि है :

(१) लोंईचा (२) गुंवार
(३) गरड़वा (४) पलकां
(५) थड़ी (६) डाबी
(७) गणेशपुरा (८) लाम्बाखो

(ब) इन तालाबों की राजस्थान बनने के बाद कब मरम्मत हुई ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (अ) जिला बूंदी, तहसील तालेड़ा, के बरड के इलाके के निम्नलिखित गांव के हरएक बंध के नीचे उनके सामने दर्ज की हुई जमीन सिंचित होती है :

(१) लोईचा ६२ एकड़

(२) गुवांर १७४ एकड़

(३) गरड़वा ११२ एकड़

(४) पलकां २४० एकड़

(५) थड़ी ८० एकड़ फिलो

(६) डाबी ४० एकड़ फिलो

(७) गणेशपुरा(सागर) ३५ एकड़ बेड़ ।

(८) लाम्बा खो यह जागीर का तालाब था, इसलिये इसकी सिंचाई के आंकड़ों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं ।

(ब) इन तालाबों की निम्न सालों में मरम्मत की गई है :

लोईचा		५६–५७
गुवांर	१९५४–५५	१९५६–५७ और १९५७–५८
गरड़वा	१९५४–५५	१९५५–५६
पलकां	१९५७–५८	
डाबी	१९५४–५५,	१९५५–५६ १९५७–५८
थड़ी	१९५७–५८	
गनेशसागर		

चांदपोल बाजार, जयपुर की सड़क की मरम्मत

२६७. **डॉ० बहादुर सिंह** (डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर शहर के चांदपोल बाजार की सड़क की मरम्मत कब हुई ? क्या उक्त बाजार में पाइप लाइन भी डाली गई ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सच है कि सड़क बन चुकने के बाद पाइप लाइन डाली गई ?

(३) क्या यह सच है कि पाइप लाइन के डालने से जो मिट्टी कंकड़ का ढ़ेर इकट्ठा हुआ था उसे अभी तक नहीं उठाया गया है ?

(४) इस मिट्टी कंकड़ को उठाने की जिम्मेदारी किसकी थी और इसे अब तक भी न उठवाये जाने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) २–११–५७ से ७–१–५८ तक । जी हां । २०–१–५८ से १२–८–५८ तक ।

(२) जी हां ।

(३) उठा लिये ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय सड़क की मरम्मत हो रही थी उस समय पाइप लाइन डालने की बात सरकार के विचाराधीन थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सेकिन्ड फाइव इयर प्लॉन में विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : सड़क बनने से पहले सड़क के नीचे पाइप लाइन डालने का विचार था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कहता हूँ कि बिल्कुल था। इसी सर्किल में पाइप लाइन डालने का था।

श्री भैरोंसिह : जिस दिन सड़क की मरम्मत हुई उस दिन यह ध्यान में था कि इससे अनावश्यक खर्चा होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ध्यान नहीं था कि कौनसी तारीख को यह पाइप लाइन डाली जावेगी। अगर ऐसा होता तो सारी सड़क की मरम्मत बन्द करनी होती। आप कहें तो कल से रोक दें।

श्री भैरोंसिह : १५ दिन बाद में ही सड़क को तोड़कर पाइप लाइन लगाई गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क पहले बनी। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के अनुसार शुरू साल में सारे जयपुर में बड़ी पाइप लाइन डालने की योजना थी।

एक माननीय सदस्य : आप उसको १५ दिन तक के लिये रोक सकते थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस तारीख को कोई पाइप लाइन डालेंगे, यह पहले कैसे पता चल सकता है।

श्री भैरोंसिह : क्या जिस महीने में पाइप लाइन डाली जाती हैं उससे एक महीने पहिले सरकार को इत्तिला नहीं मिलती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक महीने पहिले तो इत्तिला होती है क्योंकि टेन्डर नोटिस कॉल होते हैं। महीने, दो महीने का नोटिस तो होता ही है।

श्री भैरोंसिह : जिस समय सड़क की मरम्मत हो रही थी, क्या उस समय टेन्डर्स इनवाइट कर दिये गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तारीख बता दी है, आप केल्कुलेट कर लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील कोटपुतली में प्लॉटों के लिए प्रार्थना-पत्र

२६८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या मंत्री, खनिज विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील कोटपुतली के कितने प्रार्थना-पत्र माइनिंग विभाग में ५६–५७, ५७–५८ में आये ?

(२) किस किस प्रार्थी ने ५-५ रुपये जो आरम्भ में जमा कराने पड़ते हैं, कराये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) उनमें से किन किन को कहां कहां प्लॉट दिये गये हैं ?

(४) कितनों को नहीं दिये गये ? नहीं देने का क्या कारण है, तथा क्या उनके पैसे वापिस लौटा दिये गये ?

(५) क्या प्लॉट की डिमार्केशन सरकार द्वारा किये जाने पर ही ठेकेदार का कब्जा समझा जाता है या कागज में जिस दिन से आज्ञा लिखी जाती है, उस दिन से ?

(६) क्या जिनको प्लॉट दिये गये हैं उनसे लीज के पैसे जमा करा लिये हैं, तथा उनको डिमार्केशन करा दिया गया ?

उप-उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) :(१) तहसील कोटपुतली के ५६-५७, में १५ व ५७-५८ में ३४ प्रार्थना-पत्र आये।

Page No.23

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(२) जिन आवेदन-कर्त्ताओं ने ५) जो एम० एम० सी० आर० १९५५ के माफिक जमाकराने पड़ते हैं, जमा कराए उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) दो केसेज़ में स्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि आवेदन-कर्त्ताओं ने रॉयल्टी सेटिलमेंट नहीं कराया था तथा बकाया लैंड-रेन्ट आदि जमा नहीं कराये। इनकी रकम वापिस नहीं लौटाई गई है। नहीं लौटाने का कारण मालूम किया जा रहा है।

(५) तारीख सूचना से ठेका शुरू माना जाता है।

(६) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि जिनके प्लॉट्स दिये उनको डिमार्केशन हो चुका है?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सूची तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन छोटे छोटे माइनिंग लीज़ के डिमार्केशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री रामकरणसिंह : आपने फर्माया कि प्लॉट्स दे दिये गये हैं और सूची सदन की मेज पर रख दी गई है तो क्या यह माना जावे कि उनको प्लॉट्स दे दिये गये हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यही माना जाना चाहिये।

श्री रामकरणसिंह : क्या १४ नम्बर पर जिस व्यक्ति का नाम है जगदीशचन्द को प्लॉट का डिमार्केशन हो गया।

श्री अध्यक्ष : मानना तो यही चाहिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपका १३ नम्बर से मतलब है।

श्री रामकरणसिंह : नहीं, १४ नम्बर से है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने लिस्ट उन्हीं को दे रखी है, जिसका डिमार्केशन हो चुका है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनको खान दे दी गई है। डिमार्केशन हो गया है।

श्री रामकरणसिंह : मैं आपको सूचना दे दूं कि उनका डिमार्केशन नहीं हुआ है। उनके पास पैसे जमा कराने के लिये नोटिस आया और उन्होंने नोटिस का जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चम्बल योजना से डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले के गांवों को बिजली की प्राप्ति

२९९. श्री नाथूराम मिर्धा (बागीडोरा) : क्या विद्युत् मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये कौन कौन से स्थान चुने गये हैं?

(२) अगर नहीं तो क्या इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि इस क्षेत्र को चम्बल योजना से बिजली दी जावे?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कोई नहीं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(२) इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । समय आने पर अगर संभव हुआ तो चम्बल से बिजली दी जायगी ।

अन्य विभागीय कर्मचारियों की ग्राम सेवकों के पद पर नियुक्ति

३००. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या मंत्री विकास विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अन्य विभागीय कर्मचारियों को ग्राम सेवको के स्थान पर नियुक्त किया जाता है ?

क्या यह सही है कि विकास विभाग में आने से पूर्व की अन्य विभागीय सेवाओं को भी उनकी सीनियीरेटी में गिना जाता है ?

उप-राजस्वमंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

श्री मनोहर कोठारी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टर रिक्रूटमेन्ट से जो आते हैं उनके मुकाबले विभाग में काम करने वाले लोग आते हैं वे ज्यादा एफीशियेन्ट होते हैं ?

श्री सम्पतराम : यह नहीं कहा जा सकता । हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या इस प्रकार की भरती से विकास के काम पर असर पड़ता है, क्योंकि वे उनसे सीनियर माने जाते हैं, नेचुरली असर पड़ता है क्या ?

श्री सम्पतराम : डाइरेक्टर रिक्रूटमेंट से जो आदमी लिये जाते हैं वे किन्हीं बातों में ऑलरेंडी वर्क कर रहे हैं उनसे एफीशियेन्ट भी होते हैं, सबकी कार्य क्षमता एक सी नहीं होती ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या इस प्रकार की नियुक्तियां आप उचित समझते हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं ही नहीं सबको उचित समझना पड़ेगा ।

मंडरायल के स्कूल भवन निर्माण सम्बन्धी योजना

३०१ **श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) Is it a fact that in the absence of a proper school building at Mandrail, students have to sit under the trees ?

(b) If so, when a new school building is expeited to be constructed, and how much will it cost ?

उप शिक्षा मंत्री(श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) जी हां ।

(२) मिडिल स्कूल के नये भवन निर्माण में ५०,०००) रु० की लागत लगेगी अभी तक जनता मे केवल १०,००० रु० ही इकट्ठा किया है ।

कोटपुतली में नल लगाने की योजना

३०२ **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित

(श्री रामकरणसिंह)

प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कोटपुतली नगर में नल लगाने की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो वह कब तक पूरी होगी ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान कॉलेज

३०३. डॉ० बहादुरसिंह (डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान कॉलेज से कितने छात्र (कक्षावार) सन् १९५८ में फाइनल परीक्षा में बैठे ?

(२) कॉलेज का शिक्षा वार परीक्षा परिणाम क्या रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) राजस्थान कॉलेज की इस वर्ष के परीक्षा परिणाम की दृष्टि से प्रान्त के अन्य कॉलेजों के मुकाबले में क्या स्थिति रही ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) कॉलेज की स्थापना अगस्त सन् १९५७ में हुई थी अतः यहां के विद्यार्थियों का सन् १९५८ की फाइनल परीक्षाओं में बैठने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) फाइनल परीक्षाओं के विषय में उपरोक्त उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रथम वर्ष एवं तृतीय वर्ष में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण नहीं रहा।

(३) प्रश्न नं० १ के उत्तर में स्थिति स्पष्ट है। प्रश्न नहीं उठता है।

गांधी उद्यान, नावां

३०४. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम नावां, जिला नागौर, के गांधी उद्यान के निर्माण में कितना व्यय हुआ है तथा सरकार द्वारा कितनी धन-राशि प्रदान की गई ?

(२) शेष रकम कहां से प्राप्त हुई।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सन् १९५६-५७ में २०८८ रुपया डेढ़ आना खर्च हुआ, १००० रुपया सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

(१) सन् १९५७-५८ में सरकार द्वारा ५०० रुपया प्रदान किया गया था। खर्च की पूर्ण राशि प्राप्त नहीं हुई है।

(२) जनता से प्राप्त हुई है।

पॉवर हाउस, बीकानेर, का विगत तीन वर्षों का हानि-लाभ

२६६. श्री मोहरसिंह (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर पॉवर हाउस में राजस्थान बनने के तीन वर्ष पूर्व सालाना कितनी लाभ-हानि रही और उसके बाद के वर्षों में क्या

(श्री मोहरसिंह)

अन्तर आया ? कृपया सविवरण बताइये ?

(२) उक्त पॉवर हाउस को ठीक करने के लिये सरकार की ओर से क्या क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? क्या अपने प्रयत्नों पर सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि बिजली की कमी के कारण वहां के नागरिकों को कोई जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान बनने के बाद के आंकड़े इस प्रकार हैं।

क्र० :	नाम वर्ष :	लाभ :	हानि :
१.	१९५२–५३	....	३, ६१, ०२७
२.	१९५३–५४	....	७, ५१, ४८५
३.	१९५४–५५	....	५, ४२, ६५७
४.	१९५५–५६	....	४, ५०, ३०६

पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(२) ३००० के, डब्ल्यू टरबाईन के स्टेटर को रिवांइन्ड करवाया जा रहा है। २५०० के, डब्ल्यू टरबाइन के इन्शुलेटरर्स बदले जा रहे हैं। २ . १०० के, डब्ल्यू व १×२२४ के,डब्लूय डीजल सेट बीकानेर लगा दिये गये हैं। इसके अलावा रतनगढ़ में दो डीजल सेट्स और लाये जाने की तजवीज है व यदि हो सका तो और भी इस पॉवर हाउस को बढ़ाकर स्टेन्डबाईज के स्वरूप में भाखरा से बिजली मिलने के बाद भी रखा जावेगा।

जल संकट की कोई सम्भावना नहीं होती।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बीकानेर पॉवर हाउस की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नये कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं।

पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

२६८. **डॉ बहादुरसिंह** (डॉ चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) किस किस कक्षा की कोन कौन से विषयों की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका और कितना बाकी है ? निर्धारित लक्ष्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

(२) राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप हने वाली कालाबाजारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ? उनमें कितनी सफलता मिली ?

(३) राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की नियुक्ति किस आधार पर की गई थी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) निम्कांकित कक्षाओं एवं विषयों की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है।

कक्षा	विषय
१.	हिन्दी
२.	हिन्दी
३.	हिन्दी, अंकगणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक ज्ञान।
४.	हिन्दी, अंकगणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक ज्ञान।
५.	हिन्दी, अंकगणित, सामान्य विज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान।
६.	हिन्दी, गणित, संस्कृत, कॉमर्स, भूगोल, और उर्दू।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

इसके अतिरिक्त कक्षा ६ में डोमेस्टिक साइन्स व सामाजिक ज्ञान एवं कक्षा ७ व ८ के विषयों की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण होना बाकी है जिसे सन् ५६-६० तक पूर्ण करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(२) इस वर्ष पुस्तकों को मुख्याध्यापकों के के मार्फत पाठशालाओं में विद्यार्थियों को बिक-वाई गई इसलिये काला बाजारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) अखिल राजस्थान की सब शिक्षण संस्थाओं, कॉलेजों तथा अन्य तत्सम संस्थाओं से विविध विषयों के अध्यापकों को इन संस्थाओं के प्रिंसिपल अथवा हैड मास्टर द्वारा सूचनायें भेजी गईं । इन आवेदन पत्रों के आने के पश्चात् बोर्ड ने भिन्न भिन्न विषयों के अधिकारी विशेषज्ञों की सहायता से लेखकों का चयन किया, इसके अतिरिक्त बाहर के लेखकों को भी इन क्रमिक पुस्तकों के लिखने के लिये अखबारों द्वारा सूचित किया गया ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति को सफल समझती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सफलता के कारण आप क्या मानते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सफलता का यही प्रमाण है कि पुस्तकें अच्छी मिल रही हैं, लेखक योग्य है और छात्रों को शिक्षा अच्छी मिल रही है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार पुस्तकें समय पर वितरित करने में सफल हुई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पिछले साल कुछ कमी जरूर रही, किन्तु इस साल समय पर वितरण करने में सफल रहे ।

श्री मोहरसिंह : क्या कोई ऐसी स्कूल भी है, जहां छठी क्लास की किताबें नहीं पहुँचीं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमने तो हमारी तरफ से इन्तजाम कर दिया है, हो सकता है किसी स्कूल के हैडमास्टर सुस्त हों और उन्होंने नहीं मंगायी हों ।

श्री भैरोंसिंह : क्या हिन्दी की पुस्तक में जहां केकैयी के दो पुत्र लिखे थे, क्या उसको ठीक कर दिया गया है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या इस प्रकार की गलत पढ़ाई के कारण जो लड़के फेल हो गये थे, क्या उन्हें पास माना जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक्ज़ामिनेशन के पहले ही इस प्रकार की दुरुस्ती कर दी गई थी ।

भाखरा नांगल योजना द्वारा विद्युत् वितरण

२६१. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

क्या राजस्थान सरकार निश्चित रूप से यह कह सकती है कि भाखरा नांगल प्रोजेक्ट द्वारा बिजली सन् १९६२ तक तथा चम्बल प्रोजेक्ट द्वारा सन् १९५९ तक योजना के अनुसार सब को मिल जावेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : भाखरा से बिजली १९५९–६० व चम्बल से १९६०–६१ के वित्तीय वर्षों में योजनानुसार विद्युत् सप्लाई हो जानी चाहिये। ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं हैं।

उच्चतर माध्यमिक एवं हाईस्कूल परीक्षाओं के परिणाम

२७० **डा० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में उच्चतर माध्यमिक एवं हाई स्कूल परीक्षाओं के परिणाम क्या क्या प्रतिशत रहे हैं ?

(२) धौलपुर के विद्यालयों में गर्ल्स हाई स्कूल का एवं हायर सैकन्डरी स्कूल का परीक्षा-फल कितना प्रतिशत रहा है ?

(३) क्या यह सच है कि परीक्षा-फल का प्रतिशत गिरा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (१) सन् १९५८ में क्रमशः ४५ तथा ४३ प्रतिशत रहे।

(२) इस वर्ष गर्ल्स स्कूल का ४८ प्रतिशत तथा महाराणा मल्टीपर्पज हायर सैकन्डरी स्कूल का ३२ प्रतिशत रहा है।

(३) केवल महाराणा मल्टीपर्पज हायर सेकन्डरी स्कूल का गिरा है क्योंकि प्रथम तो हाई स्कूल से मल्टीपर्पज का कोर्स भिन्न है जो करीब करीब इन्टर के बराबर पड़ता है। दूसरे यह फाइनल परीक्षा का प्रथम वर्ष है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या अध्यापकों का अभाव कारण नहीं रहा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल बसवा के अध्यापक

२९२. **श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (चांदीकुई) : Will the Minister for Education please state:

(a) What is the total sanctioned strength of the teaching staff at the Government High School, Baswa ?

(b) What is the total number of teachers working in this school at present besides the Head Master ?

(c) Who is responsible for the shortage of staff in this Institution and for the loss sustained by the students ?

(d) What action has the Government taken so far against the persons responsible for it ?

(e) When it is proposed to make good the shortage of staff ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) १७ मुख्याध्यापक सहित।

(ख) १६ मुख्याध्यापक के अतिरिक्त।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह १६ जो बताई, यह किस तारीख से है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आज जिस तारीख से उत्तर दे रहा हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप आज की बात कहते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आज तो शायद स्कूल बन्द होगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पर स्ट्रेन्थ तो वह की वही रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त।

१२.२ म० प०

नवयुग में प्रकाशित सभापति महोदय द्वारा दिये गये निर्णय-सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार का प्रश्न। दैनिक पत्र नवयुग के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह, वि० संख्या १४ ने निम्नांकित सूचना दी है।

"जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवयुग ने दिनांक ३० अक्टूबर, १६५८ के अन्त में विधान सभा की दिनांक २९ अक्टूबर, १६५८ की कार्यवाहियों का विवरण मुखपृष्ठ के कॉलम नम्बर ६-७ में दिया है, उस विवरण में यह उल्लेख आया है कि जनसंघ के सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने जो उस समय अध्यक्ष के आसन पर थे, श्री भैरोंसिंह (जनसंघ) के सुझाव को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी कि विधेयक में काफी संशोधन किये गये हैं; अत: इसे पारित करने से पूर्व एक बार पुनः विचार कर लिया जावे और विधेयक को कल पारित किया जावे।"

उपर्युक्त विवरण की भाषा से ऐसा लगता है कि जैसे अध्यक्ष पद पर आसीन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, जो जनसंघ के सदस्य हैं, उन्होंने जनसंघी सदस्य, श्री भैरोंसिंह के सुझाव को स्वीकार करके पक्षपात किया है। व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष पद पर आसीन विधान सभा का कोई भी सदस्य राजनैतिक दलबन्दी के स्तर से ऊंचा उठकर विधान सभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है और इसी कारण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति अध्यक्ष पद पर आसीन रहते हैं। अब उनका सम्बन्ध न तो किसी राजनैतिक पार्टी से होता है, न किसी पार्टी से ही जोड़ा जा सकता है। नवयुग का यह विवरण स्पष्ट रूप से इन दोनों बातों का उल्लंघन है तथा अध्यक्ष पद पर आसीन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल पर छींटाकशी है। अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति पर छींटाकशी से सदस्यों की मानहानि होती है। नवयुग ने इस समाचार से सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करते हुए सदन की मानहानि की है। अतः यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।"

उपरोक्त सूचना के साथ प्रेस कटिंग पेश किया गया है। उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्थान पशु रोग विधेयक पर खण्डशः विचार करते समय जिन-जिन माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया है, उनके नामों के साथ ही उनके दलों का नाम भी दिया गया है और इस तरह से उस समय जो माननीय सदस्य सभापति के आसन पर थे उनके नाम के साथ उनके दल का नाम भी निर्दिष्ट किया गया है और इससे यह बात उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। इसको पढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त पत्र द्वारा उक्त सभापति महोदय पर किसी प्रकार की छींटाकशी करने का प्रयास किया गया है। ऐसी दशा में यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(श्री अध्यक्ष)

आज का दिन अशासकीय कार्य के लिये नियत किया गया है। डॉक्टर बहादुरसिंह अपने विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव करेंगे।

१२. ४ म० प०

राजस्थान मृत्युभोज (प्रतिबन्ध) विधेयक, १६५६

(पुरःस्थापित)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं राजस्थान मृत्युभोज (प्रतिबन्ध) विधेयक, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: on a point of Information, Sir, have the copies of this Bill been distributed to the Hon. Members ?

अनेक माननीय सदस्य : Not at all.

श्री अध्यक्ष : आपने क्या प्रस्ताव किया, कृपया दोहरावें।

डॉ० बहादुरसिंह : आज्ञा प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज्ञा तो बिना विधेयक को देखे किस प्रकार दी जावेगी ?

श्री भैरोंसिंह (१४) : बिल सदस्यों को मिलता पहले तो उसके ऊपर विचार करके फिर सदन उस पर अनुमति दे सकता है। न बिल है और न बिल में क्या है इसका उनके भाषण में जिक्र है, इसलिये ब्लैंक पेपर पर सदन की अनुमति लेना किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट स्टेज पर कॉपी उपलब्ध हो जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगी है, तो जब तक कॉपी हमारे पास नहीं होगी क्या अनुमति देंगे ?

श्री श्रीभानसिंह : वे ऐसा कोई प्रोविजन तो बतावें जिसकी तहत माननीय सदस्य चाहते हैं कि कॉपी सर्कुलेट हो।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है कि जिससे सदन से अनुमति मांगी जावे और सदन को यह भी मालूम न हो कि किसलिये किस बात पर अनुमति मांगी जा रही है। तो इस तरह का भी कोई नियम नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : इन्ट्रोडक्शन के पहले कोई आवश्यक नहीं कि बिल पेश किया जावे। इन्ट्रोडक्शन की स्टेज अभी नहीं है, अभी तो केवल अनुमति मांगी जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : इन्ट्रोडक्शन किस बात का ? वह बात तो पहले बतानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : (श्री बहादुरसिंह से) इस विधेयक के बारे में आप कुछ बता दें।

डॉ बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह मृत्युभोज प्रतिबन्ध विधेयक इसलिये पेश करना पड़ रहा है कि पिछली बार हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू जब राजस्थान में पधारे थे तो उस अवसर पर एक पंचायत सम्मेलन भी हुआ था। उस वक्त एक पंच महोदय ने मांग की थी कि राजस्थान में मृत्युभोज पर प्रतिबन्ध लगाना जाना चाहिये। मेरे इस विधेयक में पूरी तरह से उस धार्मिक

(डॉ बहादुरसिंह)

कृत्य को प्रतिबन्धित करने का नहीं है, बल्कि इसके अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि धार्मिक कृत्य पूरा हो;पर उसके नाम से अपव्यय रोका जावे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कुछ नियम बनावेगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसका बिल पढ़ेंगे तो बात समझ में आ सकती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : पढ़ेंगे क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : इसमें इस प्रकार की भी व्यवस्था है कि एक व्यक्ति की जो आय होगी, उसके अनुसार ही वह खर्च कर सकेगा। अगर उसकी आय ५००) रु० मासिक है तो वह इससे अधिक व्यय नहीं कर सकेगा। इस प्रकार का प्रोवीज़न है इसमें।

श्री मदनसिंह दांता : यह तो फिर बन्द करना नहीं है, इसमें तो सीलिंग हो। कितनी आमदनी है, कौन मरे तो कितना हो, वह तो क्लियर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जावेंगी और विचार करने की स्टेज आवेगी तो प्रतियां पहुँच जावेंगी।

श्री मदनसिंह (दांता) **:** यह समझ में ही नही आया कि यह विधेयक बन्द करने का है या क्या है ?

श्री शोभानसिंह (बवाना) **:** On a point of order, Sir. प्रोसीज़र तो होना चाहिये। The Hon. Membar is just asking leave to introduce the Bill and if the leave is granted then he will introduce the Bill and the Hon. Members will get the copies of the Bill and they can demand at that time but not at this stage.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) **:** इसके लिये रूल ९२ में प्रोवीज़न है। इसमें साफ है :

"A Private Member, desiring to introduce a Bill, shall

(a) give notice of his intention,

(b) submit a copy of the Bill and an explanatory statement of Objects aud Reasons, together with the notice, which shall not contain any agruments. and

(c) move for leave to introduce the Bill in the House.

श्री अध्यक्ष : Yes, all this has been done, we have received a notice, we have received a copy of the Bill...

श्री अर्जनदास (अजमेर) **:** But we have not received it.

श्री अध्यक्ष : It is not desired by the Rule that this must be done.

श्री तनसिंह (बाडमेर) **:** माननीय महोदय, मैं आपका ध्यान रूल ९५ की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें यह है, "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the Member who moves and from the member who opposes the motion, may without further debate put the question.

अब आगे प्रोवीज़ो एक और है : "Provided that when a motion is

(श्री तनसिंह)

opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the Assembly, the Speaker may permit a full discussion thereon.''

मान लीजिए, अध्यक्ष महोदय, यह हम कैसे कन्सीव कर सकते हैं कि यह असेम्बली की लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स के बाहर है। इसलिए यह प्रोवीज़न देखते हुए यह प्रतीत होता है कि पहले उसकी प्रतिलिपि प्राप्त होगी तब कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं। इस क्लॉज़ ६५ को देखने से पता लगता है कि इसका सर्कुलेशन होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : यह तो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स से पता लग सकता है कि आपत्ति की जा सकती है या नहीं ?.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, जो उन्होंने स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स दिया है, This is not with us, मगर जब तक वह बताते नहीं, तब तक कैसे मालूम हो सकता है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स में बिल है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो स्टेटमेन्ट दिया था अभी। अभी पत्र जो माननीय सदस्य ने स्टेटमेन्ट दिया वह इस नियम के अनुसार काफी है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह स्टेटमेन्ट की मन्शा और स्टेटमेन्ट जो दिया उसमें फर्क था। हम तो समझ रहे थे कि मृत्यु भोज पर प्रतिबन्ध होगा, लेकिन यहां तो सीलिंग की बात है

श्री अध्यक्ष : विषय के बारे में तो आपको पता लग गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं मृत्युभोज (प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूँ।

१२. १३ म. प.

परिवार नियोजन सम्बन्धी अशासकीय संकल्प

श्री भोलानाथ (लछमनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ :

"यह सदन की राय है कि बढ़ती हुई आबादी का नियंत्रण करने के लिए राजस्थान सरकार अन्य राज्यों की भांति परिवार नियोजन के लिए शीघ्र कारगर कदम उठावें।"

यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत पहले ही चर्चा हो जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा ही नहीं, बल्कि अमल भी।

श्री भोलानाथ : अमल नहीं हो रहा है, अगर अमल हो जाता तो बड़ी खुशी की बात होती।

श्री श्रीभानसिंह : Charity begins at home.

श्री भोलानाथ : जिस समय इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट और असली रूप

(श्री भोलानाथ)

हमारे सामने आया उस समय इस विषय पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिला और यही वजह है कि जितना ध्यान इस विषय पर जाना चाहिए था उतना नहीं गया। सरकार की ओर से भी जैसा कि मैंने इस प्रस्ताव में कहा है, उस प्रकार से कार्यवाही नही हुई, जिस प्रकार की जाने की मानस की इस आयोजना में जो व्यवस्था है उस पर कुछ अमल किया जा सकता। परिवार नियोजन के संबंध में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यदि देखा जाये तो जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स हैं, उनमें सबसे पहले इसी बात पर जोर दिया गया है और मैं यह मानता हूँ और जब मैंने इसे ध्यान से पढ़ा तो आज जितनी स्कीमें चल रही हैं, वे आवश्यक हैं, इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स भी आवश्यक हैं, सड़कें भी आवश्यक हैं और हैल्थ सेनिटरी के काम भी आवश्यक हैं। पर मैं यह मानता हूँ कि ये सब स्कीमें बेकार साबित हो सकती हैं अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो। और वह मैं आपको शास्त्रीय ढंग से या किसी डॉक्टरी या और पद्धति से इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास एक किताब शास्त्रीय ढंग की परिवार-नियोजन की है, एक फेमिली प्लानिंग डॉक्टर की है। मैंने यह देखा कि यहां पर इस विषय पर, इस बात पर शास्त्रीय ढंग से चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। कल ही जमींदारी एबोलिशन बिल का सवाल आया उस समय भी यहां सवाल आया कि आखिर हम सोशियल ऑर्डर को बदलना चाहते हैं या नहीं, लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं या नहीं, हम नीचे से ऊपर लोगों को ले जाना चाहते हैं या नहीं, देश को हमें आगे बढ़ाना है या नहीं, लेकिन इन बातों पर असर किस बात का होगा और इन बातों का असर किस पर निर्भर करता है? हमें उसी बात पर विचार करना होगा। अगर उसी बात पर विचार करें तो जो मेरा संकल्प है उसी पर पहले सोचना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स ठीक हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स के पीछे जो प्लानिंग है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ :

"A sizeable increase in nation a income so as to raise the level of living in the country or reduction of inequaities in income will have more even distribution of economic power and expansion of employment opportunities.. •

और चौथा जो है वह इन्डस्ट्रियलाइजेशन है। आपने देखा होगा जो पहला है वह यह है कि नेशनल इन्कम बढ़े, दूसरा मैंने बताया कि एम्प्लायमेन्ट मिले, तीसरा बताया है कि जो वैल्थ है उसका प्रोपर डिस्ट्रिब्युशन हो, इन्कम और वैल्थ में जो इन-इक्वेलिटी है उसको खत्म किया जाये। लेकिन यह सब कुछ हो सकता है सिर्फ इन्डस्ट्रिलाइज़ेशन होने से। लेकिन अगर हम इस पर विचार करें कि इस बात पर हम कितना धन खर्च कर रहे हैं और इस तरफ कितनी कार्यवाही कर रहे हैं। आखिर हम किस तरह से बढ़ें, धन किस प्रकार से बढ़े और बंटे किस प्रकार से? अगर हमारे हिन्दुस्तान की आबादी पर नियंत्रण नहीं है, जैसा कि मैंने अभी सेकिण्ड फाइव इयर प्लान की रिपोर्ट में पढ़ा तो मुझे डर लगता है, उसमें लिखा है कि हमारी आबादी के बढ़ने की रेट क्या है? हमारी आबादी में १२। लाख आदमी हर साल बढ़ रही है और ५१ हजार के करीब

(श्री भोलानाथ)

अन्दाजा लगाते हैं कि मरते हैं। १२। लाख सालाना के हिसाब से आबादी बढ़ती जायेगी और आगे कहते हैं कि यही आबादी ६१और ७० में जो इस समय १२। लाख के हिसाब से बढ़ रही है वह १३-३ लाख से बढ़ने लगेगी और यही आबादी फिर ७१ से ८० के अन्दर १४ लाख से बढ़ने लगेगी। हमारे प्लान का जो उद्देश्य है वह यह है कि हम देश की आय को किस प्रकार से दुगुना कर सकते हैं ? जो अन्दाजा इस समय हमारा कन्ज़म्पशन का है, उसके मुताबिक हम आय को ३० वर्षों में दुगुना करना चाहते हैं। इस प्रकार से हम हिन्दुस्तान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने खर्च करने के तरीके पर कन्ट्रोल करना चाहते हैं और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम बराबर उधर इस पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं और उसकी तरफ हमारा बहुत कम ध्यान है। मैंने यह देखा कि जो देश प्रोस्परस हैं, उन्नतिशील देश हैं, उनकी आबादी का मुकाबिला हमारे से किया जाय तो हम देखेंगे कि यू० एस० ए० में एक स्क्वायर माइल के अन्दर ५ आदमी रहते हैं, यु० एस० एस० आर० में एक स्क्वायर माइल के अन्दर ५ आदमी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ३ आदमी रहते हैं वहाँ हिन्दुस्तान में ३०० आदमी रहते हैं। तो जिस देश में ३०० आदमी रहते हैं और एक देश में ५ आदमी रहते हैं तो नेशनल वैल्थ किसकी बढ़ेगी। जिस देश में पांच आदमी पर स्क्वायर माइल रहते हैं उस देश की ६० गुना काम करने की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें विचार करना होगा। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के ऊपर जो कि ग्रोथ आफ पॉपुलेशन के अन्दर सेकिण्ड फाइव इयर प्लान में पृष्ठ ७ में दिया है उसको पढ़ें। उनसे अपने को वार्न किया है कि अगर हम लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो भय है कि हमारा सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान भी फेल हो सकता है। मैं एक्चुअल वर्डिंग्ज जो उसमें हैं उनको मैं पढ़कर सुनाता हूँ:

"There is no doubt that under the conditions prevailing in a country like India, the high rate of population growth is bound to affect aversely the rate of economic advance and living standard per capita.

तो यह जो प्रस्ताव मैंने आपके सामने रखा है यह ऐसा प्रस्ताव है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इस पर खास तौर से विधान सभा के माननीय सदस्यों को गंभीरता से विचार करना होगा। कभी कभी गवर्नमेन्ट की तरफ से यह बात आती है कि पांच रुपये बढ़ा दिये, दो सौ ढाई सौ तक के कर्मचारियों के बढ़ा दिये और कुछ इन्क्रीमेन्ट दे दिये। यह ठीक है, जो कुछ भी रिलीफ हम उन्हें देते हैं उससे उनको कुछ आराम जरूर मिल जाता है। लेकिन यह पाँच-दस रुपया बढ़ाने से लोगों को आराम मिल जाता है ? हमारी आबादी बराबर बढ़ रही है, तो पांच दस रुपयों से मेरे ख्याल से जिस अनुपात से आबादी बढ़ रही है उससे कोई उनको रिलीफ नहीं मिलती है। इस पर हमें विचार करना होगा। आप यह देखें कि जिन आदमियों को आप रिलीफ देना चाहते हैं उनके यहां आबादी किस प्रकार बढ़ रही है ? तो सरकार जो टेक्स लगाकर और दूसरे रिफॉर्म्स करके, अपने उद्योग-धन्धे बढ़ाकर जो इनकम बढ़ा रही है और जो आबादी बढ़ रही है जो कि आवश्यकता से अधिक हो जाती है उसका पोषण करने के लिए यह रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है। तो मेरा खुद का यह ख्याल है कि सबसे पहले जब कि हमारी यह राष्ट्रीय

Page No.35

(श्री भोलानाथ)
सरकार है और हम सब लोग जनता के सेवक हैं, खास तौर से गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स, जो कि जनता के सेवक कहलाते हैं उनको इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि जो आबादी बढ़ रही है उस पर चैक करने में सहायक हों। उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इस प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वह स्वयं सेवक के रूप में जनता के सामने जायें और नमूना पेश करें। हमारा असली उद्देश्य है राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का, उसमें हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो एक तरह से हम अपने गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की जिम्मेदारी लेते हैं कि उनको भूखों नहीं मरने दें, जहां तक हो अच्छी से अच्छी तनख्वाह दें, दूसरे इन्श्योरेन्स के जरिये फेमिलीज़ को जहां तक हो सके आराम देने की कोशिश करें मृत्यु के बाद। सर्विस से अलग हो जाने के बाद सुखी रहें, उन लोगों को ऐसी सुविधा प्राप्त हो। सरकार की देखरेख में यदि वे इस फेमिली प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें, उनका सहयोग हो सही तरीके से तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जनता के ऊपर भी इस बात का असर पड़ेगा। आज ग्रामीण इस बात को नहीं समझता है। वह समझता है कि फेमिली प्लानिंग का प्रोग्राम खराब बात है। वह इसको आसानी से समझ नहीं पाता है। वह कहता है कि भगवान् की देन है बच्चे पैदा होना, लेकिन आज के युग में यह बात नहीं कही जा सकती। आज का जमाना है प्लानिंग का और इस प्लानिंग के युग में हर नागरिक को प्लानिंग करना होगा, आमदनी को बजट से खर्च करना होगा। २०-२५ वर्ष की उम्र में नौकरी में आ जाता है तो नौकरी में आने के बाद उसको मालूम है कि रिटायरमेंट की एज तक उसकी कितनी आमदनी आखिर मिलने वाली है, पैन्शन में कितना मेरे पास पैसा रहने वाला है, तो फिर उसको इस प्रकार से बजट बनाना पड़ेगा जिसके अनुसार वह अपनी आदत डाल सके। अगर इस प्रकार की आदत नहीं है तो सरकार की तरफ से इस तरफ कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार इस प्रकार का लाइसेन्स दे। एक फेमिली में आम तौर पर एवरेज इस प्रकार का बजट हो कि जिससे वे अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सकें। हम जिस तरह से पढ़ाना चाहें पढ़ा सकें। आज एजुकेशन महंगी होती जा रही है। हम देखते यह हैं कि मुल्क में अगर टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी गई तो निश्चित रूप से यह मुल्क और मुल्कों से पिछड़ जायगा। जहां तक एग्रिकल्चर रिफॉर्म्स का सवाल है यह इस बात का है कि इसकी वजह से हम थोड़े बहुत लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। लेकिन मुल्क केवल खेती की इन्कम बढ़ाकर ही सारी बातों में तरक्की नहीं कर सकता है, जहां पर ७० फी सदी लोग खेती में लगे हुए हों। यद्यपि हम चाहते हैं कि खेती की आमदनी को दुगुना कर दें, लेकिन ७० फी सदी पॉपुलेशन को खेती पर रख कर किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की है, उससे स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग किसी मुल्क का नहीं बढ़ा है। इस पुस्तक में जो आंकड़े छपे हैं उसके अनुसार माइनिंग और फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं उनकी आमदनी खेती करने वालों की आमदनी से पांच गुनी ज्यादा होती है। यह निश्चित बात है कि हमको बहुत कुछ आबादी को इन्डस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के अन्दर लाना होगा। इन्डस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में लाना है तो उनको टेक्निकल एजुकेशन देनी होगी और जब टेक्निकल एजुकेशन देना है तो उसके लिए पैसा

Page No.36

(श्री भोलानाथ)

चाहिए, रुपया चाहिए। आप किसी इन्जीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चे को भेजते हैं या मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं या शिक्षा विभाग लड़कों को पढ़ाने की ट्रेनिंग वगैरह में भेजता है, पहले तो शिक्षा विभाग मास्टरों को ट्रेनिंग दिया करता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मास्टरी की ट्रेनिंग देने के लिए भी सरकार खर्चा नहीं देती है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्लानिंग को कामयाब करने के लिए हमें सब तरह से विचार करना होगा।

हमारी बहुत बड़ी आबादी जो कृषि के अन्दर है, उसको इन्डस्ट्री में ले जाना होगा। इन्डस्ट्री में ले जाने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग देनी होगी और यदि टेक्निकल एजुकेशन देनी होगी तो फेमिली की इन्कम के बारे में सोचना होगा, उसका प्लानिंग करना होगा। इस दृष्टि से विचार करना होगा, और इस दृष्टि से विचार किया जायगा तो समझ में आयेगा कि यह बहुत बड़ी बात है। यह भाखरा डेम बनाने की बात है। हमको पानी किस तरह मिलेगा, अगर डेम नहीं बनेगा तो। यह ठीक बात है लेकिन भाखरा डेम पर काम करने के लिए बहुत बड़े-बड़े इन्जीनियर हमें बाहर से मंगाने पड़े तो इसलिए हमारे बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन देनी होगी। टेक्निकल एजुकेशन बड़ी मंहगी एजुकेशन है और उसको सभी मीन्स का आदमी नहीं दिला सकता है। एक क्लार्क के दिमाग में भी है कि उसका बच्चा इन्जीनियर बने, डॉक्टर बने; लेकिन जब जब चार-पांच बच्चे हो जाते हैं तो उसके लिए उनको मैट्रिक पास करना भी दुर्लभ हो जाता है और दो–तीन बच्चे और हुए तो और मुश्किल बात होती है। उसको अभी यह समझ में आता है कि बच्चे भगवान् की देन है। यह भी कहा जाता है कि गरीबी के अन्दर बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और अमीरों के यहां कम बच्चे पैदा होते हैं। इसी दृष्टि से अगर गरीबी को मिटाना है तो यह और भी जरूरी हो जाता है। अच्छे नागरिक पैदा करना है, अच्छे टेक्निशियन पैदा करना है और बहुत बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर पर से प्रेशर हटाना है तो भी यह आवश्यक हो जाता है कि फेमिली प्लानिंग के बारे में सोचें।

इसका बजट प्रोविज़न दिया गया है, उस बजट प्रोविजन के मुताबिक भारत सरकार राज्य सरकारों को काफी मदद देती है और जाहिरा कहा जाता है कि इस प्रकार से अमल होना चाहिए। आपने देखा होगा और शायद पढ़ा भी होगा इस चेप्टर को कि काफी असिस्टेन्स इसके लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आई है।

"Assistance in the shape of subsidies or grants was given to the States."

मुझे मालूम नहीं कि अपनी स्टेट को क्या मिला है, शायद अपने जवाब में मिनिस्टर महोदय जो इन्चार्ज डिपार्टमेंट के हैं, वे बतायेंगे कि हम लोग कितनी ग्रान्ट या सब्सिडी इसके लिए भारत सरकार से ले रहे हैं और अगर लेते हैं तो इस प्रकार से खर्च हो रहे हैं। इसमें जो दिया गया है वह इशारा किया गया है कुछ बातों का डिटेल में नहीं है, डिटेल में स्कीम और होगी, जो मेरे पास इस समय नहीं हैं। लेकिन खास तौर से एक बात कहना चाहता हूँ कि it is proposed to establish the units. one for 50,000 population.

इसमें ५० हजार की आबादी पर एक सेन्टर खोलने के लिए जरूर कहा गया है। इस

Page No.37

(श्री भोलानाथ)

प्रकार से सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं को बहुत कुछ पैसा देने की बात कही गई है। इसलिए सरकार इस बात पर विचार करे और भारत सरकार से जो पैसा मिले वह ठीक तरह से खर्च करें। कम से कम ५० हजार की आबादी पर एक अच्छा सेन्टर हो, जिसमें कि फेमिली प्लानिंग के बारे में ट्रेनिंग हो।

तो मेरा २–३ बातों पर खास तौर से जोर है। एक तो बात यह है कि कम से कम गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स, जैसा कि और रियासतों में हुआ है, और राज्यों में यह बात दिखाई गई है कि उस पर अमल कराये जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि मद्रास राज्य में इस प्रकार का प्रस्ताव आया है, इस प्रकार की आयोजना की गई है कि वहां पर जिसके तीन बच्चे हो गये हैं, उसको आॅपरेशन करवाने के लिए इजाजत सरकार से ले लेनी पड़ती है और सरकार जोर देती है कि अगर इस प्रकार से स्टर्लाइज करवाने की कोशिश करेंगे तो २५ रु० की मदद मिलेगी। और २५) रु० देना भी स्वाभाविक बात है कि हर आदमी जो होस्पिटल में जाता है तो वैसे ही तो आजकल डॉक्टरों का बरताव ठीक नहीं होता है, बेड्स नहीं मिलते हैं, आॅपरेशन की सुविधा नहीं मिलती हैं, और वह १०–५ दिन बेड में कन्फाइन्ड रहे तो आमदनी कहां से आये, बड़ी मुश्किल बात है। आज कोई भी इलाज कराया जाता है, उसमें खर्चा बहुत होता है। खास तौर से जब एक चपरासी इलाज करवाये, या एक क्लर्क इलाज करवाये तो उसको होस्पिटल में दाखिल होना होगा। इस प्रकार की कई दिक्कते है और फिर डर भी है। वे समझते हैं कि न मालूम क्या झगड़ा है, इससे कोई खराबी तो नहीं होती हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ और हाउस के जरिये आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरों की राय है कि आॅपरेशन के बाद स्वास्थ्य ठीक रहता है।

श्री मूलचन्द डागा : आपको अनुभव है क्या ?

श्री अर्जुनदास : Is it for the gents or for the females as well ?

श्री भोलानाथ : Males and females both.

इसके आॅपरेशन के बाद में पुरुष के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। बर्थ कंट्रोल के बारे में एक किताब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यह विधान सभा लाइब्रेरी की किताब है और इस पर ५२५६ नम्बर लगे हुए हैं। इसमें डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, राजकुमारी अमृतकौर आदि के फोटोज़ लगे हुए हैं...

श्री अर्जुनदास : बद्रीप्रसादजी का भी फोटो है या नहीं ?

श्री भोलानाथ : बद्रीप्रसादजी इसका उद्घाटन करेंगे, तब उनका फोटो भेज देंगे। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि ये दो बातें हैं जो आपके सामने हैं। वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं इस बारे में। गवर्नमेन्ट होस्टल के सामने भी परिवार नियोजन के लिये एक बोर्ड लगा हुआ है। गवर्नमेन्ट ने कई जगह इसका इन्तजाम किया है। अलवर में भी एक डॉक्टरनी रखी हुई है, उसकी कम्पलेन्ट है कि मेरे पास न तो आज तक कोई मर्द आया और न कोई औरत आई।

श्री अर्जुनदास : आप खुद नहीं पधारे ?

[redacted]

श्री भोलानाथ : मैं तो जयपुर में आ गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जिस डॉक्टर ने स्टरलाइज किया, उसने कहा था कि यह मामला १०–१२ मिनट से ज्यादा का नहीं है। इस पुस्तक में भी लिखा है कि यदि आपको आवश्यकता हो दुबारा बच्चे पैदा करने की तो उसके लिये भी व्यवस्था है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये वातावरण बनाना चाहिये। इस बार फेमिली प्लानिंग का ब्लॉक्स में भी आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टरों को कहा जा रहा है कि इसकी व्यवस्था करें। अन्य राज्यों की तरह हमारे राज्य में भी सरकार कार्यवाही करे तो काफी भला हो सकता है। मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ कि इसको न केवल सिद्धान्त के रूप में ही माना जाय या किताब में लिखा है उसी तरह रखा जाय, बल्कि मैं यह कहता हूँ कि राजस्थान एक बढ़ता हुआ राज्य है, हम इसमें रिफॉर्म्स इन्ट्रोड्यूज करना चाहते हैं, जनता को खुशहाल बनाना चाहते हैं, यदि हम जनता को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें बढ़ती हुई आबादी पर नियन्त्रण करना होगा और हमें अपनी सीमित साधनों की ओर ध्यान देना होगा और बढ़ती हुई आबादी को चैक करने की कार्यवाही करनी होगी। अन्य राज्य भी ऐसा ही कर रहे हैं, केरल वाले भी इसके लिये कोशिश कर रहे हैं। चीन देश ने तो इसको खास महत्व दिया है। चीन ने जो प्रगति की है उसको देखने के लिये हमारे यहां से भी बहुत से लोग जाते हैं, वहां कैसा प्लानिंग चल रहा है, इसे देखने जाते हैं। इस सब्जेक्ट को उन्होंने ज्यादा इम्पोर्टेन्स दी है क्योंकि उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। वे सोचते हैं कि देश की आबादी यदि इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। चीन के बारे में यह बात मशहूर है कि सबसे ज्यादा आबादी वहां की है। इसको वे रोकना चाहते हैं, इसलिये उन्होंने इस ओर भी कदम उठाया है।

मैं राजस्थान सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इसके लिये जो प्रोविज़न किया है, उसका पूरा फायदा उठावें और इस काम के लिये हमको भी कुछ खर्च करना पड़े तो खर्च करें। आपको भी नमूना पेश करना चाहिए, एक नमूना मद्रास ने पेश किया और दूसरा नमूना केरल पेश कर रहा है। इसलिये राजस्थान को तीसरा नमूना पेश करना चाहिये। हमारे पास जो साधन माइनिंग के, जो रिसोर्सेज़ एग्रिकल्चर आदि के हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें इस ओर भी कदम बढ़ाना चाहिये।

मुझे १० वर्ष पहले मलाया जाने का अवसर मिला था। उस समय वह देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों के मातहत था। स्वाभाविक तौर से यह माना जाता है जो देश किसी के मातहत होता है उसके शासक इस बात की कोशिश करते हैं कि देश की आबादी बढ़े और वह देश गरीबी के कारण दबा हुआ रहे और उनका शासन बना रहे। अंग्रेजों के बारे में भी यही माना जाता था कि उनकी यह पालिसी होती है कि मलाया के लोगों को गरीब बनाया रख कर दबाये रखें, लेकिन मैंने वहां पर देखा कि उस जमाने में भी वहां पर फेमिली प्लानिंग का जोर था। वहां पर रांगा आदि धातु काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। जो लेबरर्स फेक्ट्रीज़ में काम करते थे, उनकी हालत बड़ी अच्छी थी। कई कई फेक्ट्रीज में तो २०-२० या २५-२५ हजार रुपये एक एक को बोनस के रूप में बांटे जाते थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी कि

(श्री भोलानाथ)

आमदनी के साधन बहुत थे और खाने वाले लोग कम थे, क्योंकि वहां की आबादी को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता था। लोगों का रजिस्ट्रेशन होता था और बर्थ्स को कंट्रोल करते थे।

आज हमारे यहां भी प्लानिंग का युग चल रहा है। फैक्ट्रीज़ खोलनी है तो उसका प्लानिंग होता है, एग्रिकल्चर का प्लानिंग होता है, और और चीजों का भी प्लानिंग होता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है उसका हम प्लानिंग नहीं करना चाहते। अभी मैंने पढ़कर सुनाया, इसमें वारनिंग है कि यदि यही हालत रही आबादी के बढ़ने की तो हमारा प्लान फैल हो सकता है, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ाने का जो टार्गेट है वह भी फैल हो सकता है। इसलिये हमें इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी कारण से मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

आज अखबार में बड़ी इन्ट्रेस्टिंग खबर थी। होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक्सीडेन्ट्स इसलिये ज्यादा होते हैं कि हमारे यहां आबादी ज्यादा बढ़ रही है। मैं निवेदन करता हूँ कि बढ़ती हुई आबादी को रोकिये। आबादी बढ़ रही है इसलिये एक्सीडेन्ट्स की संख्या बढ़ रही है, यह खबर बड़े हैडिंग में दी है। ये हर तरह के एक्सीडेन्ट्स हैं। इन एक्सीडेन्ट्स को रोकने के लिये हमें आगे कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह कोई कारगर कदम उठावे। मैं बोर्ड बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। जैसे अलवर में डॉक्टरनी रख दी है और उसको व्यर्थ में अलाउन्स मिल रहा है; इस तरह के वेस्टेज के पक्ष में भी मैं नहीं हूँ। सेन्टर से रुपये मिल रहे हैं इसलिये किसी डॉक्टर को अलाउन्स दे दिया जाय या बोर्ड बना दिये जायं, इससे ही काम नहीं चलेगा। हमको इस बारे में स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करने चाहिये कि कितनों ने ऑपरेशन कराये। जब इस तरह को स्टेटिस्टिक्स सामने आयेंगी तभी लोग समझ सकेंगे कि इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। स्टेटिस्टिक्स प्रकाशित होनी चाहिये। विधान सभा में इसके बारे में सवाल आयेंगे और अखबारों के जरिये जनता तक खबर पहुंचेगी, तभी जनता में जो भय है वह दूर होगा और वह समझेगी कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई खराबी पैदा हो जाय। मैंने आपसे बताया कि इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। डॉक्टरों की रिपोर्ट भी इसके पक्ष में है और सभी लोग कहते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिये भी उपयोगी है। इसके कारण फेमिली बजट में बचत होगी और अच्छे नागरिक पैदा करने के लिये साहस के साथ हम काम कर सकेंगे। यदि हमारी लिमिटेड इन्कम रहेगी तो कैसे काम करेंगे? इसके शिक्षण के लिये और कारगर कार्यवाही करने के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से कदम उठाना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि ब्लॉक्स में भी ऐसे कैम्प्स लगाने की बात चल रही है, पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के कैम्प लगाये जायेंगे। आम लोगों को और किसानों को कहेंगे कि इस इस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं और इसके लिये इस इस प्रकार से सुविधाएं सरकार देती है उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मैं जोर देता हूँ गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के लिये। जैसा मद्रास सरकार ने कहा कि ३ बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिये या दूसरी शादी को रोक दिया, उसी तरह हमारे यहाँ भी

(श्रीभोलानाथ)

कर सकते हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार बनने के बाद इस प्रकार का कानून बना है। कई मिलिटरी ऑफिसर्स के खिलाफ और बड़े आदमियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आज भी यह कानून मौजूद है कि कोई भी गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट दूसरी शादी नहीं कर सकता। जो लोग गवर्नमेन्ट सर्विस में आते हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार लेती है, उनकी तनख्वाह बढ़ाती है, मंहगाई का भत्ता बढ़ाती है, उनके इन्श्योरेन्स की जिम्मेदारी भी सरकार लेती है; तो क्या वजह है कि ज्यादा बच्चे पैदा करके सरकार के खर्च को बढ़ाने की प्रवृत्ति को न रोका जाय। यदि आप इसको रोकने का प्रबन्ध करेंगे तो बहुत अच्छा कदम उठावेंगे। आगे चलकर सीलिंग आने वाला है, एक भयंकर चीज़ आनेवाली है। इस सीलिंग में क्या है आप फेमिली सीलिंग करने वाले हैं। और सीलिंग की जो आपके सामने रिपोर्ट आई, उसमें फेमिली का मल्टीप्ल नहीं है, जैसा प्लानिंग में दिया हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लैंड रिफार्म्स में आयन्दा जो सीलिंग फिक्स किया है, उसमें फेमिली का मल्टीपल हो। एक, दो, तीन की फेमिली का क्वान्टम तय करना चाहिए; फेमिली का स्टेन्डर्ड तय करना चाहिए। उसके डिफेक्ट मैं बताता हूँ कि एक फेमिली की व्यवस्था बनाई, उसके लिए जो सीलिंग फिक्स की, उसके अनुसार वह जमीन उस फेमिली के लिए काफी होगी। लेकिन आगे दो, तीन, चार बच्चे होने वाले हैं, इस कारण जो लैंड की सीलिंग फिक्स की है, वह डिवाइड होने वाली है। आपने कोई दूसरा सोर्स एम्पलायमेंट का नही पेश किया, तो वे एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग कहां जायेंगे? इससे निश्चित रूप से गरीबी बढ़ेगी, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग कमजोर पड़ेगा। आप एक लैंड रिफॉर्म्स का तरीका चला रहे हैं, उसमें उल्टा लोग बुरा-भला कहेंगे। आप लैंड रिफार्म्स की बात कहते हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को सेटिसफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मंहगाई का आपके सामने सवाल आता है, तो उसके ऊपर विचार कर, इन सब दृष्टियों से मैं मानता हूँ कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उस पर आपको विचार करना होगा और गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना होगा, इस पर कारगर कदम उठाने होंगे। यह हो सकता है कि हमारी सरकार केवल एडवर्टाइजमेंट छाप देना चाहती है, डॉक्टर्स को अलाउन्स दे देना चाहती है, लेकिन जो लोग इन सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की सहूलियत देने के लिए तैयार नहीं है। अगर तैयार है तो नेक्स्ट बजट में सही, इस प्रकार का प्रोवीजन किया जाना चाहिए। जो लोग इस तरह फेमिली प्लानिंग कराने के लिए सरकार के पास आना चाहते हैं, स्टर्लाइज़ कराना चाहते हैं, उनका उन दिनों का वेतन नहीं काटा जायगा, वेतन सहित छुट्टी दे दी जायगी, अस्पताल में दाखिला होने पर इलाज के लिए अलाउन्स दिया जायगा, खुराक के लिए इन्तजाम किया जायगा। अगर कार्यवाही की जाय तो लोग आकर्षित होगे और लोगों में जो भय है, शंका है, कि उससे खतरा आ जाता है, पुरुष में और स्त्री में विशेष प्रकार की कमजोरी पैदा हो जाती है; हमें इन शंकाओं को दूर करना होगा और मजबूती के साथ पुरुष और स्त्रियों को इस तरफ आगे बढ़ाना होगा। वैसे पुरुषों के लिए आसानी है। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को ऑपरेशन कराने में दिक्कत आती है, लेकिन पुरुष को

Page No.41

(श्री भोलानाथ)

दिक्कत नहीं आती, इसलिए पुरुष को पहले कदम उठाना पड़ेगा ।

(हंसी)

पुरुष का आसानी से काम हो सकता है, १५, २० मिनिट में काम हो सकता है...

एक माननीय सदस्य : सफलता मिलने वाली है जब दोनों का ऑपरेशन होगा ।

श्री भोलानाथ : यह शंका की बात है, कमजोर आदमी की बात है, शंका नहीं रहती है, जब दोनों का हो जाता है । वह शंका दूर हो जायगी और गड़बड़ होने की. दूसरी तरफ से, शंका नहीं रहेगी । मैं इसमें ज्यादा न जाकर सिर्फ इतना कहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करायें । अगले बजट में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए और आम पब्लिक मैन के लिए, जो फेमिली प्लानिंग में आना चाहते हैं, सुविधायें दी जाय । खास तौर से गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स में जिसके तीन बच्चे हो गये हैं, उनको ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत न दी जाय और इस प्रकार का कानून और नियम बनाया जाय । इन लफ्ज़ों के साथ मैं इस प्रस्ताव को आपकी मंजूरी के लिए पेश करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : इस संकल्प पर कुछ संशोधन आये हैं । श्री पी. के. चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष, मूल प्रस्ताव में संशोधन इस प्रकार है :

प्रस्ताव की तीसरी पंक्ति में 'अन्य राज्यों की भांति' शब्दों के स्थान पर 'रेशनल तरीकों से' शब्द प्रतिस्थापति किये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, पॉपुलेशन की जो प्रोब्लम है वह आज दुनियां की सब से बड़ी प्रोबलम है और इसको कम करने के लिए जो तरीके हमें अपनाने चाहिए वे वन साइडेड तरीके नहीं होने चाहिए, एक तरह रेशनल तरीके होने चाहिए ।

सबसे पहले आज संसार के सामने जो पॉपुलेशन की प्रोब्लम है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । आज की दुनियां में जो टोटल पॉपुलेशन है वह २००३ करोड़ पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है वह यह है कि हर साल लगभग साढ़े तीन करोड़ की पॉपुलेशन दुनियां में बढ़ती है । फर्स्ट सेकिंड में चार आदमी की पॉपुलेशन बढ़ती है । जहां तक हिन्दुस्तान का सवाल है, हिन्दुस्तान में पॉपुलेशन ३५ करोड़ की है और उसमें हर साल ५० लाख बढ़ते हैं । यह जो पॉपुलेशन का सवाल है, इसकी तरफ सब से ज्यादा ध्यान आकर्षित किया था सबसे पहले मालथस ने । थोम्स मालथस विलायत का था, उसने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था । इससे पहले पॉपुलेशन पोब्लम की तरफ नहीं सोचते थे, उसने सबसे पहले कहा था कि दुनियां में सबसे बड़ा सवाल है, वह पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी के अन्दर जो रेस चल रही है, एक तरफ तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों की पैदावार बढ़ रही है लेकिन अनाज अर्थमेटिक के हिसाब से बढ़ता है और पॉपुलेशन ज्योमेट्री के हिसाब से बढ़ती है । यह उन्हों १७९८ में कहा था । उन्होने कहा था कि इस चीज को हल करने के लिए दो चीजें हैं, दो तरीके हैं, एक तो है प्रिवेन्टिव मेथड और दूसरा हैं पोजिटिव मेथड । प्रिवेन्टिव मेथड़ में

(श्री पी० के० चौधरी)

उन्होंने बताया था कि मॉरल रेस्ट्रेन्ट वगैरह से आबादी को बढ़ने से रोकना चाहिए। दूसरी चीज वह है जो आज तक दुनिया की पॉपुलेशन को कन्ट्रोल करती आई है। इसको पोजिटिव मेथड कहते है। उन्होंने बताया कि उस मेथड में वार्स (Wars) हैं, नेचुरल केलेमिटी आदि हैं जिनसे पॉपुलेशन कन्ट्रोल हुई है। पहले पॉपुलेशन बढ़ने की रेट १ पर्सेन्ट पर एनम आ जाती थी, वह आज बढ़ कर लगभग १.१३ पर्सेन्ट हो गई है और इस रेट से हिसाब लगाकर देखा जाय तो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वह अगले ६० वर्ष के अन्दर, एवरी सिक्स्टी इयर्स में डबल हो जायगी। आज मान लीजिये कि ३५ करोड़ की पॉपुलेशन है तो ६० वर्ष के बाद १२० करोड़ हो जायगी। आज की पॉपुलेशन इन्क्रीज़ होने की रेट है, उसके मुकाबले में आज की जो मेडीकल व्यवस्था है, हैल्थ सर्विसेज हैं, इससे यह हुआ है कि डैथ रेट कन्ट्रोल हो गई है, डैथ रेट कम हो गई है, सारे पश्चिम में कम हो रही है। पश्चिम में बर्थ रेट भी कम हो गई है। ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पॉपुलेशन स्टेगनेट हो गई है, फ्रान्स वगैरह ऐसे देश हैं, लेकिन हिन्दुस्तान और एशिया के देश हैं, हमारे यहां वेलफेयर स्टेट आने के साथ देश के अन्दर हैल्थ सर्विसेज़ बढ़ी हैं, सोश्यल सर्विसेज़ बढ़ी हैं, उनसे डैथ रेट कम हो गई है, लेकिन बर्थ रेट कम नहीं हुई है और बराबर बढ़ती जा रही है और अब एक क्राइसिस सी पैदा हो रही है। इस प्रोबलम ने इतना रूप धारण किया है कि आज की दुनियां रिकग्नाइज करने लगी है, आज की दुनियां की सरकारें और पब्लिक मैन इस चीज को रिकग्नाइज़ करने लगे हैं, लेकिन मालथस ने जिस समय कह दिया था, उसके बाद इस चीज को किसी ने नहीं देखा था। लेकिन आज इसके ऊपर कॉन्फ्रेन्सेज़ होती हैं, ५४ में इसके लिये वर्ल्ड कॉन्फ्रेन्स हुई। उन्होंने कहा है कि इसको रोकने के लिये there should be a population policy किसी हैपहेजर्ड तरीके से पॉपुलेशन को बढ़ने से रोक नहीं सकते, रोकना है तो there should be a population policy. we must have a population policy और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने पॉपुलेशन पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी के तौर पर ग्रहण किया, ऐसा मूवर ऑफ दि रिजोल्युशन ने बताया है, it has been accepted as national policy in India. सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं दूसरे देशों में भी रफ्ता २ लोग इसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तरीके का सवाल आता है कि किस तरीके से रोकना चाहिये? आज जैसे हमने देखा है कि परिवार नियोजन तो नाम आज दिया है, पहले बर्थ कन्ट्रोल नाम था, तो इसका नाम परिवार नियोजन इसलिये दिया है कि it is planning of the family. थोमस मालथस ने कहा था कि इसके दो ही तरीके है, फर्टिलिटी ट्रेन्ड और पॉजिटिव मेथड्स। उसकी थ्योरी को उस वक्त क्रिटिसाइज किया था। मालथस का कहना है कि फर्टिलिटी ट्रेन्ड पॉपुलेशन के बढ़ने-घटने का कारण है, जिस देश में स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग हायर होगा, फर्टिलिटी ट्रेन्ड कम होगा, फर्टिलिटी ट्रेन्ड, एक औरत के कितने बच्चे होते हैं, यह एक साइंटिफिक टर्म है, दूसरे देशो ने असेस किया है, हमने नहीं किया है। इसका तरीका होता है कि १५ से ४५ साल तक, मोनोपाल्स नहीं आता, तब तक एक औरत के कितने बच्चे होते हैं इसका सेन्सस लिया है, १५ से ४५ साल तक ३ लड़की से ज्यादा पैदा नहीं करती तो पॉपुलेशन नहीं

Page No.43

(श्री पी० के० चौधरी)

बढ़ती । लड़कियां बढ़ने से पॉपुलेशन बढ़ती है लड़के बढ़ने से पोपुलेशन नहीं बढ़ती । तो यह अससे करना है कि १५ से ४५ साल की उम्र तक एक औरत के कितनी लड़कियां पैदा हुई, अगर तीनों से ज्यादा नहीं तो पॉपुलेशन नही बढ़ती, स्टेग्नेन्ट होता है, जैसा कि फ्रान्स में हो गया है । इसको फर्टिलिटी ट्रेन्ड कहते हैं । फर्टिलिटी ट्रेन्ड में देखा गया है कि जिसका जितना लिविंग स्टेन्डर्ड हाई होता है, कोई प्रोफेसर है, इन्टेलेक्चुअल लोग हैं, उनके बच्चे कम पैदा होते हैं, जिसका स्टेन्डर्ड आफ लिविंग जितना कम है उसके उतने ही ज्यादा बच्चे होते हैं, उसका फर्टिलिटी ट्रेन्ड ज्यादा होता है । लोग कहते हैं, यह एक कहावत हो गई है, एक प्रोवर्ब बन गया है, वर्किंग क्लास के लिये प्रोवर्ब है :

"They breed like rabbits."

ये खरगोश की तरह बच्चे पैदा करती हैं ।

मालथस इस चीज को भूल गया कि फर्टिलिटी ट्रेन्ड बढने से पॉपुलेशन बढ़ती है । सब से बहतर तरीका तो यह है कि स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढावें । इससे आप ही आप पॉपुलेशन घट जायगी । अपन खुद घरों में देख सकते हैं कि जिसका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग जितना अधिक अच्छा है उतने ही उनके कम बच्चे होते हैं और जो जितना ज्यादा गरीब है उसके उतने ही ज्यादा बच्चे मिलेंगे । इसका कारण है, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाने से जो एक प्रकार की इनर्जी है, वह और और जगहों में दूसरी तरफ युटिलाइज हो जाती है, जैसे सिनेमा हैं और जो गरीब आदमी हैं मजदूर हैं वे सब दिन मेहनत करते हैं और १०, १२ घंटे दिन को काम करने के बाद उसके लिये सेक्सुअल रिक्रियेशन के अलावा और कोई, रिक्रियेशन रहता ही नहीं है, पोपुलेशन को बढ़ने से रोकने का स्टर्लाइजेशन ही एक तरीका नहीं, स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने से भी इस पर असर पड़ेगा । पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिये और भी एक एक्सपेरिमेन्ट किया है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ । गीयन सिस्टम है, उसका एक्सपेरिमेन्ट किया है और वह एक्सपेरिमेन्ट २० प्रतिशत सक्सेसफुल रहा है । उनकी राय है कि ऐसे सिस्टम में कोई खास खर्चा नही होता, केमिकल या मेकेनिकल चीजों की जरूरत नहीं रहती, मेन्स्ट्रल सर्कल औरत का होता है, वह ८ से १० तक होता है और मंथ के मिडल में होता है, इसके अलावा बाकी के पीरियड को सेफ पीरियड माना है; इसका एक्सपेरिमेन्ट किया है वह सक्सेसफुल रहा है ; मेन्स्ट्रल पीरियड डिफरेन्ट होता है इसलिये आज इस मेथड को, जो एज्युकेटेड हैं, वे ही सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हैं । पर वर्किंग क्लास, जिनके लिए मैं मानता हूँ कि फेमिली प्लानिंग का काम दरअसल वर्किंग क्लास के लिए ही है, वे लोग एज्युकेटेड नहीं होने के कारण इस सिस्टम को इस्तेमाल में नहीं ला सकते ।

यह जो पॉपुलेशन को हम कन्ट्रोल करना चाहते हैं उसका केवल गवर्नमेन्ट के एक्शन से कि प्लानिंग सेन्टर खोल दें, इससे हो जाय, ऐसी बात नहीं है, इसका एक ही तरीका है, वह यह है कि आज का जो क्राइसिस हमारे सामने आया है उसके लिये लोगों को जागृत किया जाय, गाँव के लोगों को इस बात के लिये कॉशियस किया जाय, it is a natural cirsis.

जो वे लोग कन्विन्स्ड हो जायेंगे तो इन मेथड्स का उपयोग करने लगेंगे । जो मेकेनिकल मेथड्स हैं, उसको लोग हिन्दुस्तान में

(श्री पी० के० चौधरी)

काम में नहीं लेते। फेमिली प्लानिंग के सेन्टर खोले गये हैं उनको महिलाएं अपनाना चाहती हैं पर सबसे बड़ा सवाल उनके सामने पैसे का आता है क्योंकि जितनी डिवाइसेज़ हैं बर्थ कन्ट्रोल कीं, वे कोस्टली पड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि स्टर्लाइजेशन के सिवाय दूसरे जितने भी मेथड्स हैं, वे अभी तक पर्फेक्ट नहीं हैं।

१२. ५८ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

इसलिए हमें एक पर्फेक्ट मेथड के लिये रिसर्च करनी चाहिये। इसके अलावा स्टर्लाइजेशन का तरीका एक ऐसा तरीका है जिसे हर एक आदमी पसन्द नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो इसको कराना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि २ प्रतिशत व्यक्ति मुश्किल से होंगे जो स्टर्लाइजेशन कराने के लिये आगे आवेंगे और जो लोग आगे आवेंगे वे पढ़े-लिखे लोग ही होंगे जिनके लिए फेमिली प्लानिंग इतना जरूरी नहीं है। कम से कम एक आदमी के तीन बच्चे तो होने ही चाहिये, जिससे कि पोपुलेशन स्टेब्ल रहे। इसलिये पोपुलेशन को स्टेब्ल रखने के लिये एक आदमी के तीन बच्चे तो होने ही चाहिये।

ऐसा कहा जाता है कि इस सिलसिले में कुछ रिसर्च भी चल रही है, और पर्फेक्ट पिल्स भी निकली हैं जिनके खाने से टेम्पोरेरी १५ दिन तक कोन्सेप्शन नहीं होता। इसलिये मैं समझता हूँ कि पर्फेक्ट पिल्स को काम में लेना चाहिये।

(हंसी)

यह जो बात है, मैं हंसी में नहीं कह रहा हूँ। साइन्टिस्ट लोग चारों तरफ इस लिये खोज करने निकले हैं। अमेरिका में एक ट्राइब है वहां एक किस्म की बनस्पति वे लोग ले लेते हैं जिससे कुछ दिनों के लिए उनको गर्भाधान नहीं होता और रुक जाता है। इस बनस्पति का अर्क निकाल कर एक्सपेरिमेन्ट किया गया और देखा गया और इसका जानवरों पर इफेक्ट देखा गया तो मालूम हुआ कि यह जानवरों पर अपना इफेक्ट करता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि परिवार नियोजन के बारे में सरकार को प्रोपेगेन्डा करना चाहिये और इसके अलावा दूसरे लोग हैं उनको भी प्रोपेगेन्डा करना चाहिये। कार्यकर्ताओं और सदन के सदस्यों को भी इसके लिये कार्य करना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक इसका प्रचार गवर्नमेंट स्टेज पर नहीं होगा, दूसरे माननीय विधान सभा के सदस्य इसका प्रचार नहीं करेंगे या दूसरे कार्यकर्ता प्रचार नहीं करेंगे तब तक यह आगे नहीं बढ़ सकेगा। मैंने इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े कलेक्ट नहीं किये हैं, मगर मैं यह कहूँगा कि इसके लिये एबोर्शन बहुत होता है। जो प्रेग्नेन्सी को रोकने का वर्स्ट तरीका है। जिस एबोर्शन कराते हैं, औरतों को बहुत शारीरिक नुकसान होता है। आगे के लिए भी माताओं की तबियत को बिगाड़ देता है। यह बहुत ही खतरनाक है, मैं यह निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में एबोर्शन लार्ज स्टेज पर होता है और लोअर क्लासेज में यह बहुत ही रूड तरीके से होता है, इन रूड तरीकों को रोकने के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। दूसरे लोगों ने इसके लिए जरूर आवाज उठाई है। लेकिन इसके साथ साथ...

श्री अर्जुनदास : इसके लिए कोई

(श्री अर्जुनदास)

टाइम लिमिट मुकर्रर करनी चाहिये। यदि टाइम लिमिट हर व्यक्ति के बोलने पर नहीं लगाएंगे तो हमें बोलने के लिए समय नहीं मिलेगा। Let us have a ceiling on speeches also because we have ceiling on everything.

श्री पी० के० चौधरी : I think I have moved an amendment and hardly 2 to 3 are there.

श्री अर्जुनदास : But you have already crossed the ceiling.

श्री सभापति : Order please!

श्री पी० के० चौधरी : तो सभापति महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि हमारे जो इसके सेन्टर होंगे वहां सिर्फ प्रचार करने के सेन्टर होंगे।

दूसरी बात जो इसके विरोध में कही जाती है या उसके लिए दलीलें दी जाती हैं कि इससे मोरल गिर जाता है और the morale falls; आज इस विज्ञान के युग में to say that it is for procreation only, इसको सेपरेट मानना चाहिये, और चाइल्ड प्रोडक्शन तभी होना चाहिये जब हम चाहें। अन्यथा laxity in behaviour. आवेगी। जो लोग इसका प्रचार करना चाहते हैं कि sexual relationship है इसको यह कह कर रेस्ट्रेन बना लेंगे। यह तो एक ऐसा हो जायगा, जैसे सिनेमा या नाटक में जाते हैं उसी प्रकार की जिम्मेदारी हममें रह जाती है, मगर मैं यह कहूँगा कि ऐसी बात नहीं है, हमारी जिम्मेदारी रह जाती है और उसे हमको निभाना होता है। मेरी मान्यता है और मैं अर्ज करता हूँ कि यह rational तरीका है जिसको मन्जूर कर लिया जाए और कोई दूसरा तरीका इससे अच्छा नहीं है। कई जगह पर इसको अपनाया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारा यह social welfare का तरीका जो है वह social welfare के ideas को साथ लेकर चलता है और उसको साथ लेकर ही चला जावे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपना संशोधन पेश किया है कि इस सदन की राय है कि बढ़ती हुई आबादी का नियंत्रण करने के लिये राजस्थान सरकार अन्य राज्यों की भांति वहां उस प्रदेश की आबहवा व आर्थिक स्थिति के आधार पर परिवार नियोजन के लिये शीघ्र कदम उठाए। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, मुझे तो यह जान पड़ता है कि यह उन्होंने एक तरह से भगवान् की लीला और मर्मज्ञता को चुनौती दी है। लेकिन एक बात है और सभी लोग कहते हैं कि यह तो भगवान् की देन है भगवान् ही सभी का दाता है। ऐसा सभी लोगों का विश्वास है; चाहे वह साधु-संत हो, चाहे वह पुजारी हो, चाहे मुल्ला मौलवी हो, चाहे वह हिन्दू धर्म के बड़े बड़े पंडित हों, सब यही कहते हैं कि भगवान् की मान्यता करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। हमारे यहां कहावत भी है "सबके दाताराम"; जब मुंह चीरा है तो उसे भरने के लिये अनाज देगा ही। एक बड़ी कहावत भी है; " अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गये सबके दाता राम"; सबको खाने को मिलता है; हाथी को भी मिलता है और चींटी को भी और सबको मिलता है। इसके सम्बन्ध में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि भगवान् ने फलाने को बच्चा दिया है। जब कुछ भी करता है तो वह सब भगवान् करता

Page No.46

(श्री मूलचन्द डागा)

है। तो फिर इस प्रकार का संकल्प करना आश्चर्य की बात है और जब ऐसी बात है तो मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार के प्रस्ताव को रखने की आवश्यकता क्या है ? हम एक तरफ तो हमारे भारत की पुरानी संस्कृति की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें करते हैं। हिन्दुस्तान की हालात को देखते, हुए,राजस्थान की हालात को देखते हुए जिन्होंने जांच पड़ताल की और कमाल का प्रस्ताव रख दिया मानो ऐसा जान पड़ता है, मानवता का तकाजा है, समय की मांग है। हम मानते हैं कि जिन परिवारों में आठ दस बच्चे हो जाते हैं जिनकी आय के सीमित साधन हैं उनका, भरण-पोषण किस प्रकार से होता है ? इसके अलावा जब रात्रि में बच्चे सोये हुए हों माता-पिता को यह मन में रहता है कि ये हमारे कुल दीपक हैं। किन्तु सभापति महोदय, जिस रात्रि के समय यदि कोई बच्चा बीमार हो और रात्रि को नींद नहीं लेने दे, उस समय उन माता-पिताओं के मुख से एकाएक यह आवाज निकालती है कि यह हमारे कौन से रात्रि के कलंक हैं, जिनके कारण हमें दुख भोगना पड़ रहा है। बीज बोने वाले आज यह नहीं जानते कि वे किस प्रकार के बीज बो रहे हैं। आज हमारी झोंपड़ियों में न ईश्वरचन्द्र विद्यासागर पैदा हो रहे हैं, न शिवाजी और राणाप्रताप हो। राणा प्रताप की भूमि भी आज प्रतापविहीन हो रही है। इसलिये यह जो समस्या है, उसमें मानवता का तकाजा है, समय की आवाज है, जिन महानुभाव ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा है, उन्होंने मानवता की बड़ी भारी सेवा की है। राजस्थान सरकार का जो ध्यान दिलाया है, इसके लिये मैं संकल्प प्रस्तुतकर्ता महानुभाव को धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बड़ा भारी उपकार किया है जो इस प्रकार का संकल्प रखा। मैंने उसमें एक संशोधन रखा है, क्योंकि यह संशोधन करना जरूरी है। अभी तो अलवर में एक्सपेरिमेन्ट किया गया। हो सकता है, यह प्रयोग जैसलमेर के धोरे के लिये सफल न हो, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है; आबहवा देख कर और आर्थिक हालत देखकर। आज हम देखते हैं, एक हरिजन बस्ती में सैकड़ों बच्चे पैदा होते हैं, वहां एक एक परिवार में ढेरों बच्चे पैदा होते हैं, वहां जाकर आप देखें सही,हिन्दुस्तान का नक्शा आपको इन्हीं बस्तियों में दिखाई देगा। इस प्रकार के कमजोर, मैले-कुचैले, गले-सड़े निकम्मे और आवारा बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप यह सोच सकते हैं, जहां इस प्रकार के बच्चे पैदा हों वहां क्या देश शक्तिशाली बन सकता है। यदि इसी प्रकार की सन्तान पैदा होती रहीं तो देश की जो आजादी है, वह भी खतरे में आ सकती है। सवाल तो यह है कि हम परिवार नियोजन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि घर घर में बर्थ कंट्रोल की पुस्तक का पाठ हो। गीता रामायण, कुरान और बाइबिल के साथ साथ बर्थ कन्ट्रोल की किताब भी लगी हो। मान लीजिये, एक घर में छः बच्चे हैं; माता-पिता को यह विश्वास है कि ये उनके कुल के दीपक हैं, यह उनके बुढ़ापे के लिये छायादार वृक्ष के समान हैं, उनका फल मिलेगा; किन्तु जब वे बीमार हो जाते हैं और आपकी नींद को हराम करते हैं, नींद जब भंग हो जाती है तो यह अनुभव होता है कि यह किस रात्रि का कलंक है, किस पाप का प्रतिफल है। वैसी हालत में आप पश्चाताप करते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा होते हैं, मुकदमा हो तो पुलिस थानेदार के घर भी जाना पड़ता है, तब पता लगता है कि क्या तगालत मोल ले ली।

(श्री मूलचन्द डागा)

इसलिये यह जरूरी है देश की हालत को देखते हुए। आज आप बम्बई में जाकर खड़े होइये, आपको मूत्रत्याग करने की शंका है, फिर भी आप मूत्र कर नहीं सकते; वहां भी आपको क्यू में खड़ा होना होगा। वहां यदि ऊपर से कोई मूत्र फेंक दे तो वह जमीन पर न गिरकर किसी न किसी के सिर पर गिरेगा, क्योंकि वहां की जनसंख्या ३६ लाख है। दिल्ली के अन्दर भी हिसाब लगा कर देखा है कि वहां हर सप्ताह ४३८ बच्चे तैयार हो जाते हैं। कारखाने बहुत तेज चल रहे हैं, प्रोडक्शन बराबर बढ़ता जा रहा है, आज यह स्थिति है जिसमें परिवार नियोजन की बहुत आवश्यकता है। इसके लिये सरकार को चाहिये कि कोई कारगर कदम उठाये। प्रस्तावक महोदय ने सफलता प्राप्त कर ली है इसलिये वे राज्य सरकार से भी यह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो इस प्रकार से अपने आपको पुत्र प्राप्ति के अयोग्य बना लेता है, उसको २५ रुपये दिये जांय यह उनकी मांग है।

सभापति महोदय, हमारे पूज्य बापू ने इसके लिये एक मार्ग बतलाया था संयम का। क्या संयम का सुनहला मार्ग नहीं है, यह आदमी को बहुत मजबूत बना देता है और मेरे ख्याल से हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी उत्तर में यही बात भी कहेंगे इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में वे काफी पढ़ते हैं, उन्होंने सैकड़ों पोथियां इस विषय की चाट डाली हैं, वे अपने अध्ययन से यही बतायेंगे कि महात्मा गांधी ने जो तरीका बताया है वही तरीका सर्वश्रेष्ठ है; इसके अलावा जितने भी तरीके हैं वे गलत हैं। वे उन सब तरीकों को गलत बताकर संयम के तरीके को ही हिसाब से सब से अच्छा समझेंगे। उन्होंने आश्रम का ज्ञान भी दिया है, आश्रम की अवस्था में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आ भी चुके हैं। इन सब बातों को देखते हुए हमारे राजस्थान में कौन सा तरीका काम में लिया जाना चाहिये, जिससे बर्थ कन्ट्रोल में कामयाबी हासिल हो सकें, और बहादुर लोग यहां पैदा हो सके, यह हमें देखना है।

पहला सवाल यह है संयम का। आजकल का वातावरण, आजकल की जमीन के अन्दर संयम का बीज पैदा होना मुश्किल है आज का वातावरण इतना बदल चुका है, जहां कठपुतली जैसे सिनेमा संसार ने अपनी छाया आज के समाज पर डाली है, उस हालत में संयम के नाम से वे कभी लंगोट कस कर हठधर्मी पर उतारू हो जाते हैं। वैसी हालत में संयम संयम नहीं रहता, बल्कि वह हठधर्मी का रूप धारण कर लेता है और उस हठधर्मी के परिणामस्वरूप स्वभाव में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। आज के वातावरण का असर भी इस पर पड़े बिना नहीं रह सकता। साधु सन्तों का समागम भी बहुत करते हैं, कल्याण आदि बड़े बड़े ग्रन्थ जिन्होंने पढ़ डाले हैं जिनको आज इस संयम रूपी ज्ञान का अजीर्ण सा होने लग गया है लेकिन उनको भी चार-चार पांच २ बच्चे हो गये हैं। हम गांधीजी के आदर्शों को आज के समय के अनुकूल लोगों पर घटा नहीं सकते। आज जब वात्सायन का कामसूत्र और कविराज हरनामदास की विवाहित आनन्द को लोग पढ़ते हैं तो उनको सेफ़ पीरियड आदि किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। सेफ़ पीरियड तो उन लोगों के लिये है जो एक्सपीरियेन्स्ड हों, ओवर एक्सपीरियन्स्ड हों, या अन्डर सेक्स विपुल हों; जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके यह काम की चीज हो सकती

(श्री मूलचन्द डागा)

है । यह सेफर पीरियड तीन प्रकार के लोगों पर लागू हो सकता है;एक तो ओवर एक्सपीरियेन्स्ड पीपल पर, एडलूट पीपुल और अन्डर सेक्स पीपुल पर; पूरा तारीखों का चार्ट कौन याद रखे ? आज तो यह प्लेटफॉर्म की मशीन की तरह हो गया, एक आना डाला नहीं कि टिकट ऊपर आ गया । यह कोई नहीं कह सकता कि अन्नी डालने पर भी टिकट नहीं आयगा । तो यह सवाल जब पैदा होता है तो कई बार लोगों ने माना है, यह बात निश्चित नहीं है । जिन आदमियों की और औरतों की हैल्थ आम तौर से ठीक होती है उन पर यह प्रयोग किसी काम का नहीं । अब सत्यवती ने भी अपनी गीता में कहा है कि यह बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है, इसको मानना चाहिये । मैं कहता हूँ कि इसके धोखे में आप आगे बढ़े तो फिसले । कुछ वैज्ञानिकों ने, डाक्टरों ने इस बात का एक्सपेरीमेन्ट किया । हम तो कहते हैं राजस्थान में भी इस पर एक्सपेरीमेन्ट हों । सब डाक्टर, चरक सुश्रुत को चाटने वाले और वात्सायन के काम सूत्र को पढ़ने वाले इकट्ठे किये जावें और स्वास्थ्य मन्त्री बैठें उनके बीच और उनकी बहस सुनें, उनके तर्क और परीक्षण सुनें । राजस्थानी आबहवा में दूर देहातों में लोग जब गीत गाते हुए काम करके उन्मत्त होते हुए घर लौटते हैं तो वहां न उनके पास सिनेमा है और न और कुछ है, तब वे रात का कमाल करते हैं । तो इसी को ले लें । यह सवाल क्या है ? राजस्थान में यह लागू हो सकता है या नहीं, इस पर सोचें । कुछ उन विदेशों में प्रचलित बर्थ कन्ट्रोल के साधनों की बात करते हैं जो विज्ञान में बहुत आगे हैं, अमेरिकन टाइप के रास्ते की बात करते हैं, फ्रेंच लेदर की बात करते हैं, युरुप और रूस की बात करते हैं । पर उन सब साधनों का प्रचार आप ग्रामीणों में नहीं कर सकते. यहां । वे उनसे बहुत दूर हैं, बहुत अनभिज्ञ हैं और उनमें बड़ी बड़ी खराबियां पैदा होने की शंका हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जिन पढ़े-लिखे देशों ने इस बारे में कमाल हासिल किया है और सफल हुए हैं वे लोग अध्ययनशील हैं । उस स्टेज तक पहुँचने से पहले हमें बहुत कुछ करना होगा । उस लिट्रेचर को, उसके टैक्नीकल शब्दों को बहुत सरल भाषा में हमें भारी मात्रा में इन लोगों के बीच में देहातों में बांटना होगा और साथ साथ वैसे डॉक्टर और नर्सें तैयार करनी होंगी जो मिशनरी स्पिरिट से काम कर सकें ।

इसके अतिरिक्त हमारे पुराने तरीके भी हमें रिवाइव करने होंगे, उनको प्रोत्साहन देना होगा, ढूंढना होगा और अमल में लाना होगा, उनका भी बहुत बड़ा उपयोग बड़ा उपयोग हो सकता है । इसमें लोगों को खर्चा कम होगा, इस तरह से पुराने तरीके सस्ते और सर्व सुलभ हो सकते हैं । तो यह हंसी और मजाक का सब्जेक्ट नहीं है । आखिर कब तक हम औरत को कामशास्त्र की व्यायामशाला समझते रहेंगे । हमें वे कारगर तरीके ढूंढने ही होंगे जिनको हम राजस्थान के घर घर पहुंचा सकें और इस योजना को सफल कर सकें ।

मैंने कुछ खराबियां हमारे यहां देखीं । जगह जगह देवी–देवताओं के थान हैं । बड़े बड़े मठों में और मन्दिरों में जगह जगह ऐसे ऐसे मठाधीश और पंडित बैठे हैं जहां वे पुत्र का दान करते हैं और उनके पास वे पास वे बड़े बड़े लोग आते हैं भिखमंगे बन कर पुत्रदान लेते । जिनके भाग्य में पुत्र

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं लिखा उनको वे पुत्रदान करते हैं और इसकी आड़ में करप्शन और व्यभिचार के अड्डे चलते हैं। हमें इन अड्डों को भी रोकना होगा।

दूसरी, एक बुराई और है जिसकी ओर भी हमें देखना होगा। सब को यह मालूम है कि हमारे यहां बहुत सस्ता लिट्रेचर चिकित्सा चन्द्रोदय पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग उपलब्ध हैं और उसमें माया जाल की बातें लिख दीं, बता दीं मनुष्य की करामातें और चौरासी आसन। तोता मैना बता दिया जिससे सारा मस्तिष्क कुत्सित हो उठता है। तो यह साहित्य हमें समाप्त कर देना होगा। न यह तोता मैना का किस्सा रहना चाहिये और न यह सस्ता साहित्य। अलमारी में तो यह आसनों का साहित्य भरा है और बाहर टेबल पर पड़ी है गीता और रामायण। इसे बन्द करना होगा। देहातों में सरे आम ये नाथूरामजी और ईलाजी की मूर्त्तियों भी बाजार में खड़ी हैं और मूर्त्ति की ओट में उस भावना की प्रतिष्ठा की जाती है। घर घर बच्चे हैं, उनके कोमल दिमागों पर क्या असर इनका पड़ता होगा? आप बचपन से इन बच्चों के दिमागों पर क्या असर डालना चाहते हैं?

इसके अलावा है चाइल्ड मैरेज एक्ट। नाबालिग बच्चों की शादी नहीं होगी। सारे लोग इसको इसको जानते हैं राजस्थान के घर घर में.......

श्री भैरोंसिंह : यह आपने नाथूराम जी ईलाजी, क्या कहा, समझ में नहीं आया।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) आपके गांवों में इस सस्ते साहित्य को अधिकांश नहीं पढ़ते होंगे पर गांव गांव में ऐसी नाथूरामजी ईलाजी की मूर्तियां बिठा दी हैं, मैंने तो इनके मन्दिर देखे हैं जिनमें सारा रतिशास्त्र तक चित्रित है, पत्थरों में खुदा पड़ा है, इमारतों में लिख दिया है। यह क्या है? उन कोमल बच्चों पर बोझा पड़ता है और वे बीज इस प्रकार जो डाले जाते हैं बाद में बुरा असर करता है। उनको हटाना चाहिये। आप दूसरी मूर्त्तियां हटाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं पर इनके साथ साथ राजस्थान सरकार इन मूर्त्तियों को हटाने का भी प्रयत्न करे। इससे बड़ा लाभ होगा। तो इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये। चाइल्ड मेरेज़ हर जगह होती है और फल इसका क्या होता है? आप और हम सब जानते हैं और फिर कॉलेज और स्कूलों में इस बात की शिक्षा भी दी जानी चाहिये ताकि प्रारम्भ से इसके हानि लाभ को वे समझ सकें।

डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव सुनाये, वे ठीक हैं। पर जब औरतें बर्थ कन्ट्रोल के लिये डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर साहब मुंह डाले धीरे धीरे बात करते हैं, जैसे बड़ा भारी काम करते हों। उन्हें समझना चाहिये कि एक मिशन है जिसको लेकर वह औरत आई है। औरत संकोचवश अपनी बात साफ साफ नहीं कर सकती।

तो मेरा यह कहना है कि हम राजस्थान के कोने कोने में कारगर कदम, घर घर में, जगह जगह पर जाकर प्रचार करके उठावें। धीरे धीरे उनको यह समझावें और बतावें कि इसका क्या लाभ है और क्या फायदे हो सकते है? मैंने इसके अलावा गांवों में देखा है कि कुछ पुरानी और बूढ़ी औरतें ऐसी कारगर दवाइयां जानती हैं। हमें उन औषधियों को भी इकट्टा करना चाहिये जिनके आधार पर जब हम पांश्चात्य सभ्यता से प्रैस्काइब की

Page No.50

(श्री मूलचन्द डागा)

गई गोलियों और दूसरे तरीकों से फेल हो जाते हैं, हम इन दवाइयों से कारगर हो सकते हैं। वे तरीके, कहीं यह न हो जावे कि उन बूढ़ी दादी नानियों के साथ ही दफन हो जावें। अभी वे तरीके काम में आते हैं क्योंकि भ्रूण हत्याओं की दुर्घटनाएं होती हैं उससे बचने के लिए उन विधवाओं के द्वारा जो गलतियां कर बैठती हैं इन तरीकों का उपयोग होता है। ऐसे कुटुम्बों में ये दवाइयां काम आती हैं।

तो मैं प्रार्थना करूंगा कि स्वास्थ्य मन्त्री जी इन बातों की छान बीन करें जिससे ऐसे कुछ सस्ते और सर्व सुलभ साधन प्राप्त हो सकें और इस मकसद की ओर पहुँचा जा सके और इसके बाद यह कह सकें कि राजस्थान की जन संख्या में बाढ़ नहीं आ रही है और समाज में सोच-विचार कर ठीक ठीक मजबूत और सही लड़के पैदा होते हैं। अन्यथा जो प्रश्न हमारे सामने है, वह बहुत ही चिन्ता का विषय है और बड़ा भारी प्रश्न है और इसे हमें हल करना होगा। शारदा एक्ट के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। उसमें एक काम और किया जाय कि उसमें कुछ अमेन्डमेन्ट्स किये जायें। अगर हमने उसमें अमेन्डमेन्ट्स नहीं किये तो उस एक्ट के द्वारा जो हम लाभ उठाना चाहते हैं वह नहीं उठा पायेंगे। उससे अभी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर इतना कहना चाहता हूं कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो मेरे सुझाव हैं उसके साथ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इस पैगाम को हम सफल कर सकें और हम इसमें कामयाबी हासिल कर सकें।

(श्री हीराभाई के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति : Please resume your chair

यह तय किया जा चुका है कि पहले अमेन्डमेन्ट्स सामने आयेंगे। इसलिए ऑनरेबल मेम्बर्स अपने विचार बाद में प्रकट करें।

श्री गिरधारीलाल : पहले टाइम लिमिट कर दिया जाये तो ठीक है।

श्री सभापति : ऐसा कोई प्रोवीज़न नहीं है कि टाइम फिक्स किया जा सके। ऑनरेबल मेम्बर्स खुद ही असेम्बली के काम को ध्यान में रखते हुए टाइम की बैस्ट पोसीबल यूटीलिटी करें।

(विराम)

श्रीमती गंगादेवी डाटा।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : माननीय सभापति महोदय, यह जो परिवार नियोजन का प्रस्ताव आया है उसमें 'कारगर' जो शब्द है उसके स्थान पर यह जोड़ना चाहती हूँ :

> "तथा सिनेमा स्लाइड, पेम्फलेट, पोस्टर और सिनेमा रील आदि द्वारा इसका प्रचार किया जावे।"

पिछले बजट सैशन के टाइम में मैंने कुछ विचार इसके बारे में रखे थे, लेकिन जब मैंने यह आज प्रस्ताव देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और खासकर आज हाउस में माननीय सदस्यों के विचार सुनकर बहुत ही खुशी होती है कि इस विधान सभा में हमारे माननीय सदस्य इस बात पर मनन और ध्यान दे रहे हैं। आज देश की जो बड़ी बड़ी समस्यायें हैं वे हमारे लिये चिंतनीय विषय बनते जा रहे हैं, उन पर किस प्रकार से काबू पाया जाये ? एक तरफ हम पंचवर्षीय योजना बना

Page No.51

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

रहे हैं और उसमें बहुत बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं जिनमें लाखों रुपया खर्च होता है, कहीं प्रोजेक्ट्स खोले जा रहे हैं जिनमें बीजों की तकावी देते हैं और लोगों के मानस को जगाना चाहते हैं जिससे देश की आर्थिक उन्नति होगी और जो अच्छे खाद्य पदार्थ को वे पैदा करें। आज एक तरफ जब ये योजनायें तैयार हो रही हैं और उनको कामयाब करने के लिए जिद्दोजिद्द की जा रही है। वहां दूसरी तरफ यह जो हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या है उसकी ओर जरूर हमें ध्यान देना है क्योंकि आज देश की जो सबसे बड़ी समस्या है अन्न की उस समस्या को हमें हल करना है। खाद्य की समस्या हर वर्ष हमारे सामने मुंह बाये खड़ी रहती है। इसके निवारण के लिए हमने बहुत से प्रयत्न किये और कर रहे हैं, लेकिन तब भी समझ में नहीं आता कि यह गूढ़ समस्या आज हमारे सामने है वह क्यों नहीं हल हो पा रही है ? पिछली लोकसभा का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी हमारी हिन्दुस्तान की समस्याओं के बारे में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने बजट १९५८-५९ के बजट में भी इस तरह की चिन्ता व्यक्त की थी और उन्होंने अपने विचार हाउस के सामने रखे थे कि जो यह जनसंख्या प्रतिवर्ष ५०,००० बढ़ जाती है उसका क्या होगा। उस संख्या की बढ़ोतरी को देखकर जो पंचवर्षीय योजना है यह कितनी कामयाब होगी किस तरह हम इसको सक्सेसफुल कर पायेंगे ; यह बहुत ही विचारणीय विषय है और आज हम ही नहीं बल्कि जो हमारे देश के बड़े बड़े और उच्च कोटि के नेता हैं, जो देश को संभाले हुए हैं वे भी इस बढ़ती हुई जन संख्या को देखकर चिंतित हैं और बहुत ही गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार किया जा रहा है। हमारी दो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें कुछ रकम भी इसको रोकने के लिये निर्धारित की गई है और उसके द्वारा अभी जो माननीय सदस्य ने अपना संकल्प रखा है उन्होंने उस पर प्रकाश डाला कि इस तरह के कई परिवार नियोजन केन्द्र भी हैं और वे केन्द्र सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं क्यों नहीं लोग इसको समझते, क्यों नहीं विचार करते ? लेकिन आज जो सब से बड़ी दिक्कत है वह हमारी जो पुरानी संस्कृति है और जो धार्मिक विचारहैं वे इसके लिए एक बहुत बड़ी आड़ है और एक तरह की दीवार है उस दीवार को हटाने के लिये आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान का सहारा लेना आवश्यक है, अन्यथा हम दूसरे देशों को वैज्ञानिक दौड़ में पिछड़ जायंगे। एक तरफ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे यह कहते हैं कि नहीं, यह जो संतान उत्पत्ति है यह भगवान की देन है और इस भगवान की देन को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आज बीसवीं सदी का विज्ञान का युग है, इसमें यह कहना कहां तक कारगर है ? मैं समझती हूं कि आज की देश की हालत को नहीं बल्कि मनुष्यों की जरूरतों को देखते हुए इस पर विचार करना ही आवश्यक है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि यह बहुत ही विचारणीय विषय है और सोच-समझ कर अगले सेशन में किसी न किसी रूप में देश की जनता को इससे राहत मिलनी ही चाहिए। चाहे वह कानून के द्वारा हो या जनता के मानस को जागृत करके, इसको देश पर लागू करना होगा ! मैं देखती हूँ कि आज कई महिलायें इस तरह की हैं कि जिनको देखने से मालूम

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

होता है कि उनके शरीर में खून ही नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि ऊपरी टीप-टाप ही नजर आती है। जब वे इस बीमारी से परेशान होती हैं तो डॉक्टरों के पास जाती हैं और उनसे सलाह लेती हैं तो डॉक्टर उनको कहता है कि आप में विटामिन 'बी' की कमी है, विटामिन 'सी' की कमी है। इस तरह के जवाब उन औरतों को मिल जाते हैं लेकिन वे बेचारी परेशान हैं कि इसकी वजह क्या है? यह बहुत सोचनीय बात है, यह मजाक की बात नहीं है बल्कि यह गम्भीरता से सोचने और विचारने की बात है। मैंने देखा है कि महिलायें आदमियों से अधिक बीमार रहती हैं, जिसका मूल कारण तो मैं सन्तान उत्पत्ति ही समझती हूं क्योंकि सिर्फ औरतों को उत्पत्ति से ही छुटकारा नहीं मिल जाता है बल्कि उसके द्वारा उनको शारीरिक हानि होती है। वे उसको अपने देश की गरीबी के कारण पूर्ति नहीं कर पाती हैं और न ही अपनी संतान की भली प्रकार से देख रेख कर पाती हैं। यह ठीक है कि महिलायें पुरुष से ज्यादा काम करती हैं वह भी कुछ हिस्सों में। सारे हिन्दुस्तान को देखें तो तीन चौथाई हिस्से में महिलायें काम कम करती हैं लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें महिलायें पुरुषों से अधिक काम करती हैं, वह हिस्सा गांवों का है। मैंने गांवों में देखा है कि महिलायें सुबह चार बजे से रात के १० बजे तक काम करती रहती हैं और जो उसकी दिनचर्या है वह इतनी कठिन है कि हम बड़े शहरों की रहने वाली महिलायें उनको देख कर हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि यह इन्सान हैं या देवता हैं। सुबह पीसने से लेकर सारे दिन मेहनत करती हैं। कहीं बच्चा रात में रोता है, कहीं छोटा बच्चा दूध चाहता है, पशु की देख-रेख की समस्या भी रहती है, कि कहीं बछड़ा दूध नहीं पी जाये। तो यों सब परेशानियां उसको परेशान करती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, अन्य देशों की महिलाओं को जो कुछ सुविधा है, वे हमारे यहां कहां है? आखिर देश को जब आजादी मिली है तो उन्हें क्या आजादी मिल पाई है? आज जो यह प्रस्ताव आया है तो मैं समझती हूँ कि आज उनके लिये बहुत ही शुभ दिन है। मैं उस दिन को ही शुभ मानूंगी जब कि यह प्रस्ताव मन्जूर हो जायगा; इस तरह के प्रस्ताव लागू होने पर देश को कितनी उन्नति होती है और कितनी सुविधाएं मिलती हैं!

दूसरी बात यह है कि आज जो देश की आर्थिक समस्या है उसमें भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तरफ बेरोजगारी है देश में, उसमें भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तरफ यह जो सैंकड़ों क्या हजारों नवयुवक निकलते हैं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से और नौकरी की ख्वाहिश में इधर-उधर ठोकरें खाते फिरते हैं, इधर से उधर परेशान होते फिरते हैं सरकारी ऑफिसेज में, वे मिनिस्टरों से उनकी कोठियों पर मिलते हैं, एम. एल. एज. के पास जाते हैं, एम. पीज. से मिलते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? केवल परेशानी होती है। किसी की सिफारिश चल गई तो ठीक है कि सर्विस मिल गई, वह भी सैंकड़ों में से दो-चार को सर्विस मिलती है। यहां तक होता है कि किसी एक सर्विस के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाय तो हजारों दरख्वास्तें आ जाती हैं। इतनी बड़ी आज बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के सामने है। उस बेरोजगारी को हम आज किस तरह से हल कर सकते है?

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

यह ठीक है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बहुत बड़ी २ स्कीमें बनाई जा रही हैं, बहुत बड़ी २ योजनाएं बनाई जा रही है कि अमुक काम के द्वारा, अमुक कार्य के द्वारा इतने लाख मनुष्यों को, इतनी लाख स्त्रियां को हम कार्य दे सकेंगे, लेकिन यह कहां तक ठीक कामयाब होती हैं, कितनी पूरी होती हैं और कितनी बाकी रहती हैं वह बात अलग है। लेकिन हर वर्ष जब ५० लाख मनुष्य इस देश में आते हैं तो वह रहने के लिए मकान चाहते हैं, पीने के लिए दूध चाहते हैं, खाने के लिए अनाज चाहते हैं और उनकी हर जरूरियात को पूरी करने की जिम्मेदारी हमारी रहती है; तो सरकार का इस ओर ध्यान देना मैं बहुत जरूरी समझती हूँ। क्योंकि एक तरफ हम नारा लगा रहे हैं समाजवाद का, जो नीचे का वर्ग है हम उसको उठाना चाहते हैं तो नीचे का वर्ग उठेगा तभी हमारा समाज—वाद का नारा कामयाब होगा। अक्सर यह देखा जाता है कि जो गरीब बस्तियां हैं उनमें बच्चों की संख्या अधिक मिलती है, पढ़े-लिखे तबके में, टीक है कि कुछ उनमें भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर गरीबों के घरों में यह पैदा—वार ज्यादा मिली है। उसका सही कारण यह भी है कि जहां गरीबी होगी, जहां गरीबी होगी, जहां बेरोजगारी ज्यादा होगी, उस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब मैं आपको बताती हूं कि पारसी भी हमारे यहां एक कास्ट है। उनकी जनसंख्या थोड़ी है। उनकी आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, अक्सर देखा है कि एक फेमिली में दो—तीन बच्चे मिलते हैं; वहां हमारे यहां गावों के अन्दर बेकवर्ड क्लॉसेज़ जो कहलाती हैं, जो पिछड़ी हुई जातियाँ ाती हैं उनके यहां कहीं १०, कहीं ८, कहीं १२ और कहीं ५-५ बच्चे मिलते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी संख्या हमारे देश में, यह गरीब देश किस तरह से निभायगा ? उनकी गरीब बच्चों की किस तरह से जिन्दगी बसर होगी ? यह ठीक है कि आप लोग समझते हैं कि यह ईश्वरीय देन है, इसको कौन रोक सकता है; लेकिन वैज्ञानिक युग आज का इसमें बहुत बड़ी सहायता दे सकता है। हमारी जनसंख्या की बहुत बड़ी संख्या गरीबी में जकड़ी हुई है, उसको दूर करने का यह एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। यह जो बढ़ती हुई जनसंख्या है यदि इसको रोकने का हम लोगों ने कोई उपचार नहीं किया या कोई इस तरह के कानून नहीं बनाये तो ५-१० साल में इस इस देश में ही नहीं, बल्कि दुनियां में क्या होने वाला है, इसको भगवान् ही जाने ? इस देश की हालत क्या हो जायगी। आज हम जमीन के टुकड़े २ के लिए लड़ाइयां करते हैं। आगे चलकर बाद में रहने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। यह ठीक है कि आज परिवार नियोजन का जो प्रस्ताव आया है उसमें मैंने जो यह संशोधन रखा है कि चलचित्रों के द्वारा और पेम्फलेट्स के द्वारा इसका गांवों में प्रचार किया जाय, आज कल अक्सर देखा जाता है कि शहरों के अन्दर अक्सर महीने में एकाध दफा एक परिवार सिनेमा देखता है। कुछ लोग सिनेमा के अधिक शौकीन होगये हैं वह कोई ऐसी बात नहीं है, जमाने की रफ्तार है। जमाने से नई चीजें आती हैं तो देखने का उत्साह होता है। इस तरह से गावों के अन्दर जहां भी प्रोजेक्ट में समाज कल्याण खण्ड आदि हैं, वहां चलचित्रों के द्वारा देश की आर्थिक हालत के बारे में डोक्युमेन्टरी दिखाई जाती हैं, डोक्युमेन्टरी में देश का बढ़ता हुआ प्रोडक्शन

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

बताया जाता है, इस तरह सिनेमा देखने लोग तो मीलों दूर से वहां आते हैं। हम उन्हें अपने देश की जानकारी देते हैं कि अपना देश किस प्रकार उन्नति करता जा रहा है। पंचवर्षीय योजना से हम अपने देश को प्रगतिशील बनाने जा रहे हैं, उनको जानकारी कराते हैं कि हमारे रहन-सहन के तरीकों में आज कितनी उन्नति हुई है। चलचित्र के द्वारा इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, ब्लॉक्स वगैरह में दिखायी जाती हैं तो उनको साधनों द्वारा यह परिवार नियोजन के बारे में दिखाया जाय। दूसरे और पेम्फलेट्स के द्वारा भी जैसा कि मैं देखती हूं हॉस्पिटल्स में चिपके हुए हैं, लेकिन उन पेम्फलेट से या पोस्टर्स से कितने लोग फायदा उठा सकते हैं? उनको कितने लोग पढ़कर समझ सकते हैं? मैं समझती हूं कि यदि प्रत्यक्ष में चलचित्रों द्वारा उसकी अच्छाई या बुराई बताई जाती है तो वे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे । आज गांवों के अन्दर पुरानी विचारधाराओं के पिछड़े हुए लोग हैं। उनको हमें यह बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण किस तरह की बुराइयां हो रही हैं उनको चलचित्रों के द्वारा बताना चाहिए और यह समझाना चाहिए कि इससे क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं और इसके होने से हमें क्या लाभ होगें। सारे लाभों को सामने रखना चाहिए। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि यह जो संशोधन मैंने रखा है इसको मान लिया जाय और इसका जो अभिप्राय है जनमानस को जगाने का, उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। उस फायदे से देश की आर्थिक समस्या को सुलझाने में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय चेयरमैन महोदय,

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, इस पर मेरा संशोधन है।

श्री सभापति : डॉ बहादुरसिंह।

श्री भैरोंसिंह : आपका संशोधन कहाँ है?

डॉ० बहादुरसिंह : चौथे नम्बर का है।

श्री भैरोंसिंह : आप हॉस्पिटल पर रख लें।

एक माननीय सदस्य : आपको इतनी क्या जल्दी है?

डॉ० बहादुर सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है वह इस प्रकार है :

'इस सदन की राय से बढ़ती हुई आबादी का नियन्त्रण करने के लिए राजस्थान सरकार को अन्य राज्यों की भाँति परिवार नियोजन के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाने चाहिए।''

माननीय सदस्य ने अपने भाषण में अनेक कदम उठाने की बातें कही हैं, लेकिन मैंने इस प्रस्ताव में यह संशोधन रखा है कि ''परिवार नियोजन अथवा प्रचार केन्द्र स्थापित करें :

१·५० म. प.

(श्री होतीलाल, सभापति, पद पर आसीन)

सभापति महोदय, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि आज हमारे ऋषि-मुनियों के देश में परिवार नियोजन की बात कही जाती है। राम और कृष्ण, गाँधी और नेहरू का देश परिवार नियंत्रण की बात करता है......... ।

एक माननीय सदस्य : गलत बात करता है।

श्री बहादुरसिंह (जारी) : मैं इसके लिये परिवार आयोजन की बात कहना चाहता हूं। इसके लिये आपके धर्मशास्त्रों में स्पष्ट मत है और वह है वर्ण व्यवस्था, I am sorry आश्रम की व्यवस्था है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। २५ वर्ष की आयु तक जब एक व्यक्ति पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो बहुत बड़ी समस्या परिवार नियोजन की दूर हो जायगी। आज होता क्या है कि २५ वर्ष की आयु वाले के तो कम से कम आधा दर्जन बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद ५० वर्ष की आयु तक गृहस्थाश्रम होता है...

श्री बृजमोहन : गृहस्थ आश्रम में सारी कसर निकल जायेगी।

श्री बहादुरसिंह (जारी) : इस प्रकार हमारे यहां जो आश्रमों की व्यवस्था है, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिये। लेकिन होता क्या है कि आज हम दूसरे तरह के वातावरण में रहते हैं, इसलिये मैंने यह बात रखी थी कि परिवार नियंत्रण किया जाय। क्योंकि बहुत से लोग संयम से जीवन नहीं बिताना चाहते हैं, वे चाहते है कि अपनी त्रुटियां छिपा दें, उनके लिये परिवार नियोजन किया जाना जरूरी है। इस तरह के परिवार नियोजन के सम्बन्ध में आर्थिक पहलू की बात की जाती है। लोग कहते हैं कि शादी-विवाह में खर्चा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एक साधारण व्यक्ति यदि विवाह करता है तो भी चार-पांच हजार रुपये खर्च हो जाते है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बंधन लगा दें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का वातावरण बनाइये, प्रचार केन्द्रों द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करिये, जिससे लोगों के रहन-सहन का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आवे, जैसे ब्रह्मचर्य का प्रचार। हमारे देश में पहले यह नारा लगाया जाता था कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, लेकिन आज का नारा लगता है परिवार नियोजन के लिये। ब्रह्मचर्य के महत्व पर पर्दा डाल रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज जो विद्यालय हैं, उनमें सहशिक्षा दे रहे हैं वह कितनी हानिप्रद है उस ओर आपका ध्यान नहीं जाता। इधर तो आप परिवार नियोजन की बात करते हैं और उधर सरकार सहशिक्षा की बात करती है। सहशिक्षा आग और फूस की तरह की चीज है, उसको नहीं छोड़ सकते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे कम से कम अपने इतिहास की तरफ देखें और जिस देश में हमेशा से वीर बच्चे और वीर माताएं पाई जाती थीं वहां आज हम सिनेमा की बात करते हैं और परिवार नियोजन सिंनेमा के द्वारा करना चाहते हैं। परिवार नियोजन सिनेमा के जरिये से नहीं किया जा सकता...

श्री अर्जुनदास : क्या लेडीज़ ने बायकॉट कर दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो भाषण दिया था।

श्री अर्जुनदास : मैंने इस समय की बात कही है।

श्री सभापति : उन पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। वे शायद इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (जारी) : सभापति महोदय, संतान उत्पादन होती है वह ऋण माना जाता है। कोई व्यक्ति संतान पैदा करता है वह इसलिये पैदा नहीं करता कि एक

(डॉ० बहादुरसिंह)

फौज पैदा कर दे। उनके ऊपर एक दायित्व है। इसलिये मैं खास तौर से जो असंयमी व्यक्ति हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने जीवन को इस तरह से ढालें कि उनको किसी डॉक्टर को कन्सल्ट करने की आवश्यकता ही नहीं रहे और न किसी प्रकार का ऑपरेशन कराने की ही जरूरत रहे। यह बात जरूर है कि जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने कहा कि परिवार नियोजन के लिये लेडी डॉक्टर को नियुक्त किया गया है या पोस्टर्स लगाये गये हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अपने देश में यह चीज़ चलने वाली नहीं है। यदि आपको परिवार नियोजन करना है तो आपको आर्थिक पहलू से समझना होगा। आपके यहां जो विद्यालयों की पद्धति है, उसमें परिवर्तन करना होगा और गुरुकुल पद्धति शुरू करनी होगी। मैं विद्यालय पद्धति के परिवर्तन की माँग सरकार से करता हूँ। आप विद्यालयों को गुरुकुलों में परिवर्तित कर दीजिये और बच्चों के लिये अलग और लड़कियों के लिये अलग-अलग गुरुकुल खोल दीजिये। फिर निश्चय ही आपका पर्पज़ सर्व हो जायगा और बच्चों में संयम आ जायगा और फिर शायद कभी कोई ओपरेशन कराने की कोशिश नहीं करेगा।

एक मित्र ने कहा था कि मैं इसके लिये औषधि बता दूँगा। मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद ने बीजीकरण पर जोर दिया है, लेकिन यहां संयम रखने की बात आती है। आयुर्वेद शास्त्र के प्रचण्ड विद्वान् वाग्भटाचार्य ने संयम पर जोर दिया है। उन्होंने यह व्यवस्था नहीं की कि औषधियों से काम निकाला जाय। उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि उसे कारगर बनाया जाय।

अब आप बात करते हैं कि यदि परिवार नियोजन नहीं होगा तो पंचवर्षीय योजना फेल हो जायगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि ऑपरेशन नहीं कराया गया तो किस प्रकार से पंचवर्षीय योजना फेल हो जायगी। लेकिन यह बात जरूर है कि पंचवर्षीय योजना हमारे कारनामों से फेल होगी। आप बात करते हैं परिवार नियोजन की, मैंने इस बारे के पोस्टर देखे हैं, उनमें बताया गया है; बहुत सुन्दर दो लड़के हैं, एक पुरुष है, एक स्त्री भी बताई है और एक जगह ऐसी स्थिति बताई है जिसमें बच्चे रो रहे हैं। इस प्रकार के पोस्टरों से काम नहीं चलने का। असल चीज यह है कि संयम से कार्य चलाया जाय। मैंने दिल्ली में योगाश्रम देखा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जगह जगह डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर योगाश्रम कायम करने चाहिये, जिनमें योग की विद्या दी जाय और जीवन को संयमी बनाने की पद्धति बताई जाय, न कि अश्लील गाने, सिनेमा आदि के सुनाये जायं। मुझे तो सिनेमा के गाने याद भी नहीं है।......

श्री पुरुषोत्तमलाल : एक तो गाकर सुना दें।

डॉ० बहादुरसिंह (जारी) : मुझे तो सिनेमा के गाने आते भी नहीं है, लेकिन मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि सिनेमा या अन्य पोस्टरों से जैसे कि एडवर्टाइजमेन्ट्स के होते हैं इनसे काम नहीं चलेगा। एडवर्टाइज़मेन्ट में हम देखते हैं वहां पर एक सुन्दर महिला खड़ी कर दी जाती है चाहे वह सूई का या पिन का ही एडवर्टाइज़मेन्ट क्यों न हो, लेकिन एक महिला को जरूर खड़ा करेंगे ....

Page No.57

श्री मूलचन्द डागा : इसके लिये महिलाओं ने आन्दोलन किया है ।

डॉ० बहादुरसिंह : यह आन्दोलन सफल होना चाहिये ।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो अखबार हैं, बहुत से अखबारों में अश्लील विज्ञापन होते हैं या महिलाओं के पोस्टर्स होते हैं या सिनेमा एक्टर्स के फोटोज़ हैं, उन पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।...

श्री मदनसिंह दांता : पोस्टरों को रहने दीजिये, लेकिन जो जीती-जागती महिलाएं फिरती हैं उनका क्या होगा ? क्या उन पर पर्दा डालेंगे ?

श्री बहादुरसिंह (जारी) : आपको संयम रखना पड़ेगा। जैसा कि राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदासजी ने कहा था चांदनी चौक में।......

श्री सभापति (श्री होतीलाल) : आप विषय पर आइये ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हर प्रकार का आकर्षण मनुष्य की मनोवृत्ति में फर्क लाता है, मनुष्य के अन्दर उत्तेजना पैदा करता है, उस उत्तेजना के कारण मनुष्य में कमजोरी उत्पन्न होती है। इसलिए सबसे पहले जो गरीबी किसी व्यक्ति को चोरी करने के लिए प्रोत्साहन देती है, उस गरीबी को दूर कर दीजिये। इस प्रकार की कार्यवाही कीजिये जिससे गरीब आदमी की वासना कम हो, इस प्रकार का वातावरण कम हो ।

इसी तरह से अभी पिछले वक्ताओं ने कहा कि बर्थ कन्ट्रोल करने से हमारे सन्तान अच्छी पैदा होगी। मैं समझता हूं कि आज से पहिले युगों में यहां कभी भी बर्थ कन्ट्रोल की बात नहीं उठी और यह नारा लगाया जाता था 'वीरभोग्या वसुन्धरा' यानी वीर व्यक्ति ही पृथ्वी का उपभोग कर सकता है। ऐसे वीर पैदा करने के लिए संयम का जीवन व्यतीत करना होगा, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

('Very nice' की आवाज एवं थपथपाहट)

माननीय सभापति जी, एक और बात यह आती है कि हमें परिवार नियोजन के मामले के लिए क्या करना होगा ? इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि सहशिक्षा बन्द करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हमें यह करना पड़ेगा कि हम कन्या गुरुकुल स्थापित करें और तीसरी बात हमें यह खास तौर से विदेशी वस्त्रों पर कन्ट्रोल लगाना होगा; लिपस्टिक, पाउडर पर विशेष तौर से।......

श्री मदनसिंह दांता : इससे बहादुर पैदा होंगे ।

२·१ म० प०

डॉ० बहादुरसिंह (जारी) : मेरी मान्यता है कि जो व्यक्ति संयम से जीवन व्यतीत करता है न तो उसको पाउडर लगाने की जरूरत पड़ती है और न लिपस्टिक लगाने की। उसमें वीर्य के बाद ओज पैदा होता है और उससे स्थायी चमक पैदा होती है। कोई आवश्यकता नहीं है, न लिपस्टिक, न पाउडर और न क्रीम मंगाने की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सहशिक्षा समाप्त करके, गुरुकुल पद्धति शुरू कीजिये और बाद में भड़कीले-चमकीले वस्त्र जो पहनती हैं, उनके लिए सोचना पड़ेगा कम से कम उन कन्याओं के लिए, जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर

(डॉ० बहादुरसिंह)

रही हैं, इनके लिए एक युनिफार्म प्रेस्काइब कर देनी चाहिए। वह युनिफार्म खादी हो, न कि किसी प्रकार से उत्तेजक हो।......

डॉ० मूलचन्द डागा : खादी भी आजकल कोमल और सुन्दर बनने लगी है।

डॉ० बहादुरसिंह : वह आपके लिए है। इस प्रकार उनके रहन-सहन को ठीक करके एक वातावरण बनाना पड़ेगा।......

श्री मदनसिंह : बर्थ कन्ट्रोल की बात कर रहे हैं या लड़कियों की। लड़कियों को बर्थ कन्ट्रोल से क्या करना है ? जिनकी शादी हो गई है, उनके बच्चे न हों ?

श्री सभापति : वे संयम रखने की बात बता रहे हैं।

श्री अर्जुनदास : Does he mean that college girls should be taught birth control ?

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जड़ कहां से खराब है।

(हंसी)

मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जड़ आखिर कहां से खराब हो रही है। एक्चुअल पोज़ीशन यह है कि अब जो शिक्षा है, वह इस प्रकार की असंयमी है, जिसने हमारे सारे देश के वातावरण को बिगाड़ा है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो प्रचार करने का तरीका है, उससे जो मौजूदा लोग हैं, इनको और इनके परिवारों को ठीक कर दीजिये, और नई आने वाली पीढ़ी है, उसको प्रचार द्वारा शुद्ध कर दीजिये तो निश्चित रूप से हल होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) **:** श्री माननीय सभापतिमहोदय, सब से पहले जिन माननीय सदस्यने यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने इस परिवार वृद्धि से दुखी कई व्यक्तियों को अपने उद्‌गार इस सदन में प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

(हंसी)

सभापति महोदय, अभी अभी कई माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये प्रस्ताव के समर्थन में। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक संशोधन पेश करके कुछ समर्थन में और कुछ विरोध में बातें सदन में कही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अपनी कमजोरी को दूसरों के सिर पर थोपने की कोशिश कर रहा है। सभापति महोदय, यह कहा जाय कि अगर परिवार नियोजन नहीं किया गया तो पंचवर्षीय योजना फेल हो जायगी, जनसंख्या की वृद्धि होगी, तो खाने को अनाज नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़ा नहीं रहेगा, सीलिंग लागू कर दिया तो काश्त करने के लिए जमीन नहीं रहेगी। इन सारी चीजों का डर बताकर अगर परिवार नियोजन जैसे विषय पर विचार करें तो मैं समझता हूँ कि जिन बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए, इस परिवार नियोजन के लिए, वे बातें हमारी समझ से दूर रहेंगी। प्रश्न एक मोटा सा है, जिस तरह से कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह एक समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है, और सरकार को इसे बड़ी समस्या मानकर इसका समाधान करना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर सरकार, जो लोग इसको समस्या बताये, उनके सामने प्रस्ताव रखें कि जिस तरह इसको सरकार के लिए समस्या बताते हैं, वह समस्या आपके लिए भी है और इसमें सरकार आपका सहयोग चाहती है तो मैं समझता हूं कि वे कहेंगे कि यह सहयोग भी सरकारी आधार पर दिया जा सकता है। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह समस्या क्या है और समाज के किस वर्ग में यह समस्या है। 'परिवार नियोजन' शब्द को सदन के माननीय सदस्य समझ सकते हैं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वालों को इसका ज्ञान हो सकता है, समाचार-पत्र पढ़ने वाले लोगों को इसका ज्ञान हो सकता है, सरकार के मुलाजिमान को इसका ज्ञान हो सकता है कि परिवार नियोजन की कोई व्यवस्था है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसे लोगों की संख्या कम है, परिवार वृद्धि की जो समस्या, जो देश के अन्दर, वह समस्या ऐसे लोगों के द्वारा पैदा की हुई नहीं है, इस समस्या का सूत्रपात, राजस्थान के ही नहीं, लेकिन भारतवर्ष के पूरे गरीब तबके द्वारा हुआ है। आप यदि आंकड़े इकट्ठे करना चाहें, तो आंकड़े इकट्ठे कर लें, प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहें तो प्रत्यक्ष अनुभव कर लें। जिस शहर में गरीब हैं वहां संतान ज्यादा होगी और जिस शहर में अमीर ज्यादा हैं वहां संतान कम है। हमें इसे विशेष रूप से, इस दृष्टिकोण को विशेष रूप से सामने रखना पड़ेगा। आज परिवार वृद्धि की समस्या गरीबों के सामने है और उसके गरीबों के सामने होने के कई कारण हैं। आज पढ़े-लिखे आदमी स्वतन्त्र हैं, क्योंकि उनको अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, उनके पास रिक्रियेशन के साधन हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के रिक्रियेशन के साधन, जहां परिवार वृद्धि होती है, वहां चालू करेंगे तो उनको परिवार वृद्धि से नफरत होगी और वाकई वे रिक्रियेशन के लिए समय निकालकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन यह गरीब तबका है, जिसके अन्दर कोई रिक्रियेशन की वस्तु नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, उपभोग की सामग्री नहीं है। अगर ये साधन हों और उनके पास रिक्रियेशन के साधन हों तो मैं समझता हूँ कि गरीब भी उन चीजों से नफरत करेगा जिनके कॉन्सीक्वेन्सेज लाइबिलिटीज में वृद्धि के कारण हों। इन बातों को सामने रखते हुए हम इस बात पर विचार करें। सेकिंड फाइव इअर प्लान, फर्स्ट फाइव इअर प्लान पर विचार करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे सामने समस्या के समाधान की बात नहीं मिलेगी। हमारी पंचवर्षीय योजना में बताया है कि हम लोगों को धन्धा देंगे, यह भी उसमें है कि लोगों को ज्यादा रोजगार मिले। लेकिन जब लोगों को ज्यादा धन्धा नहीं दे सकते, लोगों को खाने के लिए सामान नहीं दे सकते, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे सकते, देश के अन्दर से बेरोजगारी मिटा नहीं सकते तो इन चीजों को किस प्रकार हल किया जा सकता है। सिर्फ एक तरीका है आपके पास कि दुनियां में इस हवा को फैला दें कि देश में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा करना कम करें तो योजना सफल होगी, लेकिन खाने को सामान मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, काम करने के लिए धन्धा मिलेगा तो बेरोजगारी दूर हो जायगी।

मैं समझता हूं कि सभापति महोदय, इन दोनों शब्दों की व्यवस्था का बिलकुल मेल

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं। हमारा देश कर्मभूमि है, इस देश में काम की कमी नहीं, काम करने वालों की कमी हो सकती है। लोगों को सरकार काम बता न सके, काम दे न सके तो यह जिम्मेदारी सरकार की है, न कि समाज की। पर इस सारी जिम्मेदारी और कमजोरी को छुपाने के लिये यह कहा जाता है कि पॉपुलेशन अधिक बढ़ जाने के कारण अनाज और दूसरी चीजें मंहगी हो रही हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं उनसे कह सकते हैं कि जिन बेकारों को काम दे रहे हैं उनसे डेढ़ी संख्या बेकारों की और पैदा हो रही है और सरकार की ओर से ऐसा कहा जाता है कि बेकारी की समस्या, अन्न और कपड़े की समस्या तब तक रहेगी जब तक कि परिवार नियोजन नहीं होता, मुझे इस बात पर हंसी आती है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति देख कर देश के अच्छे अच्छे विद्वान् विचार करते हैं कि किस प्रकार यह दशा सुधरे? देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का मूल आधार है हमारे जीवन में संयम, जीवन के प्रत्येक पहलू में संयम को स्वीकार किया जाय। खर्चा, उपभोग और अन्यान्य क्षेत्रों में संयम जैसे सिद्धान्त को हमारे यहां स्वीकार किया गया था। पर वास्तव में हमारे यहां ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं होगी। पर संयम को न अपना कर अपनी कमजोरियों को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, यह उचित नहीं है। हमारे यहां पहले आश्रम व्यवस्था थी, पच्चीस वर्ष की आयु होने से पहले शादी नहीं होती थी। पच्चीस वर्ष पहले शादी नहीं होती वहां बच्चा पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार भी यह बात स्वीकार करती है कि बच्चों की शादी न हो, चाइल्ड मेरेज रेस्ट्रेन्ट एक्ट मौजूद है, पर बच्चों की शादियों पर कोई रोक-टोक नहीं। जयपुर में बच्चों की शादी होती है तो मन्त्री लोग भी उन शादियों में भाग लेते हैं। विश्नोइयों में दस दस पांच पांच साल के बच्चों की, एक साथ बीस बीस, पच्चीस पच्चीस बच्चों की शादियां होती हैं और राजस्थान के मन्त्रिगण उन शादियों में भाग लेते हैं, चाइल्ड मैरेज रेस्ट्रेन्ट एक्ट का उल्लंघन होता है उसमें भी राजस्थान के मन्त्रिगण सहयोग देते हैं, जब कानून के बनाने वाले ही कानून के उल्लंघन में साथ दे तो कानून का पालन कैसे हो सकता है? तो परिवार नियोजन के बारे में यदि सरकार केवल एक इसी बात पर तुल जाय कि किसी भी सूरत में बच्चों की शादी न हो तो यह समस्या काफी अंशों में सुलझ जायगी। गरीबी को मिटाने की समस्या है उसके मिटाने की कोशिश की जाय जिससे कि बच्चे कम पैदा हों, उनके रिक्रियेशन के लिये दूसरे साधन उपलब्ध किये जायं और इस प्रकार का विश्वास उनके दिल में पैदा किया जाय तो इस प्रकार की लायेबिलिटी लेने की जिम्मेदारी अपने सिर पर कौन लेने को तैयार होगा? उनके रिक्रियेशन का और कोई साधन नहीं होने के कारण यह समस्या और बढ़ती जा रही है।

आप अगर इसको आर्थिक पहलू मान कर चलते हैं तो हम कहते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति इसके कारण खराब होगी अगर ऐसा मानते हैं तो इसके लिये विचार करना पड़ेगा कि हम लोगों को काम दे रहे हैं कि नहीं। आज मशीनरी का जमाना बनता जा रहा है। मशीनरी को रोकने की बात अगर की जाती है तो कहा जाता है कि दुनिया

Page No.61

(श्री भैरोंसिंह)

के और और देश मशीनरी में कितने आगे बढ गये हैं, मशीनरी को रोकने की बात की जाकर हमारे देश को पिछड़ा हुआ रखने की बात की जाती है। पर जिस देश के लोगों के हाथ में काम नहीं, वहां पर अगर मशीनरी ला कर लगाई जाय वह वहां वहां फिट नहीं हो सकती। आज हम हाथ से कपड़ा बनाने के लिये बाजारों को लोन देते हैं, तकावियां देते हैं, सबसिडी देते हैं, पर उनके लिये मार्केट नहीं है। इसके कारण यह है कि हाथ से बनाया हुआ कपड़ा मिल से बने हुए कपड़े से मंहगा है, और हर एक आदमी उसको नहीं खरीद सकता। इस बात को हमारे देश के नेताओं ने अपने भाषणों में भी स्वीकार किया है, पर जहां क्रियान्वित करने की बात आती है तो वे दूर रहते हैं। इसका एक कारण है हमारे देश के पूंजीपतियों ने मिल्स के जरिये से, फैक्ट्रीज के जरिये गरीबों के धंधों को केन्द्रित कर रखा है। हो सकता है दो हजार मजदूरों को इससे धन्धा मिल जाता है, पर इससे वे लोग केवल अपना पेट भरेंगे, उनके जरिये २०००० मजदूरों का रोजगार छीना जाता है। इसकी ओर सरकार की ओर से कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता। यदि हिन्दुस्तान की मिलों में यह व्यवस्था कर दी जाय कि अमुक मात्रा में धोती जोड़े तैयार किये जायं अमुक मात्रा में मोटा कपड़ा तैयार किया जाय, इससे ज्यादा मिल में नहीं बन सकेगा। इससे ज्यादा मात्रा में मिल का बना हुआ कपड़ा बाजार में नहीं बिकेगा। अगर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय इससे बेकारी की समस्या काफी हल हो जायगी।

इस प्रकार हमें अफसोस है कि हम सारी बातों की ओर ध्यान नहीं देते, गांवों में जूते का व्यवसाय करने वाले छोटे-मोटे जो मोची हैं, वे लोग गांवों में बेकार बैठे रहते हैं। उनमें से कोई जूता बनाता है तो उसकी जूतियां बिकती नहीं हैं, कई फ्लैक्स की, बाटा की, भार्गव की बूट कम्पनियां हैं उनके बूट बाजार में बिकते हैं, और इस प्रकार उन गरीबों को धन्धा नहीं मिलता।

इस प्रकार हमारे देश के तमाम धन्धों को सरकार केन्द्रित करती जा रही है, इसके कारण बेकारी की समस्या बढ़ती है, इसका उचित उपचार नहीं निकाल कर, ऐसा प्रचार करते हैं कि जन-संख्या हमारे देश की बढ़ती जा रही है इसके कारण बेकारी, बेरोजगारी, और अन्न तथा वस्त्र की कमी की समस्याएं बढ़ रही हैं, और जब तक हमारे देश की जनसंख्या घटाई नहीं जाती, तब तक ये समस्याएं हल नहीं हो सकती।

इसके साथ ही चरित्र की बात आती है, डॉ० बहादुरसिंहजी ने चरित्र की बात कही है। हमारा जिस प्रकार का आचार-व्यवहार है, मैं इतना कह सकता हूं कि ४७ से पहले जो शिक्षा मिलती थी, अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा मिलती थी, हालांकि मैं उस शिक्षा को अच्छा नहीं समझता, दूषित समझता हूं पर इसके अलावा ४७ से ५८ तक जो शिक्षा मिली है वह ४७ से पहले की शिक्षा से भी खराब है; चरित्र का निर्माण किस तरह से हो सकता है, इसकी शिक्षा हमारे शिक्षा-शास्त्रियों ने, हमारे नवयुवकों को नहीं दी है। अब आज उनसे हम यह आशा करें कि उच्च चरित्र के आधार पर अपना निर्माण करें तो यह हमारी दुराशामात्र होगी।

हमारे देश के बड़े बड़े शिक्षाशास्त्री और बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारी शिक्षा

(श्री भैरोसिंह)

के क्षेत्र में खामियां हैं, हमारी शिक्षा पद्धति में कमियां हैं, उनको दूर करना चाहिये, पर बड़ा अफसोस है कि यह अनुभव करते हुए भी कि शिक्षा के क्षेत्र में खामियां हैं, हमारे देश के नवयुवकों का चरित्र गिरता जा रहा है, फिर भी उन कमियों और खामियों को दूर करने का सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। कोड ऑफ बिहेवियर, मनुष्य का, मनुष्यता का क्या कर्तव्य है, यह नहीं सिखाया जायगा तब तक ये सारी चीजें पनप नहीं सकतीं, इस प्रकार के भाषण बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े नेता देते हैं पर मुझे अफसोस है कि ४७ से ५८ तक राजस्थान में ही नहीं, भारतवर्ष में किसी शिक्षाशास्त्री द्वारा, ऐसी बातें कही गईं जरूर हैं पर कर्त्तव्य के रूप में परिणत करने की कोशिश नहीं की गई। यही वजह है कि हमारे समाज का नैतिक पतन धीरे धीरे होता जा रहा है।

कहा जाता है कि ४७ से पहले के जितने नेता हैं उनमें पेट्रियोटिज्म की भावना है और सन् १९४७ के बाद में जितने नेता पैदा हुए, वे शायद नेता बन गये मगर जो देश सेवा की भावना पहले के नेताओं के दिमाग में थी और देश प्रेम था उनके दिलों में उसकी तुलना में वह देश प्रेम और देश सेवा की भावना नये नेताओं में नहीं है। इसका कारण यही है कि ज्यों ज्यों समय निकलता गया हिन्दुस्तान के लोगों के दिमाग पर अंग्रेजों ने जो असर डाला वह पड़ता गया। हमारी सरकार भी वैसी ही थी और आज भी उसी प्रकार की शिक्षा चलती आ रही है। हिन्दुस्तान में अंग्रेजों ने अपने राज्यकाल में देशवासियों को शिक्षा इस प्रकार की दी थी कि लोगों के दिमाग में गुलामी ही बनी रहे। उन्होंने शिक्षा स्तर को इस प्रकार करने की कोशिश की जिससे मानसिक प्रवृत्तियों में डी-मोरेलाइजेशन हो। लार्ड मैकाले ने ऐसा शिक्षा का प्रबन्ध किया था कि लोगों में मानसिक गुलामी हो और उस शिक्षा से वह लोगों में मानसिक गुलामी को बनाने में कामयाब हुआ। अभी भी उसी सिद्धान्त पर हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है और उसमें अभी तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं तो यह कहूं कि की प्रगति होना तो दूर रहा मगर पहले से कुछ गिरावट ही आई है। हमारी राजस्थान सरकार यह कह सकती है कि हमने राष्ट्रीय-करण किया है। मुझे अफसोस है कि जो पुस्तकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया है वह इस प्रकार का किया है कि पुस्तकों से जहां रामायण में कैकई के एक पुत्र था वहां पर दो पुत्र कर दिये हैं। यह तो पुस्तकें बनाने वालों की बात है और अब पढ़ने वालों का प्रश्न है वह तो जो पुस्तकों में होगा, पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो लोग शिक्षा देते हैं और जिनको हम कहते हैं कि वे नये देश के निर्माण करने वाले हैं, उनकी क्या हालत है ये पुस्तकें बताती हैं कि किस प्रकार का ज्ञान उनसे मिलने वाला है। देश के निर्माण करने वाले अध्यापक ही हैं, और आज वही अध्यापक समाज व देश में सबसे ज्यादा दुखी है। मैं नहीं कहता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अध्यापक देश के निर्माण करने वाले हैं मगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनकी तनख्वाह चपरासियों से भी कम है। हो सकता है कि उनके हाथ में इस प्रकार की ताकत होती तो वे इस बात को दूर करते मगर अफसोस इस बात का है कि आज वह चीज इस तरह से चलती जा रही है। अध्यापक लोग अपना यह कार्य एक सुदृढ

(श्री भैरोंसिंह)

बिजनेस समझ कर करते हैं । वे लोग यह समझते हैं कि जिस दिन अच्छी नौकरी आ जावेगी उस दिन चले जावेंगे । राजस्थान के नक्शे को देख लीजिये । अधिकांश लोग जो आई. ए. एस. में आये हैं या तो वे प्रोफेसर या लेक्चरार या टेक्नीकल साइड के इन्टेलीजेन्शिया हैं वे ही आये हैं, और उन्ही अध्यापकों के द्वारा हम परिवार वृद्धि को रोक सकते हैं मगर हमें दुःख है कि टैक्निशियन्स आदि ये सारी चीजे देश में नहीं है जिस प्रकार दूसरे उन्नतिशील देशों में है । इसलिए हमें उन बातों की ओर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान देना होगा कि उनके नैतिक चरित्र किस तरह से उन्नत हों । मनुष्य को मनुष्यता का ज्ञान कराया जावे और उनको यह बताया जाय कि संयम क्या वस्तु है और उसका जीवन में कितना महत्व है इसका ज्ञान उनको कराया जाए तो मैं समझता हूं कि परिवार नियोजन की बात अपने आप समाप्त हो जावेगी और जो आज गांवों में नाथूरामजी, इलोजी की मूर्तियां बनी हुई हैं उससे कोई विशेष बात नहीं होने वाली है । यदि हमने इसके मूल कारण का निराकरण किया तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । और न हमारे सामने कोई इस प्रकार की समस्या ही होगी । हमें इसको दूर करने के लिये गरीबों को समझाना होगा और यदि इस समस्या पर शांति से विचार किया तो मेरा विचार है कि समस्या जो हमारे सामने बन रही है वह समस्या के रूप में नहीं रहेगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने और जो पाली से आये हुए हैं उन्होंने देवी-देवताओं का जिक्र करते हुए कहा कि देवी-देवताओं के स्थान पर इस प्रकार की बातें होती हैं । जिसके कारण हमें इसको बन्द करना पड़ेगा । मुझे इस बात का अफसोस है कि या तो माननीय सदस्य देवी-देवताओं की बात को समझ नहीं पाये और समझी हो तो उन्हें कुछ भुगतना पड़ा है और उस बात से परेशान होकर यहां पर उस बात को एडवोकेट करते हो ।

(हंसी)

इसके अलावा यह कहा गया कि पाश्चात्य देशों से टेबलेट मिलती है, उनको गांवों में विधवा औरतें प्रयोग करती हैं और यह ज्यादा अच्छी हैं । मुझे वास्तव में इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस बात का एक्स्पेरिमेन्ट करके ही कहा होगा । अगर उन्होंने बगैर एक्सपेरिमेन्ट किये ही कही है तो भी सुन्दर बात कही है, मगर मैं इसको एप्रीसियेट नहीं करूंगा । ऐसी हालत में हम दवाइयां मंगाते हैं और दूसरे देशों से आने वाली दवाइयों के लिए कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं और जो फोरिन एक्सचेन्ज की समस्या हमारे सामने है उसको आप सर पर रखते हैं...

श्री भोलानाथ : आप पर रोक नहीं लगावेंगे ।

श्री मदनसिंह दांता : फिर आप इससे...

श्री भैरोंसिंह : खैर, मैं रोक नहीं लगाऊंगा ।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि दवाइयों के इम्पोर्ट में जो रुपया खर्च होता है उसके रोक-थाम की आवश्यकता है ।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन था उसको स्वीकार करें और हमारे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जो स्वयं इलाज में

(श्री भैरोंसिंह)

विश्वास रखते हैं और स्वयं ने इलाज कराया है वे स्वयं इसको प्रोत्साहन देंगे और उन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया तो जो समस्या हमारे सामने पैदा हो रही है वह नहीं होगी।

अब एक प्रश्न अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा था। उन्होंने बातें तो बहुत हृदयविदारक कहीं और उनको सुनने के बाद, सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता

(हंसी)

हूँ कि कुछ वातावरण ऐसा बन रहा है जिसके कारण...

श्री सभापति : आप जारी रखें और इसको और न बढ़ाइये।

श्री भैरोंसिंह : इसके कारण हर आदमी यही विचार करता है कि वास्तव में महिलाओं के सामने इस प्रकार की समस्या है क्या और यदि है तो उसकी जिम्मेदारी महिलाओं पर हैं या उनके दूसरे पार्टनर पर ही है। मैं इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाता, लेकिन महिलाओं के लिये यह एक बहुत ही जबर्दस्त कर्तव्य है और वे अपना कर्तव्य पूरा करने की चेष्टा करें तो भविष्य में हमारे सामने इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सभापति महोदय, जिस तरह से पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बच्चा करना कोई बहादुरी नहीं है, यह तो एक एक्सीडेन्ट है और बच्चा पैदा होता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि बच्चा पैदा करने को किसी रूप में बहादुरी नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी भी कारण से यदि बच्चा पैदा हो जावे तो उसको पढ़ाने-लिखाने की जिम्मेदारी तो मां-बापों पर होती है। अभी कुछ ऐसे अनुभव आये हैं कि बच्चों के अभिभावकों के रूप में जो जिम्मेदारी है उसको हम देखते हैं कि एक बाप के बहुत से बच्चे हैं। बच्चों को पैदा करना उनका काम है। ५, ६ वर्ष के होंगे तो उनको स्कूल में भेजने का काम है। वे खर्च भी बच्चे की पढ़ाई का देते हैं, लेकिन वे इस बात को नहीं जानते कि वह बच्चा स्कूल में क्या पढ़ता है, क्या करता है, किस प्रकार से उसको शिक्षा मिल रही है, इन सब बातों का ज्ञान उनके माता-पिताओं को नहीं रहता और इसे पूरा करने के अन्दर बाप की जिम्मेदारी कम है, माताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। बच्चे जिस समय तक बच्चे हैं उस समय तक मां की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। बाप का काम आर्थिक साधन जुटाने का होता है उसका सदुपयोग करना और बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा की व्यवस्था करना वह मां का काम है। इस देश में हमने देखा है एक माता-पिता को यहां तक पता नहीं होता कि उनका लड़का किस कक्षा में पढ़ रहा है, वह सालाना परीक्षा में पास हुआ है या नहीं ? लड़का ही कह देता है कि मैं सातवीं में पास हो गया और आठवीं की किताबें भी खरीद लेता है, लेकिन मां-बाप को सही स्थिति का पता नहीं रहता। इस प्रकार का अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य माता-पिता के साथ हो रहा है ऐसी स्थिति में जो माता-पिता इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। उनको सब से पहले चाहिये कि...

श्री भोलानाथ : आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मेरे लिए ज्यादा आवश्यक है या नहीं, यह तो आपके देखने की बात नहीं, किन्तु, भगवान् आपको सद्बुद्धि दे, जिससे आपका जीवन संयम में आ जाय।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था, कि इन

(श्री भैरोंसिंह)

सारी परिस्थितियों के अन्दर हमें जीवन के हर क्षेत्र के अन्दर संयम के सिद्धान्त को स्वीकार करके कदम उठाना पड़ेगा और कृत्रिम उपायों का तिरस्कार करना पड़ेगा । इसमें सब से बड़ा खतरा जो है वह यह है कि यह चीज चरित्र को गिराने वाली है । एक आदमी को पता हो जाय कि वह ऐब करे फिर भी उसकी लाएबेलिटी नहीं जो मेरे ऐब से कोन्सीक्वेन्सेज होने वाले हैं उसको मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा । तो ऐसी हालत में हम एक व्यक्ति को ऐब करने की फ्रीडम देते है । प्रस्तावक महोदय का ऑपरेशन हो जाय, जैसा कि मालूम पड़ा है, हो गया है । ऑपरेशन के बाद में वे आजाद हैं, वे कभी भी पकड़े नहीं जा सकते अगर पकड़े भी जायं तो साबित करना मुश्किल हैं । इसका मतलब यह हुआ कि हम एक आदमी को ऐब करने की फ्रीडम देते हैं...... ।

श्री भोलानाथ : परिवार तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह (जारी) : आपने यदि इसी दृष्टिकोण से ऑपरेशन कराया है तो आपको धन्य है ।

तो सभापति महोदय, जब कोई व्यक्ति ऐब करता है और उसके सामने उसकी लाएबेलिटी नहीं रहती है तो वैसे व्यक्ति को चरित्र की बातें कहेंगे तो वह कभी भी कारगर नहीं हो सकती । जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक फ्रेज कहा था उसे तो मैं दोहराना नहीं चाहता- स्त्रियों को हम बच्चे पैदा करने की मशीन न समझें। जब तक हमें उसके कोन्सीक्वेन्सेज का डर नहीं रहेगा, उसका दिमाग पर कोई असर नहीं रहेगा तब तक मैं समझता हूं इन कृत्रिम साधनों का उपयोग करके महिलाओं को और ज्यादा दुःख बढ़ जायगा । ये चीजें उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगी जहां तामसिक चीजों का खाने-पीने में उपयोग करते हैं जिन लोगों की बुद्धि अपरिपक्व है उस छात्र-समाज में आज जो चरित्र की कमी नजर आती है उसको अगर दूर करना चाहते हैं, तो छात्र समाज में अगर इस प्रकार का वातावरण बनाया गया तो चरित्र निर्माण हम उनमें करने जा रहे हैं जब वे सोचेंगे इस प्रकार से लाइबेलिटीज़ नहीं आने वाली है तो यह हमारे नैतिक चरित्र को गिरायेगा । ये ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को प्रयोग में लाने से ज्यादा दुख देने वाले साबित होंगे इसलिये जहां हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की जो आज तक परम्परा चली आयी है उसके लिये यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है । ऐसी स्थिति में अलवर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूँ ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, having heard the speech of Hon. Shri Bhola Nath, I am sure I can conveniently say that......

(अनेक माननीय सदस्य की ओर से "हिन्दी में, हिन्दी में" की आवाज़)

श्री अर्जुनदास : माननीय सभापति महोदय, माननीय भोलानाथ का भाषण सुनने के बाद मैं यह आसानी से कह सकता हूं कि वह भाषण बहुत भोलेपन से भरा हुआ था, मुझे जैसा कि कहा गया है कि माननीय सदस्य हर साल पलट करके नई श्रीमती लाते थे । आज वे परिवार नियोजन की बातें

Page No.66

(श्री अर्जुनदास)

कह रहे हैं, यह बात वे कह रहे हैं जो हर साल नई पत्नी लाते थे।

श्रीमान्जी, आपने जो फरमाया कि राजस्थान में फेमिली प्लॉनिंग होना चाहिये, क्योंकि यहां मर्दुमशुमारी बढ़ रही है। आपने यह नहीं बताया कि राजस्थान में हमें कितने आदमियों की जरूरत है, हमें सारे हिन्दुस्तान के आँकड़े नहीं, राजस्थान के आंकड़े देते तो तो ज्यादा अच्छा रहता। लम्बे-चौड़े भाषण में आपने जो बातें कहीं, उसमें जो परिवार नियोजन का तरीका बताया वह बहुत खतरनाक है। जो केस्ट्रेट करवा लेते हैं उनको एक तरह से फ्री लाइसेन्स मिल जाता है, इससे सारी सोसाइटी को खतरा हो सकता है। इस तरह से होगा कि गलियों में जो बच्चे रहते हैं वे भी केस्ट्रेट करवा लेंगे ताकि वे सोचेंगें अपनी जिन्दगी फ्री हो जायगी। अंग्रेजी में इसके लिये एक फ्रेज़ है।

"Either enther the church with hat on or exist before the sermon is over." When you apply that phrase in life instead of heaving operation, मैं तो वास्तव में इसके विपरीत हूँ। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, अलवर से आये हुए माननीय सदस्य ने सांख्य युग की विवेचना की, और श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने दार्शनिक युग की विवेचना की, इन दोनों विवेचनाओं को मैंने ध्यानपूर्वक सुना। श्रीमान्, वास्तव में आदर्श की बातें उन्होंने कहीं इसलिये उनके सामने मुझे नतमस्तक होना चाहिये। अगर हम इसी आदर्श को लेकर समाज की रचना करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं हमें इस ओर अवश्य प्रयत्न करना चाहिये, लेकिन इसके साथ साथ वास्तविकता की ओर से हम आँखें मूंद नहीं सकते। जिस समय श्रीकृष्ण बृज को छोड़कर जाते हैं उस समय वहां की गोपियां उनके बिना तरसती हैं उस समय ऊद्धो गाते हैं—

"ऊद्धो या बृज की दशा निहारो..."

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह कहूँगा कि वे सांख्य युग की बातें छोड़ें, वह विवेचना की बात नहीं, वह हमारे लिये आदर्श की वस्तु हो सकती है। मैं यह मानता हूं कि हमारे महात्मा मनु ने भी विवाह संबंधी हमारे लिये कुछ नियम रखे थे, तब कहा था: "पुत्राय क्रियते भार्या पिण्डदानाय सन्तति"

अर्थात् पुत्र को इसलिये पैदा करते हैं कि यह पिण्ड देने के लिये काम आये। पुत्र होता है तभी पिता के पिन्ड लग सकता है। इसलिये भी पुत्र का होना आवश्यक है।

परन्तु श्रीमान्, जो संकल्प सदन के सामने रक्खा गया है। इसका यह मतलब नहीं कि हमको इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। संकल्प पूर्ति का जो ध्येय है वह यह है कि किसी तरह से आज देश में जो बढ़ती हुई गरीबी है और जो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ बढ़ रही है उसको कैसे दूर कर सकते हैं ?

श्रीमान, देश सन् १९४७ में आजाद हुआ और ज्योंही प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई उसमें इस बात को सर्वोपरि रक्खा गया कि किस तरह से अन्न का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाय और इस प्रकार हम राष्ट्रीय आमदनी की भी किस प्रकार बृद्धि

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

करें। बढ़ते हुए लाखों बेकारों की उनकी बेकारी दूर करके पढ़े लिखे आदमियों को अथवा अनपढ़ों को किस तरीके से काम पर लगाया जाय और इन कामों को पूरा करने के लिये प्लॉन के बनाने वालों ने सब से पहले यह रक्खा की एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ाया जाय, क्योंकि यहां सन् १९४३ में ही करीब चालीस लाख आदमी भूख से मर चुके थे और अब भी इतना अनाज नहीं पैदा होता जिससे कि उन करोड़ों का पेट भरा जा सके इसके लिये करोड़ों की फॉरिन एक्सचेन्ज आज भी देनी पड़ती है। इसलिये प्रथम योजना में इस बात को सर्वप्रथम रक्खा। सर्वप्रथम इसको प्राथमिकता दी गई। परन्तु हमने यह भी देखा कि वे प्रयास पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इसमें यह हो सकता है कि जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे पूरे सही न हों सरकार ने जो टार्गेट रक्खे वे अचीव न हुए हों और उतनी पैदावार न हो पाई हो जितना खर्चा किया, उसके मुताबिक या जो लक्ष्य रक्खा उसमें सफल न हो पाये हों। पर यह तो स्वीकार करना ही होगा कि पैदावार बढ़ी है। पर फिर भी उसी अनुपात में जनसंख्या में बृद्धि होने के कारण वह बढ़ी हुई पैदावार भी समस्या को हल न कर सकी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इण्डस्ट्रीज़ के साथ उद्योग-धन्धों और कृषि उत्पादन को प्राथमिकता दी है। इसलिये मानता हूँ कि हमारे तरीके बढ़ते जा रहे हैं, पर आबादी के आंकड़ों को देखते हुए यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह आबादी भी बढ़ती जा रही है और अगर आगे भी यह इसी अनुपात से बढ़ती चली गई तो सही चीज है एक दिन ऐसी स्थिति पैदा हो जावेगी कि हमारा उत्पादन और उस उत्पादन के साधन हमारे देश की आबादी से मेल नहीं खा सकेंगे। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि अगर हम अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आबादी की वृद्धि इस तरह से न बढ़े, इसके उपाय सोचने होंगे। यह सही है कि हमारी योजनाएं फल ला रही हैं और हमारी उत्पादन-शक्ति बढ़ रही है पर आबादी भी बढ़ती जा रही, इसी तरह से तो हम उन लोगों में क्या बांटेंगे? क्या गरीबी को बांटेंगे? इस से हमारी राष्ट्रीय आमदनी बढ़ने वाली नहीं है। अतः अगर चाहते हैं कि हमारी गरीबी कम हो, योजनाओं का लाभ मिले, नागरिकों का जीवनस्तर ऊंचा उठे तो यह जरूरी है कि नागरिकों की संख्या को ज्यादा न बढ़ने दें।

इसके माने यह नहीं कि संयम को काम में न लें। अगर किसी तरह से संयम से काम ले सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। हम उनके प्रति नतमस्तक हैं। पर आज हम भौतिक युग में रह रहे हैं। भौतिक वातावरण हमारे चारों ओर फैला है। यदि कोई मनु महाराज, स्वामी विवेकानन्द या रामतीर्थ होकर हमें आदर्श की तरफ ले जावे तो हम नतमस्तक होंगे। पर भौतिक संसार जिसमें हम रह रहे हैं उसमें जो साधन हमारे सामने हैं उनको देखते हुए कृत्रिम उपायों को भी हमें काम में लेना चाहिये। लेना ही है, नहीं तो और क्या रास्ता है हमारे पास? संयम से ले सकें तो वह आदर्श की वस्तु है, पर सभी ऐसे होना असम्भव है। मैं समझता हूँ कि इस दृष्टिकोण से हम शिक्षा के माध्यम से हृदय-परिवर्तन कर सकें तो यह भी एक साधन है हमारे पास, परन्तु सवाल यह भी है कि उनके अलावा भी इसके प्रति हमारा कर्त्तव्य है क्योंकि सरकार

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

इस बात का दावा करती है कि समाजवादी समाज की रचना करना उसका ध्येय है । तो शिक्षा के द्वारा और दूसरे कारणों से समाज को इतना शिक्षित बना देते हैं आप, तो फिर अधिक करना आपके लिये आवश्यक नहीं, नागरिक अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेंगे । पर जैसी स्थिति आज के, समाज की, हमारी है उसको देखते हुए सरकार को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिये और मैं इसको इतना महत्वपूर्ण मानता हूँ कि सरकार को अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता देनी चाहिये । अगर ऐसा नहीं हुआ और आपने दूसरी तरफ, उत्पादन वृद्धि की ही तरफ ध्यान दिया, अन्य योजनाओं में करोड़ों रुपया खर्च किया, सिंचाई और बांधों में करोड़ों रुपया लगाकर साधनों में वृद्धि कर ली, उद्योग-धन्धे और बड़े-बड़े उद्योग स्थापित कर लिये, यह सब कुछ कर लिया; तब भी बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए उसका बंटवारा जब हम करेंगे तो जितना आज एक नागरिक को मिलता है उतना ही मिलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि जहां हम आज हैं, कल भी वहीं रहेंगे इतने सारे साधनों को बढ़ा देने के बावजूद भी । आज एक बात और हो रही है । ज्यों ज्यों हम साधन बढ़ाते जा रहे हैं, स्वास्थ्य का उत्तम प्रबन्ध करते जा रहे हैं, दवाइयों और चिकित्सा का प्रबन्ध बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह से मृत्युसंख्या भी कम होती जा रही है, इसमें अन्तर आया है और इसका भी परिणाम हम यह देख रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है । मैं समझता हूँ, यह सही है । सदन में एक सदस्य ने एक दृष्टिकोण से अपने अनुभव सुनाये तो दूसरे ने दूसरे दृष्टिकोण से । पर आज देश के हर नागरिक का जीवनस्तर ऊंचा उठाना है इसमें सब एकमत हैं और लोजिकली यह भी सबको मानना होगा कि अगर जीवनस्तर बढ़ाना है तो फेमिली प्लॉनिंग होना ही चाहिये । इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है । कृत्रिम उपाय बताये गये । हो सकता है ये उतने सुलभ न हों कि हम अपनी इस योजना में सफल हो सकें पूर्णतया । तो ऐसी स्थिति में हमारी पुरानी माताएं-बहिनें जो पुराने तरीके जानती हैं वे भी अगर काम में लिये जाते रहें, बल्कि उनका अधिक प्रचार हो तो वह भी हमें करना चाहिये । हर सम्भव उपाय जो भी हमें मिले और जो कारगर साबित हों वह हमें काम में लेना चाहिये । यह हमारे लिये और भी अधिक ठीक चीज़ होगी । सरकार का भी कर्त्तव्य है कि वह ये सब चीजें करें । इसमें सिद्धि की आवश्यकता, मैं जरूर मानता हूँ । और दूसरी चीजें सरकार को मिल जाती हैं तो उनको भी काम में लाना चाहिये, परन्तु इस चीज को प्राथमिकता देते हुए करना चाहिये । अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के साधन जल्दी से जल्दी और सस्ते रूप में जन-साधारण को उपलब्ध कराए ।

शहरों में जो साधन उपलब्ध हैं सिनेमा या रीलें आदि, उनका उपयोग भी जन-साधारण को शिक्षित करने में किया जा सकता है । परन्तु इसके अलावा रिक्रियेशन के साधन भी उनके लिये हो सकते हैं । इसके अलावा जो किसान हैं, गरीब हैं उनके लिये उनके अपने रिक्रियेशन के साधन हैं । परन्तु जो प्रस्ताव सदन में रक्खा गया है उसका अभिप्राय यह कभी नहीं है कि उनके रिक्रियेशन के साधन बन्द कर दिये जावें ।

वह भय तो केवल यह है कि उसमें रोक

(श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा)

पैदा कर दी जाये कि जिससे एक तादाद से, एक निश्चित संख्या से वे ज्यादा बच्चे पैदा न कर सकें। वह संख्या चाहे एक हो, दो हो या तीन हो। इस प्रस्ताव का अभिप्राय यही है कि केवल संयम को काम में लिया जाये। यह टीक बात है जहां तक रिक्रियेशन के लिए कहा। लेकिन जहां आप आदर्श की बात मानते हैं तो वहां हमें "पुत्राय क्रियते भार्या" के आदर्श को मानकर चलना चाहिए

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हिन्दी में समझाइये।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : पुरुष-स्त्री से शादी इसलिए करता है कि पुत्र हो। मेरे हमने का अभिप्राय यह था कि संतति-निग्रह को न रोकें। एक निश्चित संख्या पर रोक लगा दी जावे कि फेमिली में इससे ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए और अगर होंगे तो हमारे देश के आर्थिक ढांचे को सफलता नहीं मिल सकेगी।

श्री मदनसिंह (दांता-रामगढ़) : माननीय सभापति, जो प्रस्ताव सदन के बीच में आया उस प्रस्ताव को लेकर सारे शास्त्रों और चरित्र पर न मालूम क्या क्या बातें हुईं। मैं सैक्स शास्त्र का पण्डित नहीं हूं, परन्तु पण्डित थे वे बोल गये। आज चर्चा यह चल रही है कि बच्चे ज्यादा हो रहे हैं जिससे देश में बड़ी हानि हो रही है और इसको कैसे बन्द करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसे अपने हाथ गवर्नमेन्ट न ले, कोई संस्था ले। क्योंकि गवर्नमेन्ट सभी अधिकार अपने हाथ में ले लेगी तो इसमें अड़चन आयेगी। हर चीज़ गवर्नमेन्ट क्यों अपने हाथ में ले ? गवर्नमेंट के पास जमीन-जायदाद, सारे आदमियों के हक-हकूक हैं, केवल एक आदमी बच्चे पैदा कर सकता है यह अधिकार उसके पास है, वह कन्ट्रोल भी अब गवर्नमेन्ट करे। ठीक फिर मेरे ख्याल से बाद में उत्पत्ति के साथ है, कर सकती है साथ कन्ट्रोल मौत को भी करना पड़ेगा। अभी हमारे कुछ भाइयों ने ईश्वर को चैलेन्ज किया कि पैदा करना ईश्वर के हाथ में हैं, अगर पैदा करना आपके हाथ में रह जायेगा, आपके ताल्लुक में रह जायेगा तो एक मरने का भी तो उपाय होना चाहिए, इस मृत्यु को भी बन्द करिये। आखिर इस प्रस्ताव को रखने के लिए कुछ रीज़न्स होने चाहिए कि किन रीज़न्स से यह प्रस्ताव रखा है। राजस्थान में ऐसी कौन सी पोपुलेशन बढ़ी है ? ऐसी क्या अड़चन आ गई है ? मैं कहता हूँ कि प्रबन्ध की अड़चन आ गई है, आप प्रबन्ध से घबरा गये हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। आप ही बताइये कि यहाँ कांग्रेस के राज्य के बाद में कितने बच्चे पैदा हो गए, जिन्होंने आपके कितने कपड़े पहन लिये, इन चार-पांच वर्षों में वे बच्चे आपका कितना अन्न खा गये ? जहां पैदा होते हैं वहां मरते भी तो हैं। यह पॉवर तो परमात्मा के हाथ में रखिये। आप मुर्गियों के अण्डे पैदा करने में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं और नये जानवरों की पैदाइश के लिए इतना रुपया खर्च कर रहे हैं और जो आदमी हैं उनके लिए रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हैं और कहते हैं कि क्योंकि आदमी अधिक बढ़ गये हैं इसलिए हमारी पंचवर्षीय योजना फैल हो जायेगी, आपका यह डर वाजिब नहीं है और इसका कारण यह है कि जैसे आदमी पैदा होते हैं वैसे ही क्या आपने कभी एवरेज निकाला है कि आदमी की क्या आयु है ? बड़े-बड़े डाक्टरों ने कहा है कि

(श्री मदनसिंह:)

आदमी के मरने की एवरेज आयु २५ वर्ष की है। यह हालत है जहां हिन्दुस्तान की, कि बीस-पच्चीस वर्ष की आयु में एवरेज आदमी मर जाता है वहां आप इस प्रकार का निकम्मा कानून लाना चाहते हैं कि बच्चे पैदा न हों। जहां यह कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध जैसे आदमी पैदा नहीं होंगे। माननीय सदस्य जो यह बोल रहे ये उन्होंने ऐसा कभी उपाय किया है कि आयन्दा उनके बच्चे पैदा न हों। मैं उनके लिए नहीं कहता हूं, अगर वे ऐसा उपाय कर लें और दुर्भाग्यवश अगर हमारे बच्चे रेल में या कहीं और मर गये तो उनके माता-पिता से पूछिये कि क्या अनुभव करेंगे वे? फिर उनके घर की हालत देखिये कि क्या हालत होगी क्योंकि उनके पास जो चीज़ थी उससे तो उन्होंने हाथ धो लिया और बाकी अब रोना है सो रो सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : इसीलिए ३ बच्चों के लिए कहा है।

श्री मदनसिंह (जारी) : ये तीन बच्चे रखना आपके हाथ में नहीं है। तीनों एक साथ भी मर सकते हैं, दो मर सकते हैं, एक भी मर सकता है। इसलिए जो मृत्यु को कन्ट्रोल नहीं कर सकता है वह बर्थ को क्यों कन्ट्रोल करे? मैं समझता था कि असेम्बली के अन्दर ऐसी चीजें लाकर गन्दगी फैलाई गई कि बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं, क्या होता है तो इससे तो ऐसा लगता था कि जैसे बड़े बड़े ब्रह्मचारी बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वह बात अच्छी नहीं थी और यदि इस विचार का लक्ष्य यह होता कि भारतवर्ष में लोग चरित्रहीन हो रहे हैं इसलिए चरित्र निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव लाते या ऐसी ही विचारधारा पेश होती तो मैं उसका आदर करता। इसके पीछे तो जैसा कि भैरोंसिंहजी ने बताया कि भ्रष्टाचार होने का डर है, इसमें तो गिरावट है। अगर भारतवर्ष के आदमी गिर गये तो मैं कहता हूँ कि चाहे अच्छे से अच्छा अन्न खा लो, अच्छे वस्त्र पहन लो, उससे क्या होता है। मैं कहता हूँ कि रंडी और वैश्या के पास भी अच्छे वस्त्र होंगे, अच्छे सोने के गहने होंगे तो क्या वह सभ्य नागरिकों की गिनती में आयगी? इसलिए मैं यह समझता हूँ कि जिन सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूँ कि वे राजस्थान के बड़े अच्छे नेता हैं इसको तो समाज के ऊपर छोड़िये। समाज में ऐसे लोग हैं जो इसके लिये उपाय कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर कुछ कहा गया तो कई शास्त्रियों के और महात्माओं के ऊपर छींटाकसी होगी और जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर भी छींटाकसी हो सकती है। जहां ऑर्ग्युमेन्ट्स होते हैं वहां लोग आपके ऊपर भी आक्षेप करेंगे उनसे भी आप बच नहीं सकते। इसलिए ऐसी गन्दगी को यहां नहीं लाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जिनके दस बच्चे हैं वे सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अस्सी अस्सी हज़ार भी पुत्र हुए हैं और जिन्होंने राष्ट्र निर्माण किया है। अगर शास्त्र सही है तो हमारे जोधाजी के १६ पुत्र हुए हैं, जिन्होंने जोधपुर जैसी शहर को बसाया। बड़ी हिम्मत वाले थे, बड़े लड़ाकू थे। भारतवर्ष में अच्छे आदमी न मालूम किस समय पैदा हों, आप उनको और रोकोगे। इस विषय पर तो बड़ा भारी शास्त्र है, अगर हम सब इस पर बहस करें तो दिन भर भी बात कर सकते हैं कि

(श्री मदनसिंह)

किस प्रकार क्या होता है, क्या पता कि कौन से तत्व हैं जिनके द्वारा निर्माण पैदा होता है। जाने किस मौके में क्या भाव आ सकते हैं? कैसे शिवाजी और राणा प्रताप पैदा होंगे। आज राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। आपके और आपकी स्त्रियों के भाव अच्छे हैं, राष्ट्र हमारा है। अगर अच्छे विचारों के साथ अच्छी बातें होंगी तो भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बड़ी चीज़ होगी अन्यथा उल्लू के बच्चे तो पैदा होंगे ही, आप उनको भी पैदा होने से नहीं रोक सकते। ऐसी बातें आप धार्मिक ग्रन्थों के जरिये कन्ट्रोल कर सकते हैं, डॉक्टर के जरिये नहीं कर सकते। अब बर्थ कन्ट्रोल करना चाहते हैं और उसके लिए दवाइयां विदेशों से मंगानी होंगी और अगर आप दूसरे देशों से ऐसी दवाइयां मंगायेंगे तो दूसरे देश वाले यही कहेंगे कि ये निकम्मे हो गये हैं, इनको आदमियों का डर लगता है। हमारी सरकार चाहती है कि आदमी कम होने का कोई उपाय हो। तो ऐसे आदमियों को कम करने का भाव है तो नई नस्लों को, नई कोंपलों को निकलने से क्यों मना करते हैं, पुराने बूटों को जो ७०, ८० वर्ष के हो गये हैं, दिल्लों का शासन चला रहे हैं और जिनके हाथ कलम पकड़ने में कांपते हैं, उनको क्यों नहीं खत्म करते हैं। आदमी पैदा करना शास्त्रों के अनुसार है। जितने भी बुड्ढे आदमी हैं उनको खत्म कर दें, क्यों कि वे छोटे पौधों को आगे बढ़ने में रुकावट डालते हैं। राष्ट्र में यही विचारधारा हो रही है तो जो बुड्ढे हो गये हैं, जिनके हाथ थरथर कांपते हैं और जो भारतवर्ष के शासन का काम कर रहे हैं उनको कह दें कि वे जंगलों में चले जायं, क्यों कि वे एक वेस्टेज हैं। जो बुड्ढे आदमी हैं उनके लिए जो खाना-पीना खर्च होता है; वह वेस्टेज है हमारे राष्ट्र का। उनको जंगलों में छोड़ देना चाहिए और शेरों के हवाले कर देना चाहिए। इससे शेर भी भूखे नहीं रहेंगे। शेरों को खाना मिल जाय और वे ठीक ढंग से चले जायं। यहां असेम्बली में आप बिल लाते हैं तो उससे आपकी हंसी होती है। एक शास्त्र को लेकर क्या क्या कहा गया है।

इसलिए मैं तो यह समझता हूँ कि यह हमारी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता है, इसको आप कम करना चाहते हैं। इसके बाद कई बार जनता में मैं कहता हूँ कि अपनी सरकार इतनी अच्छी है कि वह हमारी स्वतन्त्रता को इतनी बांध देगी कि घर घर में डॉक्टर खड़ा रहेगा और वह यह गिनेगा कि आपको इतनी सांस आती है और इतनी सांस जाती है। आप ऐसे कानून के जरिये बर्थ कन्ट्रोल को चीज बना रहे हैं, यह चीज अच्छी नहीं है और फिर आपकी मर्जी है। इस असेम्बली में रोज ही इस तरह की बहस कर सकते हैं। इसका कानून से पार नहीं पड़ सकता है। यह प्रकृति की चीज है। कल यह चीज नहीं बनेगी यहां चाहे जो रख लें। अपने राजस्थान में एक बहुत बड़ी मसल है कि "सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली"; सात-सात, आठ, आठ संताने हो जाती हैं, उसके बाद दूसरों को शिक्षा देते हैं।

३. २ म० प०

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Mr. Chairman. Whether any body can make some personal remarks while speaking on a bill. Whether he can make personal aspersionson the life of individuals?

श्री मदनसिंह दांता : नाम किसी का नहीं लिया है।

Page No.72

श्री सभापति : पर्सनल रिमार्क्स नहीं होने चाहिये।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने यहां पर किसी पर पर्सनली नहीं कहा है।

श्री पी० के० चौधरी : It was implied in it that he said that a person having so many children should not bring a bill of this nature.

श्री मदनसिंह : (जारी) मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है, जब कि कई माननीय सदस्य यहां नाम लेकर धड़ाके कर रहे थे, तब आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। खैर, यह हमारे लिए कोई चिन्ता की बात नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ले लिया है अपनी जिन्दगी का पूरा आराम, जिन लोगों के कई कई बच्चे हैं, कोई इन्जीनियर है, कोई एम० ए० में पढ़ रहा है, कोई बी० ए० में पढ़ रहा है, कोई मिनिस्टर बना हुआ है, वे यह प्रस्ताव रखते हैं, प्रस्ताव के द्वारा कम बच्चे पैदा करने की शिक्षा देते हैं, वे ऐसा भाव करते हैं कि बच्चे पैदा नहीं हों। चेयरमैन महोदय, आज यह बढ़ोतरी क्यों हो रही है, उनके पीछे एक आशा बंधी रहती है कि हमारी शादी होगी, हमारा एक जीवन साथी आयेगा, बच्चे होंगें, पढ़ेंगे लिखेंगे। एक निकम्मा हो जायगा तो दूसरा पढ़ेगा, दूसरा निकम्मा हो जायगा तो तीसरा पढ़ेगा, कम से कम एक तो अच्छा होगा, लेकिन इसके लिए इस तरह से कलम बन्द कर दी जाती है, ज्यादा बच्चे पैदा नहो कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे बन्द नहीं कराये जा सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव करके, असेम्बली में पास होने पर भी जनता इसके लिये तैयार नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज अच्छी नहीं हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि नेताओं का प्रचार बहुत जल्दी चलता है और उस प्रचार के जरिये हमारे छोटे छोटे बच्चे वैसा ही तय कर लें तो लड़के पैदा करने के लिए हमें आदमी बाहर से बुलाने पड़ें। भारतवर्ष के बच्चों ने कहीं ऐसा उपायसील लिया तो बच्चे पैदा कराने के लिए भारतवर्ष से विदेशी लोगों को बुलाना पड़ेगा भारतवर्ष में बच्चे कम होंगे और यहां के लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे, ऐसी नौबत भी आ सकती है।

हरिजन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग इसमें साथ नहीं दें, क्योंकि इन लोगों को डर है कि हरिजन कौम ऐसी है जिसकी संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और इससे कहीं ऐसा न हो कि एक दिन ये राज्य न खोस लें। इसलिए वे चाहते हैं कि उनको कम से कम यह उपाय समझा दें कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से तुम लोग धड़ाधड़ गरीब होते जा रहे हो, इसलिए यह तरीका तुम अपना लो। इनको विश्वास है कि ये लोग कहना मान लेंगे और बच्चे पैदा नही करेंगे और इस तरह वह एक छोटी से छोटी कौम रह जायगी और उनका राज्य नहीं छिनेगा।

(हंसी)

मैं कहता हूँ कि इससे वे लोग ही चुनाव में खड़े होंगे और आपकी कद्र नहीं होगी। यह ईश्वरीय देन है। बच्चे पैदा करने का सबको अधिकार है, जैसे कि आप पैदा हुए।

(हंसी)

(श्री मदनसिंह)

अगर यह काम आज से ६० वर्ष पहले लागू हो जाता तो माननीय सदस्य जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है वह आज असेम्बली में नहीं बैठते। ६० वर्ष पहले के लोग इनसे कम दिमाग के नहीं हुए हैं। हमसे बड़े बड़े महात्मा और नेता हो गये हैं, वे अगर यह सोचते तो यह भली संतान कहां से पैदा होती जो आज भारत का कल्याण करने के लिए विराजमान हैं।

(हंसी)

ऐसे कानून को लाकर सदन का समय वेस्ट करना है। आज महात्मा निकम्मे फिर रहे हैं। हमारे पंडितजी कहते हैं कि महात्माओं को पंचवर्षीय योजना में लगाकर उनसे सड़क कुटवाई जाए। महात्माओं से कहें कि अगर महात्मापन रखना है तो घर घर जाकर ऐसा समझावें कि कम से कम हम में ऐसा संयम आ जाय, ऐसे विचार आ जायं कि खुद ही समझ समझ कर ऐसी बात करें कि जैसी संतान पैदा करना चाहें, वैसी करें। ऐसे आदमी भी हैं। ऐसे आदमी नहीं हैं कि धक्का खाकर खड़े हो जायं कि ज्यादा बच्चे पैदा हो गये। वह आदमी निकम्मा है जो बच्चे से घबराता है। बच्चों से कौन घबराता है? जो निकम्मा और बेकार है। अगर १० बच्चे हों तो उनके लिए प्रबन्ध करने की हिम्मत आयेगी। तो हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में खूब बच्चे हों और उनको आगे पढ़ाने-लिखाने का प्रबन्ध करें। अगर उनके खिलाने का प्रबन्ध करने से आप डरते हों तो आप कुर्सियां छोड़ दें। जब कमी हो जायगी तो कुर्सियां आपको वापिस दे देंगे। अगर आप बच्चों से डरते हैं कि तादाद ज्यादा हो रही है, तो ऐसे आदमी बैठे हुए हैं भारतवर्ष में जो अन्न व कपड़ा दे देंगे आपकी व्यवस्था में कमी आने पर। मगर इस बात का प्रस्ताव लाते हैं तो आपकी हंसी उड़ेगी, हंसी ही नहीं धूल उड़ेगी। अगर आप मानते हैं और इसको वापिस ले लेते हैं तो बहस नहीं होगी और अगर नहीं मानते हैं तो बहस होगी और उसमें व्यक्तिगत बात पूछेंगे कि आपके कितने लड़के हैं, क्योंकि कहीं ऐसा तो न हो कि भटजी बैंगन खायें और दूसरे को प्रबोध करायें" जिसके १०-१० बच्चे हों और वह यह तो कैसे मान लें। हां, अगर माननीय भैरोंसिंहजी जैसे सदस्य कहें तो ठीक है। वे अगर ऐसे प्रस्ताव को रखें जिनको हम कुछ मानते हैं कि वे संयम वाले आदमी हैं। रावल श्री नरेन्द्रसिंह जी रखते हैं तो मानते हैं।

(हंसी)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : वे प्रस्ताव बाद में रखेंगे। जब दूसरों के बराबर आ जायं, तब रखें।

श्री मदनसिंह : (जारी) अगर यह कोई प्रस्ताव होता कि भारतवर्ष के बच्चों का कुछ चरित्र निर्माण हो तो वह प्रस्ताव ठीक होता। मैं आपको बताऊं कि आपके कहने में १० आदमी आयेंगे और १००० आदमी नहीं आये और बच्चे पैदा करते जायेंगे तो क्या आप बन्दोबस्त नहीं करेंगे? यह क्या कोई तरीका है? कोई भी चीज़ तरीके की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से नहीं रखते हैं हम आपकी चीज का पालन नहीं करते हैं। हम १००-१०० लड़के पैदा करेंगे। आपसे व्यवस्था नहीं हो सकती है तो आप राज्य छोड़ दें। इससे हंसी होती है। राजनैतिक नेताओं में कई ऐसे लोग हैं जो चरित्रहीनता की बात करते हैं इसलिये आप जनता में खड़े होंगे तो हंसी होगी। इसलिये ऐसी गंदी बातें यहां

(श्री मदनसिंह)

आनी ठीक नहीं थी। कोई कोकशास्त्र की बात कर रहा है तो कोई दूसरी तरह की बात कर रहे हैं, ऐसी चीजें अपने को नहीं लानी चाहिये। चाहे भारतवर्ष में किसी भी सिद्धान्त को मानने वाली पार्टी हो उसका कर्त्तव्य है कि ईश्वर को बीच में नहीं लावें। जिसने मौत दी है उसने पैदा करने की भी शक्ति दी है। जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए हैं वे जरूर बच्चे पैदा करेंगे। आज यहां पर जो चर्चा हो रही है वह अच्छे ढंग से नहीं हो रही है! फिर सदस्यों की मर्जी है। उनको यदि इसमें बड़ा आनन्द आता है तो इस प्रसंग को और भी छेड़ें। जो लोग इसके माहिर हैं वे और भी बातें बतादें। मैंने एक सीधे सादे राजपूत की तरह से अपनी बातें यहां रखदीं। आप खूब संख्या बढ़ावें, उनको खिलावें-पिलावें, अच्छी शिक्षा दें ताकि देश की फौज बढ़े। आज एशिया और चाइना में कौन से आदमियों की कमी है वहां भी लोगों को खाने पीने को खूब मिलता है।

श्री पी. के. चौधरी : एशिया में एबोर्शन क्राइम है।

श्री मदनसिंह : मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री सभापति श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा : बुजुर्गों को बोलने का मौका मिलना चाहिये ताकि अपना अनुभव बता सकें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, आज के जमाने में लोग स्पुतनिक में उड़ कर चंद्रमातक पहुंचने की बात करते हैं और जब कि संसार की दूरी कम हो गई है तब हम राजस्थान में आबादी बढ़ने से डरते हैं। हमारे भारतवासियों ने बाहर जाकर अपनी कला और संस्कृति का प्रचार किया और दूसरे देशों में अपने उपनिवेश बसाये। आज हम देश में किसी चीज से दुखी हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि हमारे यहां आबादी बढ़ रही है। बल्कि यह उन लोगों की आवाज है जो अपनी योजना में फेल हो रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के जो चोटी के नेता थे उन्होंने कहा कि काश्मीर पर आक्रमण करने के लिये तैयार हो जाओ, फलां तारीख को काश्मीर पर आक्रमण करेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी गद्दियें बनाई रखी लेकिन अंत में उसका क्या नतीजा निकला। उसी तरह से हमारे यहां सेकिन्ड फाइव इयर प्लॉन आया है इसमें लोगों पर करों का बोझ लादा गया है उसके बावजूद भी सेकिन्ड फाइव इयर प्लॉन सफल नहीं हुआ है। उस पर आवरण डालने के लिये यह नारा लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि सारा संसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है। प्रत्येक आदमी चाहे भौतिकवादी हो, चाहे अध्यात्मवादी हो, यह सोचता है कि एक बार मरना है। लोगों पर केलेमिटीज आती हैं, बाढ़ आती है, महामारी आती है और अन्य कई कारणों से भी आबादी नष्ट होती जाती है। ऐसी हालत में जब हम जीवन के प्रति इतने सशंक हैं तब हम किस प्रकार निश्चय के साथ कस सकते हैं कि इतने करीब लोग आगे नहीं मरेंगे। यदि आप इस प्रकार की गारन्टी लेने को तैयार हों कि जितनी संतान पैदा करते हैं वह निश्चितरूप से, पैदा करने वाला जिन्दा रहेगा, तब तक, जिन्दा रहेगी और उसकी सेवा करेगी तब तो वह एक संतान

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पैदा करके ही रुक जायगा। आज यह आशा लगी रहती है कि जब सन्तान बड़ी होगी तब योग्य बनेगी और सेवा करेगी। इसी महती और बलवती आकांक्षा को लेकर सन्तान पैदा करते हैं। वैसे धर्म शास्त्र में भी कहा गया है कि मनुष्य को विवाह की आवश्यकता संतान उत्पादन के लिये होती है। संतान उत्पादन के पीछे भावना यह रहती है वृद्धकाल में सेवा करें। इसलिये मनुष्य चाहता है कि उसकी संतान पढ़े-लिखे योग्य बने और अच्छी संस्कृति का निर्माण करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात ो यदि कोई गारन्टी दे दे कि बच्चे जो पैदा किये जायेंगे वे हमेशा जीवित ही रहेंगे, तब तो आदमी प्रतिबन्ध मानने को तैयार हो जायगा, अन्यथा नहीं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पंच-वर्षीय योजना जिसका आपने नारा लगाया है, उसके आंकड़े देखने से पता चलेगा कि हमारी प्रथम योजना १९६ करोड़ रुपयों की किसलिए रखी और उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना १७० करोड़ रु० की रखी गई और उसके बावजूद भी आज हमारे देश में कृषि और भूमिसुधार कानून बन रहे हैं, वे इतने असफल रहे कि उनके कारण खाद्यान्न का विकास नहीं हो सका और इसलिये आप लोगों को खाने को नहीं दे सके और अब परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, आज समस्या हमारे सामने यह है कि गरीबी बढ़ रही है, बड़े आदमी अधिक नहीं बन रहे हैं उस पर भी आप परिवार नियोजन का प्रचार करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं उनको आप परिवार नियोजन करने के लिये कहते हैं। यदि हम ऐसे लोगों को संतान उत्पादन से रोकते हैं तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने वाली है उसको आप रोकते हैं। आप परिवार नियोजन का जो प्रचार करते हैं वह शिक्षित लोगों में ही करते हैं। आपका प्रचार गांवों तक नहीं पहुंचता है। आप सिनेमा रील्स इसकी दिखाते हैं तो वे गांवों में कहां पहुंचती हैं। रूरल एरिया में आपके सार्व-जनिक संपर्क विभाग की वान्स (वाहनें) जाकर प्रोपेगेन्डा नहीं करती हैं। शहरों में पोस्टर आदि भी लगाते हैं। जिन लोगों ने ऑपरेशन कराये हैं वे शहरों के रहने वाले हैं। इसका फल यह होगा कि हमारे यहां क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को खतरा पैदा हो जावेगा। आज देश को क्वॉलिटी ऑफ पापुलेशन की आवश्यकता है। राम, कृष्ण, शिवाजी, गांधी, व नेहरू जैसे लोगों की हमको आवश्यकता है। यदि शिक्षित लोग ऑपरेशन करायेंगे और उत्पत्ति को रोक देंगे तो आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की क्या उम्मीद करते हैं? यदि आप चाहते हैं कि देश में क्वॉलिटी ऑफ पॉपुलेशन रहे और समाज में योग्य व्यक्ति पैदा हों तो जिन लोगों ने अच्छा अध्ययन किया है, जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी हैं, जिन्होंने एक्सपीरियेन्स गेन किया है, जिन्होंने धन उपार्जन किया है, जो सुन्दर हैं उनमें आप प्रचार करना चाहते हैं कि वे पॉपुलेशन बढ़ावें उनको यदि आप पॉपुलेशन बढ़ाने से रोकना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ यह बात ऐसी होगी कि जिस रोग का उपचार करना चाहते हैं उसका उपचार नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ दूसरी बातें भी आने वाली हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह भी एक प्रकार की राजनैतिक बात है। आज हिन्दुस्तान में कई तरह की जातियां रहती हैं। एक मोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। हिन्दू

(श्री दयाकृष्ण विजय)

समाज के लिए आपने कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं करेगा। लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में करोड़ों ऐसे समाज के लोग रहते है कि यदि मैं उनका नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि साम्प्रदायिकता की बात कहते हैं। मुसलमानों के ऊपर क्या आपने यह प्रतिबन्ध लगाया है ? क्या वे हिन्दुस्तानी नहीं है ? कानून के अनुसार वे चाहें जितने विवाह कर सकते हैं। तो जहां विवाह ज्यादा होंगे, वहां निश्चित रूप से संतान ज्यादा होंगी। यदि आप चाहते हैं कि संतान कम हो, परिवार नियोजन हो तो पहले आप इस प्रकार का कानून बनावें जो सब के लिए लागू हो। एक पक्षीय कानून नहीं बनाया जा सकता। एक को तो आप शादी करने से रोकते हैं और दूसरों को नहीं रोकते हैं तो करोड़ों लोगों को आप नहीं रोकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद इस ओर आपका ध्यान नहीं जाता और जो लोग आपका ध्यान इस ओर दिलाते हैं तो उनको कहते हैं कि साम्प्रदायिकता की बात करते हैं या संकुचित बात करते हैं, लेकिन फैक्ट हैं वे आपको सामने रखने पड़ेंगे। एक तरफ आप चार-चार शादियां करने की अनुमति देते हैं और दूसरी ओर चाहते हैं कि बच्चे पैदा करें, यह कहां तक उचित है।

लेकिन मेरी समझ में, शायद जिन लोगों ने यह प्रस्ताव रखा है, उनके दिमाग में यह बात नहीं आती। क्योंकि जिनके वोटों को वजह से उनकी गद्दी बनी है, उन लोगों की संख्या वे बढ़ाना चाहता हैं और जिन लोगों के वोटों से वे गिरे हैं, उनकी संख्या गिराना चाहते हैं। हो सकता है यह एक राजनैतिक षड्यन्त्र चल रहा हो

(हंसी)

ऐसी सूरत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज वोटों के आधार पर हम अपनी जातियों के लोगों की संख्या बढ़ाने की एक दौड़ लगा रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, बाहर से क्रिश्चियन मशीनरीज सारे देश में छाई हुई हैं, वे क्रिश्चियन बढ़ा रहे हैं, बाहर से मौलवी आ रहे हैं और वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, लेकिन हिन्दुस्तान है, हम कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान की सीमाओं से बाहर नहीं जायेंगे, यहां के निवासियों की संख्या बढ़ती है तो भी बाहर नहीं बसायेंगे और देश की सीमाओं को सीमित करना चाहते हैं और जनसंख्या के साथ खड़े होकर डेमोक्रेसी चलाते रहेंगी और एक समय में उठने वाले हाथों को नहीं बढ़ायेंगे। हो सकता है कि प्रजातन्त्र में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो उन राजनैतिक कारणों को सामने रखें और आबादी को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आबादी के बढ़ने से, कहा जाता है कि, खाद्यान्न की समस्या विकट होती जा रही है, कि जो उत्पन्न होने वाली जनसंख्या है, उसको खाद्यान्न नहीं दे सकते, उसको कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन इसकी जिम्मेदारी उत्पन्न करने वाले की नहीं है, उनकी है जिन्होंने पंच-वर्षीय योजना की महत्वाकांक्षाओं को लेकर, बाहर से इतना कर्जा लेकर, आम लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर बड़ी बड़ी योजनायें बनाई हैं जिनको कि नहीं बनाया जाना चाहिए था। हम जानते हैं कि देश के अन्दर खाद्यान्न की समस्या, हम जानते हैं कि देश के अन्दर गरीबी है, लेकिन उनका समाधान जल्दी नहीं हो सकता है, बड़े-बड़े बांधों से राहत नहीं दे सकते हैं। अगर आप बड़े-बड़े बांध नहीं बनाते और छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लेते, तो राहत

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हो सकती है । जो काश्तकार सांझ पड़े घर में सो जाते हैं, उनको आप घरेलू उद्योग धन्धे देते तो वे सन्तानोत्पत्ति के काम में न लगकर उद्योग धन्धों का काम करते । जैसा कि श्री भैरोंसिंहजी ने बताया कि काश्तकारों के पास रिक्रियेशन का साधन नहीं है । अगर उन्हें रिक्रियेशन के साधन नहीं देते हैं तो उनको उद्योग-धन्धे दें, और वे उद्योग धन्धे इस प्रकार के होने चाहिए, कि कृषि और उद्योग धन्धों में सामंजस्य हो । काश्तकार चार महीने तक लगातार बेकार रहते हैं । आप किसी रूरल एरिया में निकल जाइये, सारा गांव सोया हुआ मिलेगा । इसका कारण क्या है रात भर सोकर काश्तकार क्या करेगा ? काश्तकार उत्पत्ति ज्यादा करते हैं । इसलिए आप काश्तकारों के लिए कुछ तलाश करें, उनको कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन दें, गांव में प्रचलित उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो कृषि से सामंजस्य रखते हों । मैं देखता हूँ कि गांवों में विकास कार्य चलते हैं, विकास खंडों के द्वारा वहां छोटी-छोटी योजनायें बनाई गई हैं, उनसे हरियाली हो गई है । जब कि दूसरी तरफ बड़े-बड़े बांध अभी तक अधूरे पड़े हुए है, न जाने कब वे पूरे बनेंगे, इनको बनाने के लिए दूसरे देशों का कर्जा इतना बड़ा है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि आपके बड़े-बड़े बांधों की जितनी योजनायें हैं, वे कल्पनामात्र हैं । जहां आपने छोटी छोटी योजनाओं को उठाया है, वहां हरियाली लहलहा रही है । जहां आपने कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, वहां गांव के आदमी, मोची, बुनकर आदि बेकार नहीं हुए हैं । बड़े बड़े उद्योगों को और मिलों को जहां प्रोत्साहन दिया है, उससे गांव के आदमी बेकार होते हैं । आप गांवों में खेती के लिए ट्रेक्टर लाते हैं, जब कि गांव के आदमी ट्रेक्टर नहीं चलाना जानते, तो उनको ट्रेक्टर चलाना सिखाने के लिए, मशीनरी समझाने के लिए आदमी बाहर से आते है, इस कारण आपकी पूंजी बाहर जा रही है, ट्रेक्टर बाहर से आयें तो आपकी पूंजी बाहर गई, आप आखिर क्या करते हैं । समझाने वाले आदमी बाहर से आते हैं, गांव में ट्रेक्टर चलते हैं, तो उससे गांव के आदमी बेकार होते चले जा रहे हैं और बेकारी बढ़ रही है । आपकी सारी योजनायें गलत हैं । आप योजनाओं के लिए यथार्थवाद की भावना से बिलकुल मेल नहीं खाती हैं । आज बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इस बहुसंख्यक जन समाज में, भारतवर्ष में जन संख्या ज्यादा है इसलिए यहां पर छोटी छोटी योजनायें हाथ में ली जाती तो इससे उनके ऊपर करों का बोझ नहीं पड़ता और रोटी और कपड़े की समस्या नहीं रहती । लोगों को खाना खाने को मिल जाता, लोगों में खुशहाली जल्दी आ जाती । इस कमजोरी को छिपाने के लिए इस बात को कह कर योजनाओं के लिए रुपया बाहर से ले रहे हैं, दर दर भीख का कटोरा हाथ में लेकर फिर रहे हैं, जापान जैसे छोटे देश के सामने हाथ पसार रहे हैं । यह भारत के लिए कलंक की बात है । इसी बात को छिपाने के लिए आपने नारा लगाया । आपने परिवार नियोजन का, लेकिन यह बात प्रकट होती ही है, इसको आप छिपा नहीं सकते । लेकिन आपने नारा लगाया । आपने परिवार नियोजन की बात करते हैं । इस देश के अन्दर संयम की बात सुनाई देती थी, वही संयम की बात दिल को प्रिय लगती है । जिन लोगों ने ऑपरेशन कराया है, उनको मैं कहता हूं कि वे जीवन संयम से व्यतीत करते । हमारे यहां की स्त्रियों की, जिनको मैं माताऐं कह सकता हूं, प्रजनन शक्ति खत्म हो जाती है, हमारी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

माताओं की प्रजनन शक्ति ४०, ४५ साल की उम्र में खत्म हो जाती है, तो आवश्यकता ऑपरेशन की नहीं रहती। आप लोग अबालिग विवाह के ऊपर रोक लगायें, जो कानून बना हुआ है चाइल्ड मेरिज एक्ट, उसका कड़ाई से पालन करें और चैक करें। आपने चाइल्ड मेरिज एक्ट बना दिया लेकिन बच्चों की शादियां बन्द नहीं हुई। अगर उम्र पक जाने के बाद शादी होती है, जो आश्रम की अवस्था है, वह २५ वर्ष की उम्र रखी गई है, उस समय शादी होती है तो यह समस्या दिखाई भी नहीं देगी। आप पुरानी बातों को नहीं मानना चाहते हैं, बाहर से दवाइयां लाना चाहते हैं जिससे यहाँ का पैसा बाहर चला जाय। पुराने समय के नियम, मर्यादा जीवन में लायें तो व्यक्ति के जीवन में संयम रहेगा, मर्यादा रहेगी और देश का नैतिक स्तर ऊंचा होगा। आप चाहते हैं केवल ऑपरेशन करके लोगों को चलने फिरने, हर काम को करने की स्वतंत्रता दे की जाय तो आपकी मर्जी है। भौतिक युग का जो मार्ग है, जो सिद्धान्त है, उसको आप मान सकते हैं लेकिन अपने देश में भौतिकवाद पनपा नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां जो सदस्य बैठे हुए हैं वे आपकी इस बात से राजी नहीं होंगे, हमारे देश का निर्माण, नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्त पर होगा। अगर इस सिद्धान्त पर हम चलते हैं तो हमें आश्रम प्रणाली चलानी चाहिए, गुरुकुल प्रणाली चलानी चाहिए।

इन बातों को कहते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय इस प्रस्ताव को वापिस लेंगे और सरकार की जो गलती है, पंच वर्षीय योजनाओं की, उस पर वह विचार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक महोदय से आशा करता हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापिस लेंगे।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : सभापति महोदय, अलवर से आने वाले मेरे एक साथी मिस्टर भोलानाथ ने एक संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है, और संकल्प के औचित्य को सिद्ध करते हुए उक्त सदस्य महोदय ने अपने विचार प्रकट करते हुए बतलाया है कि इस देश के अन्दर जन-संख्या ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से बेकारी बढ़ रही है और पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो रही है। इन दो शब्दों के ऊपर अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा। वास्तव में यह पूर्ण रूप से स्वीकार नही किया जा सकता कि देश के अन्दर जन-संख्या के बढ़ने से बेकारी बढ़ती है, पंच-वर्षीय योजना सफल नहीं होती है, असफल होती है। वास्तव में इस बात के ऊपर पूरे ध्यान से विचार करना चाहिए कि व्यवस्था में तो दोष नहीं जिसकी वजह से बेकारी बढ़ रही है और पंचवर्षीय योजनायें सफल नहीं हो रही हैं। मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या की बढ़ोतरी अड़चन नहीं है, लेकिन देश की व्यवस्था में दोष विद्यमान है। इसका कारण यह है कि आज जो योजनायें चल रही हैं, पंचवर्षीय योजना में, जो निर्माण कार्य चलते हैं, उनको देश को आगे बढ़ाने का नारा लगा कर चला रहे हैं, लेकिन उसके अन्दर बहुत सी कमजोरियां हैं, खराबियां हैं, जिसकी वजह से देश में बेकारी बढ़ रही है, जनता के अन्दर शांति और सुख की कमी होती जा रही है। यह नहीं है कि देश के अन्दर जन-संख्या बढ़ रही है लेकिन देश के अन्दर

(श्री मोहरसिंह)

सत्ता के अन्दर, खराबी फैलाती जा रही है, उदाहरण के रूप में भूमि-सुधार को लें, टैक्सेशन की पॉलिसी को लें। जहां तक मैं समझता हूं कि बेकारी का सवाल पंचवर्षीय योजना का सवाल है। यह आर्थिक सवाल का एक पहलू है। देश के हरएक हिस्से को देखा जाय, कहीं भी आदमी सुखी नहीं मिलेंगे, दुःख के अन्दर देश की ज्यादातर जनता मालूम होती है। आप गांवों में जायं, तो गांवों के अन्दर किसी आदमी के पास १ हज़ार बीघा तक जमीन पड़ी है और जिसके कुटुम्ब के अन्दर १५ आदमी हैं, उसके पास दो तीन बीघा ज़मीन है। जिसके पास एक हज़ार बीघा जमीन है, उसके परिवार में पांच आदमी हैं और ६००, ७०० बीघा जमीन ऐसी उसके पास है जो बेकार पड़ी हुई है। जब कि बहुत से हिस्से में लोग जमीन न होने के कारण तंग हैं। इस तरह की चीजें हैं, इन पर विचार करना चाहिए। मैंने कई जगह देखा कि किस प्रकार व्यवस्था में दोष है। यह कहा जाता है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जब कि हिन्दुस्तान में केवल ३८ लाख एकड़ भूमि काश्त की जा रही है, १ करोड़ बीघा भूमि काबिले काश्त बनाई जा रही है। अब एक आदमी कितना खायेगा, इसका हिसाब लगाया जाये तो एक आदमी ज्यादा से ज्यादा खाता है दो मन, तो जो अनाज की जरूरत है वह है तीन हजार ४३ करोड़ मन। अभी ३८ लाख एकड़ में कृषि हो रही है। एक एकड़ में १ बीघा १२ बिस्वा जमीन होती है। हिसाब लगाया जाय तो करीब १ अरब के या करीब ६६ या ६५ करोड़ बीघा जमीन है, जिसमें दो दो फसलें होती हैं। मामूली से मामूली हिसाब से देखा जाय तो एक बीघा जमीन में, एक आदमी ४ या ५ मन अनाज पैदा कर लेता है, हालांकि बहुतसी जमीन में इससे कहीं ज्यादा अनाज पैदा होता है तो कितना अन्न पैदा होता है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि यह जो अन्न की कमी की समस्या है वह इस बिना पर है कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। इन सब आंकड़ों पर गौर करने के बाद साफ प्रतीत होता है कि जरूर कहीं न कहीं अव्यवस्था है, और उसी अव्यवस्था के कारण यह अनाज की कमी है।

बीकानेर में बीस-पच्चीस आदमियों वाला परिवार २०० बीघा जमीन काश्त करता था। आज इस प्रकार के परिवार के पास ५० बीघा जमीन छोड़ी गई है, उनको कहा जाता है कि राजस्थान कोलोनी नहर आयेगी। वह नहर न मालूम कब आयेगी। आज उनके पास ५० बीघा जमीन छोड़ी गई है, क्या खायेंगे उस परिवार के २५ आदमी? कहा जाता है कि यह जमीन भूमिहीनों को देंगे। उन लोगों को पूछा गया कि तुम लोग तो सुखी हो न? तो वे लोग कहते हैं कि १५ बीघा जमीन अलॉट की गई है और १५ आदमी घर में हैं, और इस १५ बीघा के लिये भी रोज अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इधर तो जो लोग सुखी थे उनसे सुख छीन लेना, जमीन छीन लेना और उधर जो लोग लालायित हैं उन्हें अदालतों में घसीटना ताकि वह १० बीघा भूमि भी न बो सकें, इस लालच में अदालतों के चक्कर लगाते रहें कि हमें जमीन मिल जायगी, इधर ये दुखी और उधर वे दुखी। तो इस प्रकार यह एक बड़ी भारी अव्यवस्था है। इसी तरह सरकार की टैक्सेशन की पॉलिसी है वह भी गलत है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से

(श्री सभापति)

निवेदन करूंगा कि सब्जेक्ट पर बोलें, टैक्सेशन पर न बोलें ।

श्री मोहरसिंह (जारी) : मैं इसी विषय पर बोल रहा हूँ, सभापति महोदय, कि संख्या बढ़ने का सवाल हिन्दुस्तान में तो अनाज की कमी का कारण नहीं है। सरकार की भूमि सम्बन्धी पॉलिसी के साथ साथ टैक्सेशन पॉलिसी भी गलत है जिसके कारण अधिकांश वर्गों में सरकार अशान्ति, दुख और तकलीफ पैदा करती जा रही है और सरकार की ओर से अपनी इन कमजोरियों और गलतियों को छुपाने के लिये बहाना बनाया जाता है कि देश के अन्दर जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है इसलिए देश में दुख, अभाव और बेकारी बढ़ रही है।

मैं तो इस उसूल को मानने वाला हूँ कि एक आदमी अवतार लेकर माता के पेट के बाहर आता है तो अपने १ मुंह के साथ दो हाथ और दो भुजाएं भी लेकर आता है और उनसे वह नहर खोदकर २ मन प्रति बीघा अनाज की जगह १० मन प्रति बीघा अनाज पैदा कर सकता है, फिर कौन सी विपत्ति आ गई है जो कहा जाता है कि परिवार नियोजन करो, इन्जेक्शन लगवाओ। हिन्दुस्तान में ऐसी कौन सी आफत आ गई है ? उदाहरण दिया गया चीन के ६५ करोड़ लोगों का, और केरल का कि एक वर्गमील में सैकड़ों आदमी रहते हैं। पर यह भूल गये कि जैसलमेर का भी तो इलाका है, जहां तीन चार माइल में एक आदमी रहता है। तो जो यह कहा जा रहा है कि परिवार बढ़ रहा है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, यह हिन्दुस्तान में इस समय तो ढकोसला सिद्ध हो रहा है।

फिर भी किसी चीज की सीमा होनी ही चाहिये। यह मैं तस्लीम नहीं करता कि जनसंख्या सीमासे अधिक बढ़ जाय। किसी भी चीज के सीमा से अधिक बढ़ने को मैं अच्छा नहीं मानता ? पर परिवार नियोजन के लिए जो तरकीब बताई है वह गलत है। इसके लिए संयम की आवश्यकता है। मेरे माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कह दी हैं उनको दोहरा कर में पिष्टपेषण नहीं करना चाहता। आज समाज के चारों तरफ का वातावरण बड़ा दूषित होता जा रहा है, लड़के-लड़कियों के चारों ओर का वातावरण बिगड़ा जा रहा। पढ़ने वाले नवयुवकों और नवयुवतियों के दिमाग को सिनेमा और उनके चारों ओर का दूषित वातावरण ठीक नहीं रहने देते। उनकी शिक्षा ही इस प्रकार की है तो कैसे आशा की जाय कि हमारे नवयुवक और नवयुवतियां अपना चरित्र निर्माण कर संयमित जीवन व्यतीत करेंगे। शारदा एक्ट का पूर्णतः पालन नहीं होता है। कहां २५ वर्ष की आयु तक शादी नहीं करने का विधान था एक समय, पर आज तो २५ वर्ष की आयु तक तीन-चार लड़के हो जाते हैं। आज सरकार सख्ती से शारदा एक्ट का पूर्णतः पालन कराए और यह दृढ़ निश्चय कर ले कि २० वर्ष से पहले एक भी शादी न होने दी जायगी तो इससे ही काफी फर्क पड़ सकता है। २० वर्ष पहले शादी नहीं होगी तो दो-दो तीन-तीन बच्चे कहां से पैदा होंगे। संयमित जीवन सब का हो तभी हम इन सब प्रकार की समस्याओं का हल कर के आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा में भी जो इस प्रकार की कमजोरियां हैं जिसके कारण देश में ऐसी चीजें बढ़ती जा रही हैं जो हमें नैतिकता से गिराती हैं, जिससे व्यभिचार बढ़ता है, उन कमजोरियां को हमें दूर करना है, इन

Page No.81

(श्री मोहरसिंह)

सारी चीजों पर विचार कर के सोचना चाहिए कि यह बीमारी क्यों बढ़ रही है। मूलभूत आर्थिक ढाँचे की हमारी बात है उसको सोच कर चलें। हिन्दुस्तान को तो अभी १५-२० वर्ष तक इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है।

किसान आज कल अनाज पैदा करते हैं, उनको पूरी तरह से सुविधाएं दी जायें तो वे आज से दुगुना अन्न पैदा कर सकते हैं! हिन्दुस्तान का बहादुर किसान जो यह सोचता है कि दो बीघा जमीन में नहर खोद सकता हूं और खूब अनाज पैदा कर सकता हूं, उसे सुविधाएं दी जायें तो वह खूब अन्न पैदा कर सकता है।

इसी प्रकार कपड़े की समस्या है उसमें भी दोष है। साढ़े दस रुपये में एक धोती जोड़ा पड़ता है उसमें से दस-बारह आना मजदूर को मिलता है और बाकी सब पूंजी-पतियों की जेब में जाता है। आज हिन्दुस्तान में कई ऐसे आदमी हैं जिनके पास करोड़ों की सम्पत्ति पड़ी हुई है। आज जो कपड़े की कमी है, वह इस कारण से नहीं है कि हमारे देश की जन-संख्या बढ़ रही है बल्कि इस कारण से है कि हमारी सरकार की इस सम्बन्ध की नीति में, व्यवस्था में दोष है।

तो इस प्रकार सरकार की नीति और व्यवस्था में जो जो दोष हैं उन दोषों को दूर करके व्यवस्था को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और फिर भी यही हालत बनी रहती है तो फिर हमें कोई न कोई बात सोचनी चाहिये यह अड़चन, यह समस्या फिलहाल तो हमारे सामने आने वाली नहीं है।

इस लिए वर्तमान हालत में, जो प्रस्ताव मास्टर साहब की ओर से रखा गया है उसको मैं ठीक नहीं समझता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : आज हमारे सामने एक प्रस्ताव आया है और उस पर चार माननीय सदस्यों ने अपने अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। प्रस्तावक महोदय ने स्वयं और चारों संशोधन कर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा देश किसी तरह इस तरफ प्रगति करे और जिस प्रकार हमारे देश में परिवार नियोजन का आन्दोलन चल रहा है उसी प्रकार, जिस राज्य के हम रहने वाले हैं, यह राज्य भी देश का ही एक अंग है, इसलिये यहां भी भारत की भाँति परिवार नियोजन का कार्य हो। यह एक सुन्दर प्रस्ताव है। यह कोई नई चीज हमारे यहां इस समय की जा रही हो ऐसी बात नहीं है। इसके पक्ष में जो सदस्य बोले वे तो बोले ही, पर मैं समझता हूं कि जो विरोध में बोलते हुए जो युक्तियां दी हैं वे कुछ मुझे ऐसी लगीं कि वे केवल विरोध करने के लिये ही दी हैं। जो कि शायद हास्यास्पद ही कही जा सकती हैं।

सबसे पहले विरोध इस बात पर किया गया कि इस प्रस्ताव को लाने वाले सदस्य महोदय हैं वे शासक वर्ग के हैं उनका कहना है कि पंचवर्षीय योजना में कितनी ही प्रकार की कमियों से वे फेल हो रहे हैं उसको छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस प्रकार के लांछन लगाते हुए उन्होंने इसको अव्यावहारिक भी बताया।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह परिवार नियोजन की सी चीज हमारी पंच वर्षीय योजना में कैसे आई है। जहां तक मुझे मालूम है हमारे देश के बड़े २ नेताओं और समाज सुधारकों ने बहुत पहले ही इस चीज की महत्ता को समझ लिया था और इसकी आवश्यकता को महसूस किया था। मैं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दूसरे समाज सुधारकों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं राजनैतिक दल की स्थिति में बैठा हूं। जिस राजनैतिक दल से मेरा संबन्ध है वह कांग्रेस है और हमारी कांग्रेस के महान नेता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज से बहुत पहले इस चीज को एक दूरदर्शी की तरह देखा था क्योंकि वे एक ऋषि थे। ऋषि किसको कहते हैं? ऋषि उन्हीं को कहते हैं जो आने वाली बातों के सम्बन्ध में पहले जान जाता है और देख लेता है। इस बात को महात्मा गांधी ने बहुत पहले अनुभव किया था और इस पर जोर दिया था कि यदि हमारे देश को स्वतन्त्र होने के बाद उन्नत और समृद्धिशाली बनाना है तो इस प्रकार का सुधार करना आवश्यक होगा। परिवार आयोजन की बातें करनी होंगी। उन्होंने जो कुछ कहा था वह चीज मुझे आज भी याद है। यदि किसी को विश्वास नहीं हो तो वे उस समय के उनके 'यंग इण्डिया' के पुराने पत्र को देख सकते हैं और पुराने "हरिजन पत्रों" को भी देख सकते हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने किस प्रकार से समय समय पर परिवार आयोजन की बात अपने देशवासियों के सामने रखी थी कि अगर हमारे देश की उन्नति करना है तो दूसरे साधनों के साथ साथ संतति को भी सीमित करना ही पड़ेगा। उन्होंने इस चीज पर बहुत बड़ा जोर डाला है। केवल एक बात आप समझते हैं, जहां परिवार को सीमित करने की बात कही थी वहां उन्होंने पाश्चात्य तरीकों को नापसन्द किया था और इसीलिए उन्होंने सबसे अधिक जोर संयम और ब्रह्मचर्य पर दिया, लेकिन उसके साथ साथ हम यह समझते हैं कि जिस युग में हम रह रहे हैं इस युग में जिस प्रकार की आलोचना किसी की होनी चाहिये, उसकी होनी चाहिये। आज शिक्षा की आलोचना होती है। सरकार को ऐसा इन्तजाम करना चाहिये कि जिन स्कूलों में लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं उनके स्थान पर मैं समझता हूं कि लड़कों के लिये अलग से गुरुकुल होने चाहिये, क्योंकि एक साथ दोनों का पढ़ना संयम के लिए उचित नहीं है। यह लड़के और लड़कियों के साथ साथ पढ़ने की व्यवस्था पुरानी चली आ रही है और इसको दूर करने के लिये कुछ प्रयत्न करने होंगे। सम्भव है कि इसके लिये कुछ समय लगे। मगर जिस युग में हम रहे हैं, हमारे यहां कहा गया है कि खाद्यान्नों की कमी है और संख्या बढ़ती ही जाती है। इसलिये हमें इस नियोजन को सफल करने की आवश्यकता है।

मैं तो कहता हूं कि इससे भी अधिक संयम की आवश्यकता है, इस दिशा में सोचा जाय और यह समझा जाय कि उनके योग्य सन्तान हों। इस प्रकार की सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये जो योग्य हो। यह कहना कि खाद्यान्नों की कमी होगी, यह तो अलग सिद्धान्त है। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार सीमा नहीं निर्धारित होने पर खास तौर से गरीबों पर कितना बोझा पड़ता है यह आप जानते ही हैं। किसी व्यक्ति को ५०) या ६०) रु० माहवार मिलते हैं। तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण आसानी से नहीं कर सकता। माताएं अपने घर का काम करती हैं और उनकी कोई आय नहीं। उनके जिस समय ५, ७ या ८ बच्चे हो जाते हैं तो देखा यह जाता है कि उनके बच्चों को शिक्षा भी वे लोग नहीं दिला सकते और न वे किसी योग्य बना सकते हैं; इसका कारण यह है कि उनके माता और पिताओं की सामर्थ्य नहीं कि वे ५०), ६६) या ८०) रु०

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जो भी उनको मिलते हैं उससे उन बच्चों को अच्छी दिला कर उनको योग्य बना सकें। यह जो पैसा उनको मिलता है उससे वे एक ही बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं और बहुत अच्छी और ऊंचे दर्जे की शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन जहां जब उस व्यक्ति के जिसकी आमदनी बहुत कम हो, ६, ८ या १० बच्चे हो जावें तो मैं समझता हूं कि यह तो केवल उस व्यक्ति पर एक प्रकार का भार मात्र हो जाता है और यह देश के लिये कलंक की चीज होगी जब उनमें से कुछ बच्चे मजबूरन लम्पट या जुआरी हो जाएं और चोर हो जाएं। इसका कारण यह है कि उनके माता-पिता उनको अपनी छोटी-सी आय में शिक्षा नहीं दिला सकते। मैं समझता हूं कि केवल इस संकल्प के विरोध के लिये विरोध करना उचित नहीं इस प्रस्ताव को लाने वाली सरकार नहीं है, एक व्यक्ति है।

वहां पर राम और कृष्ण व राणा प्रताप के नाम लिये गये। मैं यह कहूंगा कि आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है और मैं तो यह कहूंगा कि कौन कहता है कि हमारे इस १६वीं या २०वीं शताब्दी में इस युग के अनुसार राम और कृष्ण पैदा नहीं हुए, हैं और समय समय पर होते रहेंगे। मैं कहता हूं कि यदि एक छोटे से परिवार में १०-१५ बच्चे पैदा हो जाएं तो क्या उनके माता-पिता उन्हें स्वावलम्बी बना सकते हैं? क्या वे उन्हें राम और कृष्ण बना सकते हैं? क्या उनको अच्छी शिक्षा मिल सकेगी? जब वे खुद आधे पेट रहेंगे तो फिर शिक्षा आदि का क्या प्रबन्ध कर सकते हैं? क्या इस चीज के लिये किसी ने सोचा भी है? मैं समझता हूं कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। हर व्यक्ति, मैं समझता हूं कि प्रताप और राम और कृष्ण नहीं हो सकते। हर आदमी का पहला बच्चा होता है वह होनहार होता है और बाद में जब बहुत से बच्चे हो जाते हैं तो जितने बच्चे अधिक होते हैं, उतना ही उनका स्तर गिरता चला जाता है।

इस तरह से वैसे भी हम देखते हैं कि अपने आयुर्वेद में भी यह लिखा हुआ है कि जिनके आठ-दस सन्तान माता के गर्भ से उत्पन्न होती है, वे उतनी स्वस्थ्य नहीं हो सकती जितनी की पहले वाली सन्तानें होती हैं। इसलिये जिनके सीमित सन्तानें नहीं होती हैं वे कमजोर होती हैं, दुर्बल होती हैं, निर्बुद्धि और निस्तेज होती हैं। इसलिये हर दृष्टि-कोण से अगर हम अपने देश को स्वतन्त्र होने के बाद शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमें इस पर भी नियन्त्रण रखना होगा। तादाद बढ़ाने के लिये यह भी कहा गया कि वोट नहीं मिलेंगी, यदि सन्तानें कम होंगी तो वोट कम आयेंगे वोट का जब मौका हो तब आप ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रान्त की उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें इस समस्या पर भी निश्चित दृष्टिकोण अपनाना होगा। जरूरत आज इस बात की है कि अच्छी सन्तान पैदा करें। जैसलमेर के वास्ते उन्होंने कहा, उनसे मेरा निवेदन है वे अलवर और भरतपुर में जाकर देखें। उन्होंने हरिजनों से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनको मालूम नहीं, वहां सबसे अधिक भूमिहीन वे ही हैं और जिस इलाके में वे रहते हैं वहां भूमि इतनी कम है कि अगर इतनी रफ्तार से उनकी आबादी बढ़ती रही तो एक दिन वह भी आ सकता है कि जिस झोंपड़े में वे रहते हैं वह भी उनके लिये कम हो जाय। अभी तक तो चिन्ता, हमें भूमि जोतने की है, आज

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तो उनको भूमि जोतने को नहीं मिलती, लेकिन समय वह भी आ सकता है कि जब जितनी जगह में वे रहते हैं वह भी कम पड़ जाय। इसलिये हमें इस पर उच्च स्तर से सोचना है। यह नहीं सोचना है कि यह यह किसी दल विशेष द्वारा रखा गया प्रस्ताव है। इसलिये इस पर दूसरी प्रकार से विचार करना चाहिये। हमें यह देखना है कि हमारी आबादी जो बढ़ रही है वह कुत्ते-बिल्लियों की भांति नहीं होनी चाहिये। देश की आबादी बढ़ना अच्छा है किन्तु कुत्ते बिल्लियों की भांति नहीं। देश में उसी प्रकार की आबादी की वृद्धि हो जिससे देश का नाम ऊंचा हो, उसमें ऐसी सन्तान पैदा हो, जो योग्य और विद्वान् हों, यदि इस प्रकार की आबादी बढ़ती है तो हमें कोई एतराज नहीं। यह बात केवल हमारे यहां ही सोची जा रही हो यह बात नहीं, विदेशों में भी ऐसा समय रहा है। यूनान की सभ्यता अधिकतर हमारी भारतीय सभ्यता से मिलती-जुलती रही है। यूनान के लिये इतिहास में यह कहा जाता है कि वहां जिस समय बच्चा पैदा होता था। उस समय इतनी खुशी नहीं होती थी। बच्चे के पैदा होने की खुशी तभी होती थी, सुनते हैं इतिहास की पुस्तकों से भी मालूम होता है, बच्चे के पैदा होते ही उसको बालू रेत में तीन दिन के लिये रखते थे सर्दी में, गर्मी में वह उसी तरह रखा जाता था। अगर वह तीन दिन तक उन दुःखों को सहन करके जिन्दा रहता था तो उसके माता पिता खुश होते थे और समझते थे कि यह यूनान में वीर पैदा हुआ है। इसी प्रकार की यूनान की फौज थी, जिसने सिकन्दर के आधीन होकर हिन्दुस्तान तक कब्जा जमा लिया था। वह भेड़ और बकरियां लेकर नहीं चला। देश में आबादी बढ़े, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। इसी उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव इस मकसद से नहीं रक्खा गया कि छोटे छोटे बच्चे इन्जेक्ट करवा लेगें। इस प्रकार की चर्चा बच्चों में होनी ही नहीं चाहिये। नैतिक और चारित्रिक शिक्षा स्कूलों में मिलनी चाहिये। संयम की महत्ता भी स्कूलों में बतायी जानी चाहिये। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर यह प्रस्ताव रखा गया है उसका मकसद केवल इतना ही है कि परिवार पर नियन्त्रण रखा जाय। एक निश्चित संख्या के बाद में माता पिता को खुद को चाहिये कि वे इस पर नियन्त्रण रक्खें। अगर वे नियन्त्रण नहीं रखते हैं तो कम से कम माताओं के साथ तो वे अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। आज हम देखते हैं कि एक परिवार में १०,-१२ संतानें हो गई माता क्षय के रोग से पीड़ित है, बीमार हो रही है, फिर भी वह संतानें पैदा कर रही है। यह कौनसा न्याय है, कौनसा धर्म है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि कोई नियम इस प्रकार हो, प्रचार के जरिये अधिक हो, कम से कम सरकारी साधनों का उपयोग कम हो। कई महानुभाव यह भी कहते हैं कि यह तो ईश्वर की देन है। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं की बलि भी हम ईश्वर के नाम पर करते हैं। देवताओं के नाम पर करते हैं। इस प्रकार की मान्यता रखने वालों में कोई बुद्धिमत्ता नहीं। असल में देखना यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस राज्य में जैसा कि इसका नाम रहा है, वीर भूमि रही है, अगर वास्तव में हम राणा प्रताप, राठौड़ दुर्गादास जैसे वीरों को पैदा करना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता कि सन्तानों की संख्या बढ़ावें। क्वालिटी और क्वान्टिटी

Page No.85

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दोनों एक साथ अच्छी होती नहीं। जितनी क्वान्टिटी बढ़ती जायगी उतनी ही क्वालिटी कम होती जायगी इसी दृष्टि से हमें सोचना है और यही परिवार नियोजन का मतलब हैं। पुरानी बातों को छोड़िये। जैसे हम आज खेती में पुराने तरीके काम में नहीं लाना चाहते हैं। एक बैल की जोड़ी ले ली, एक पुरानी किस्म का हल ले लिया और दो बीघा खेती कर ली, इससे कुछ होना जाना नहीं आज दुनियां जिस रास्ते से तरक्की कर रही है उस रास्ते को अपनाना होगा, नये नये आविष्कार हैं उनसे हमें लाभ उठाना होगा। यही नहीं हो सकता कि हम तो बैल गाड़ियों पर ही सफर करेंगे। फिर वायुयान किसके लिये हैं? मैं समझता हूं पुरानी धर्म, संस्कृति, पुरानी सभ्यता हमारी बहुत ऊंची रही हैं। उसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके साथ साथ नव युगीन जो आविष्कार हैं उनका भी उल्लंघन नहीं कर सकते। वे तो बाहर से आई चीजें नहीं है। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता में भी वें मौजूद हैं। हमारे आयुर्वेद में ये सब चीजें बतलाई गई हैं कि किस प्रकार के बच्चे हों, किस प्रकार की औषधियां हों, जिनके सेवन से पुष्ट संतान हो। विवाह के समय भी जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उनमें भी इसका उल्लेख होता है आयुष्मान् वर्चस्व वाले पुत्र हों। हमारे देश की तो यह संस्कृति है ही। लेकिन जब हम यह चाहते हैं कि हमारे राज्य में परिवार नियोजन हो, अन्य राज्यों की भांति। तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम भी इसके बारे में कदम उठावें। आम तौर पर यह होता क्यों है? कुछ संस्कार ही ऐसे पड़े हुए हैं कि किसी के लड़के नहीं होते हैं, तो वे चाहते हैं कि हमारे दो-तीन लड़के हो जायं, लड़कियां ही जिनके होती रहती हैं तो वे भी यह चाहते हैं कि उनके एक लड़का हो ताकि उनकी वंश-बृद्धि हो, वंश क्रम चलता रहे। वैसे कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात तो नहीं है पर व्यवहारिक रूप से यह होता है कि पुत्र होना ही चाहिये। नाम को चलाने के नाम से ही सही, एक-दो-तीन संतान हो तो ठीक, पर लड़की नहीं हो; यह सभी चाहते हैं। पर लड़कियों की इस तरह से उपेक्षा करें तो फिर संसार वैसे भी खतम हो गया। यह भी प्रवृति है कि लड़का हो, लड़की नहीं। इसलिये इससे झिझकना नहीं चाहिये। पर हमें सोचना यह है कि इसकी एक मर्यादा निश्चित की जाय। अब परिवार नियोजन का मतलब है मर्यादा लाना, जिसको हम निश्चित करना चाहते हैं। अब मर्यादा यह हो कि जो अभी अनियन्त्रित रूप से सन्तानोत्पत्ति होती थी, वह न होकर सीमा में हो और इसके लिये सरकार कारगर कदम उठावें। इसका मैं समर्थन करता हूँ।

४. २. म. प.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, जो परिवार नियोजन के बारे में आज लम्बी सी बहस चल रही है उससे हमारा बाकी का समय भी बर्बाद हो गया इसी में। जैसे हमारी पंचवर्षीय योजना की बहस थी, चाहे वह सफल रही या असफल रही हो, उसी तरह से आज का हमारा यह दिन भी निकल गया है। फिर भी न तो इस बात को दुनिया मानने वाली है और न बच्चे बन्द करने वाली है। हमारा सिर्फ सवाल तो यह था कि हमको पंचवर्षीय योजना को कैसे सफल बनाना चाहिये और हमारे देश को कैसे पनपाना चाहिये, बेकारी और बेरोजगारी को कैसे दूर करना चाहिये। अगर आप इसके लिये कुछ करते तो हम और देश आपको धन्यवाद देते। पर आज की बहस और आज

(श्री हीराभाई)

का जो हमारा विषय है उस पर हमारे विचार जब अखबारों में छपेंगे तो हमें शर्मिन्दा होना पड़ेगा। आज आजादी आये, ११ वर्ष हुए। स्वतन्त्र देश के नागरिक की हैसियत से हमारी आयु ११ वर्ष की है और इसी में हमें घबराहट आ गई कि जिससे हजारों मनुष्यों को मारने का, और खत्म करने का, और सन्तान को पैदा ही न होने देने का हम सोचते हैं। इस घबराहट में मुख्य प्रश्न से बगलपोशी करने की हमारी आज नीति है।

हमें यह सोचना चाहिये कि राजस्थान के डेढ़ करोड़ लोगों के लिये हम कितने करोड़ का विकास करने जा रहे हैं। किसी प्लॉन पर दस हजार खर्च करने की बात तो आप सोचते हैं पर उस प्लॉन को चलाने वाले इन बड़े बड़े लोगों पर हम कितना खर्च करते हैं यह नहीं सोचा। इनके पीछे जो करोड़ों रुपया बर्बाद होता है वह नहीं सोचते, वह नहीं रोकते। आज एम.एल.ए. साहबों को ले लें। जो इनमें गरीब हैं वे तो नालियों और गलियों में फिरते रहते हैं। वे थर्ड क्लास में फिर सकते हैं, पर मिनिस्टरों को फर्स्ट क्लास चाहिये उनके कर्मचारियों को फर्स्ट क्लास चाहिये। उनको तो पैसा खर्च करना है, ऊंची ऊंची तनख्वाहों में पैसा खर्च करना है। अपने इन खर्चों को तो कम करने की नहीं सोचते और गरीबों को कहते हैं, लड़के कम करो। उनको पहले खुद को जहर खाकर मरना चाहिये। नहीं तो तादाद पर कन्ट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। हममें ताकत है, हम अपनी औलाद का किसी प्रकार भी भरण पोषण कर लेंगे। गवर्नमेंट तो भ्रष्टाचार और अपने रिश्तेदारों के भले में लगी हुई है। उनमें सबकी औलाद का पोषण करने की हिम्मत नहीं। उसके यहां तो दस हजार राज्यपाल पर खर्च होते हैं। पचास हजार रुपया प्रधान मन्त्री खर्च करते हैं, और गरीबों के लिये १॥ आने की मन्जूरी नहीं मिलती। और फिर औलाद को खत्म करने की बात यहां सदन में करते हैं।

(हंसी)

हमें स्वयं पर कन्ट्रोल करना चाहिये कि हम ५०) रु० की एक धोती नहीं पहिनेंगे। अगर गरीबों की औलाद के लिये रोटी-कपड़ा देना है तो ५०) की एक धोती नहीं पहननी चाहिये। हमें पचास पचास रुपये का एक कोट-पेन्ट नहीं पहनना जाहिये। ताकि दस आदमियों को पांच पांच इसके बदले में देकर उनके कपड़े का प्रबन्ध कर सकें। चालीस चालीस रुपये का एक टाइम का खाना हमारे लिये अच्छी बात नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर थोड़ा कह देना चाहता हूँ कि यहां प्राइम मिनिस्टर साहब आये तो ४२ हजार रुपये खर्च हो गये इस हिसाब में। एक तरफ आप इतना रुपया खर्च कर देते हैं, दूसरी तरफ मजदूरों को ।।) मजदूरी बढ़ाने में आपको शर्म आती है। और अब औलाद खत्म करके लड्डा बनना चाहते हैं।

(हंसी)

यह लड्डा बनने का जमाना नहीं है, जिस परमात्मा ने उनको पैदा किया है, वही उनका पोषण करेगा। यह सरकार क्या करेगी? फिर गैर-कुदरती तरीके से उन पर कन्ट्रोल करना चाहती है यह सरकार, यह गलत है। यह सामन्ती जमाना नहीं है, एकतन्त्री जमाना नहीं है, प्रजातन्त्र का जमाना है। प्रजातन्त्र में सबको स्वतन्त्रता होगी। आपने इन्जेक्शन लगा दिया, कह दिया अब बच्चे नहीं होंगे, दो तीन बच्चे

(श्री हीराभाई)

पहले के ही बहुत हैं, पर इसमें क्या होगा ? मौत का किसको मालूम है ? वे बच्चे मर गये तो क्या होगा ? जयपुर की गलियों में जैसे फकीर भिखमंगे बहुत होते जा रहे हैं क्या उनमें उसको भी शरीक होना होगा ? आप ऐसे फकीरों की गिनती बढ़ाना चाहते हैं ? उसका बुढ़ापे में कौन साहरा होगा ? आज तो हिम्मत नहीं, हीजड़ों के मुताबिक लड्डा बनना चाहते हैं और उनकी मदद ये करेंगे ? आज तो ये इन भिखारियों की व्यवस्था नहीं करते, करने लायक होते तो इनको रोटी कपड़े का इन्तजाम करते। ये बिना कपड़े के सर्दियों में ठिठुरते रहते हैं गलियों में। एक एक आदमी के दस-दस बच्चे मरते देखे हैं। अगर वे सब मर गये तो फिर क्या होगा ? तो यह कौनसी सभ्यता हुई देश में। यहां विलायत रूस की विदेशी सभ्यता लाकर गड़बड़ करना चाहते हैं, जो आपके पास हैं उनको खिलाने पिलाने की आपकी ताकत नहीं, बेहूदे खर्चे पर कन्ट्रोल करने की हिम्मत नहीं। हमें यह विदेशी सभ्यता नहीं चाहिये। आपने विदेशी सभ्यता लाकर हमारे रहन सहन को भी बिगाड़ दिया। सोने के लिये हमें गद्दे तकिये नहीं चाहिये, हम तो रात को अपने खेतों पर जावेंगे और वहीं पुआल बिछाकर सो जावेंगे, सर्दी लगेगी तो छोटी-मोटी बछड़ी (रजाई) ओढ़ कर सो जावेंगे। आप लोग अपटूडेट रहना चाहते हैं और चम्मच से खाना खाना चाहते हैं। हम जो हजारों तरह के नखेरा (नखरे) करेंगे, नखरों में आदमी मरेंगे। इसके लिये कन्ट्रोल नहीं किया जावे ? नखरों को खत्म नहीं कर सकते ?

दूसरी बात है जमीन की। अब हम खेती बढ़ाना चाहते हैं तो एक एक खेत वाले के पास दस दस आदमियों की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप औलाद खत्म कर देंगे तो कैसे खेत का काम होगा ? ये दस आदमी क्या आप विदेश से लावेंगे ? आज वे किसान भी नई सभ्यता में चले जा रहे हैं। उनके कपड़े-धोती भी ढीले होते जा रहे हैं। अभी १८, १८ हजार बीघा जमीन एक एक आदमी ने ले रक्खी है। इसको आप कम करो, नहीं तो इतने मजदूर आप कहां से लाओगे ? इनको आप १८ हजार मजदूरों में बांट दो तो वे एक के बदले इतने पल जावेंगे। उनको एक एक कुआं लगा दो। तो यह कितना काम हो जावेगा। १८ हजार मजदूर कम नहीं हैं। इस तरह से कइयों ने कई कई हजार बीघा जमीन दबा रक्खी है, यह तो एक नमूना मैंने आपको बताया।

ऐसी हालत में यह जो संकल्प रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। हमें व्यवस्था करनी है तो कम से कम आप लोगों को हमें भी पूछना चाहिए। बाकी व्यवस्था हजारों आदमियों की करने की हमारी हिम्मत है और प्रकृति ने हमें उनकी व्यवस्था करने के लिए पैदा किया है यह व्यवहार को खत्म करने की बात नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संकल्प को माननीय सदस्य जिन्होंने पेश किया है, वापिस ले लें।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल।

श्री रामचन्द्र : माननीय सभापति, बोलने के लिए किन्हें कहा गया है ?

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जो यह प्रस्ताव

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

परिवार नियोजन के संबंध में रखा गया है, उसके पक्ष में और जितने भी संशोधन उसके ऊपर रखे गये हैं उनके विपक्ष में बोलना चाहता हूं। यह जो परिवार नियोजन के संबंध में प्रस्ताव आया है उसके संबंध में हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसे विवरण पेश किये कि कुछ ने तो इसको राजनैतिक हलचल बताई और कुछ ने इसमें धार्मिक हलचल का जिक्र किया और कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी सभ्यता का दिग्दर्शन कराया। सबसे पहले मैं सभ्यता के दिग्दर्शन कराने वालों को कुछ बताना चाहता हूं। जिस सभ्यता से वे आये हैं क्या आज वह इस सदन में उसी सभ्यता को बतलाते हैं या उन्होंने भी अपनी सभ्यता को बदल लिया है ? क्या उनकी जाति के लोग वही पुराना पहनावा पहनते हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ सब फैशन बदलते हैं। इसलिए यह कहना कि पतलून पहनकर लोग बैठते हैं, उनको क्या परवाह है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि माननीय सदस्य भी बोलने वाले, उसी कदर बैठते हैं। इसलिए जिस सभ्यता के बारे में अभी सदन के सामने विचार प्रकट किये गये, वे ठीक नहीं हैं।

अब मैं कुछ अपने विचार पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रकट करूंगा, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया। अभी कहा गया कि पंचवर्षीय योजना विफल हो गई, इसलिए यह ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं। यह कहने वालों को मैं बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट की पंचवर्षीय योजना उनके दिमाग में पूरी तरह से समा गई है और उसके लिए भारत देश का एक भी बच्चा नहीं कह सकता कि हमारी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई है। माननीय सभापतिजी, मैं आपको बताऊं कि जितने भी विदेशी लोग यहां आये हैं उन्होंने हमारी पंचवर्षीय योजना को सराहा है और संतोषप्रद कहा है, उन्नतिशील बताया है। ऐसी अवस्था में कुछ व्यक्ति जिनका काम ही विरोध करना है और कुछ न कुछ कहना है और किसी भी प्रस्ताव के ऊपर अपना विरोध प्रकट करना है चाहे वह जनता के हित में हो या अहित में हो; ऐसा करके वह अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर वे कहते हैं कि आज बड़े-बड़े बांध बनवाये जा रहे हैं और जो उनकी कल्पना है वह न जाने कब पूरी होगी। तो इसके बारे में माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि आम का पेड़ लगाने वाले आम नहीं खाते, लेकिन उसके बेटे-पोते खाते हैं और इसी प्रकार...

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : On a point of order Sir, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं, परिवार नियोजन पर या दूसरे विषय पर बोल रहे हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जो विषय आपके सामने है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि और विषयों पर तो विरोधी पक्ष वाले बोले हैं और मैं उनका जवाब देता हूं कि उन्होंने जो बोला वह उपयुक्त नहीं था। इसलिए मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि वह बातें गलत बोल गये हैं। जो यह बात कही गई कि पंचवर्षीय योजना उपयुक्त नहीं है उसके लिए कहता हूं कि आज बड़े-बड़े बांध बनाये जा रहे हैं जिससे कि अगर हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां फायदा उठायेंगी। बड़े

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

कारखाने जो चल रहे हैं उनको देखना चाहिए, लोहे के कारखाने, इन्जिन के कारखाने और कई प्रकार की जो इन्डस्ट्रीज खुली हैं वे देश की उन्नति के लिए हैं न कि अवनति के लिए हैं। यह कहना कि पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई, ठीक नहीं है।

दूसरे यह कहा गया कि हमारा संयम बिगाड़ा जा रहा है, हमारा चरित्र बिगाड़ा जा रहा है ऐसे प्रस्ताव सदन के सम्मुख रख कर इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में कहीं भी यह बात नहीं है कि कहीं संयम बिगाड़ा जा रहा है। यहां तो सिर्फ यह है कि परिवार नियोजन के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाये जायें। यह कहीं नहीं लिखा कि कृत्रिम उपाय काम में लिये जायें या ब्रह्मचर्य को खो दिया जाये, यह कहीं नहीं है। यहां तो सवाल यह है कि परिवार नियोजन के जो तरीके हों उन्हें अपनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को संयम और ब्रह्मचर्य के तरीके अपनाने की बात कही जानी चाहिये और अगर इसे वे अपना नहीं सकते और कृत्रिम उपायों का प्रयोग करें तो कर सकते हैं। प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया कि जिससे यह प्रकट होता हो कि जनता का चरित्र बिगड़ा जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें कहीं गई, बाल-विवाह के लिए जो कहा गया कि हमारे यहां बाल-विवाह बहुत जोरों से हो रहे हैं और इनको नहीं रोक सकते। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का कर्तव्य था कि कानून बनाये और उन्होंने कानून बना दिया। लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य था कि हम उसका साथ देते। जिनकी खुद की जाति में ऐसे विवाह होते हों, और उन शादियों में जिनमें बाल-विवाह होते हों उनको उन्हें रोकना चाहिए। वे उन्हें रोकते नहीं और यहां कहते हैं कि ऐसा है। सरकार का काम जो कानून बनाने का था वह उसने अदा कर दिया। लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है। क्या हमने कभी अपने कर्तव्य को देखा ? इसी प्रकार यह कहा जाता है कि स्कूलों में जो शिक्षा पद्धति चालू की है, उससे ब्रह्मचर्य नष्ट हो जायेगा। मैं कहता हूं कि किसी किताब में तो ऐसी बातें बता दें, जिससे कि विद्यार्थियों के ब्रह्मचर्य नष्ट होते हों। सारी किताबों में यही लिखी हैं रामचन्द्र की कथा, गांधी की कथा, नेहरू की कथा। बड़े बड़े विद्वानों की कथायें उनमें विद्यमान हैं। अगर इन महात्माओं की कथायें पढ़ने से भी ब्रह्मचर्य नष्ट होता हो तो यह ईश्वर की लीला अपरम्पार है। मैं तो कहता हूं कि हमारा परम कर्तव्य है कि हर चीज में गवर्नमेन्ट का साथ दें।

अभी एक माननीय सदस्य ने तो कह दिया कि हमारा तो बच्चे पैदा करने का परम कर्त्तव्य है। यह आपका परम कर्तव्य नहीं, बल्कि आपको अपना परम कर्त्तव्य देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पालन करना है। एक महोदय ने कहा कि हमारे तो इतने वीर पैदा हुए कि दूसरे देशों में बसे हुए हैं। आप देखें कि आज लंका और बर्मा में क्या हालत है हमारे भारतवासियों की। क्या आप आज किसी देश में जाकर निवास कर सकते हैं ? नहीं, आपको अपने ही देश में रहना पड़ेगा। अगर आपके देश की आबादी बढ़ती है तो आपको ही कष्ट उठाने पड़ेंगे। इसी कारण आज हमारे देश में परिवार नियोजन की आवश्यकता है।

परिवार नियोजन जो सदियों से चला आ रहा है वह तो रहेगा ही। एक माननीय

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

सदस्य ने कहा कि पहले तो साट-साट लड़के पैदा हुए हैं। एक संशोधन पेश करने वाले सदस्य ने तो कहा कि हमारे आयुर्वेद में तो ऐसी दवाइयां हैं कि जिससे विधवा स्त्रियां अपने गर्भ को नहीं धारण कर सकतीं मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद में गर्भ-पात की दवाइयां लिखी हैं क्या नियोजन की दवाइयां नहीं हैं। आज हम उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं मनुष्यों का, लेकिन उसके अनुपात से हम अपने अन्न की समस्या को हल नहीं कर रहे हैं। दूसरे देशों ने जो हमारे देश में साधन जुटाये हैं उनसे हम फायदा उटाना चाहते हैं इसलिए इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि जो दूसरे देशों की अच्छी चीजें हैं हम उनको नहीं लें। जो दूसरे देशों की अच्छी चीजें हैं उनको हमें अवश्य ही अपनाना चाहिए। पहले यहां हवाई जहाज़ नहीं बनते थे, पहले यहां मोटर नहीं बनती थी और हमने अब यहां बनाना शुरू कर दी। क्या हुआ, अगर दूसरे देश की अच्छी चीजें हमने ले लीं। यहां हमें तो यह समझना है कि यह जो प्रस्ताव है और उसकी जो मन्शा है वह मंशा यही है कि परिवार नियोजन के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाये जायें। अब यह कारगर कदम क्या हैं यह सरकार सोचेगी। यह सरकार के सोचने की बात है। एक माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि जैसलमेर की भूमि इतनी बड़ी है कि वहां कितने ही आदमी बसाये जा सकते हैं फिर उत्पत्ति से क्यों डरें। तो आप ही बताइये क्या जैसलमेर में जाकर बालू रेत में वे लोटेंगे। समझ में नहीं आया कि जिस जैसलमेर में पीने के लिए पानी नहीं है, वहां इनको भेजेंगे। आप देखिये जहां पानी हैं, वहां की आबादी कितनी है, वहां जमीन का एक कतरा भी खाली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो प्रस्ताव आया है वह बहुत ही उपयुक्त है और यह प्रस्ताव मंजूर होने के काबिल है। हां, अगर आपको पांच बच्चों की आवश्यकता है तो आप पांच पैदा करिये, अगर तीन की आवश्यकता हो तो तीन बच्चे पैदा करिये और अगर एक बच्चे की आवश्यकता हो तो एक पैदा करें। यहां प्रस्ताव में कहीं पर भी नियंत्रण नहीं है कि इतने बच्चे होने चाहिए। यह तो आप अपनी मन्शा के मुताबिक और अपनी धारणा के मुताबिक अपना कर्त्तव्य अदा करते रहें। इसमें कहीं भी यह नहीं है कि पांच-दस मत पैदा करो। इसलिए जो महाशय यह कहते हैं कि मेरे तो लड़के मर गए, अरे भई मर गये तो और पैदा करो आपको मना कौन करता है यहां तो सिर्फ यह है कि परिवार नियोजन जो चाहते हैं और जो इसे अपनाना चाहते हैं; उन्हें बताया जाये। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव आया है उसे मंजूर कर लेना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय ......

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, जो परिवार नियोजन का प्रस्ताव इस सदन के सामने आया है एक माननीय सदस्य के द्वारा......

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बोलने वालों की तादाद को देखते हुए कुछ अपने भाषण को सूक्ष्म समय में समाप्त किया करें तो ठीक होगा।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति

(श्री गिरधारीलाल)

महोदय, आज हमारे सामने ही नहीं, इस सदन के सामने ही नहीं, बल्कि सारे देश के सामने और राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के सामने यह समस्या है और उन्होंने अपने इस प्रकार से विचार व्यक्त कर रखे हैं कि आज दिन जो आबादी बढ़ रही है वह अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो कल हम या आज से कुछ दिन बाद उनको खिलायेंगे क्या ? देश के अन्दर गरीबी बढ़ेगी और इस गरीबी के कारण देश की आबादी बढ़ती है । माननीय सभापति महोदय, मैं इस सिद्धान्त को मानने वाला नहीं हूँ। जिस प्रकार से एक माननीय सदस्य ने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी समाज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके कारण एक आदमी आज दिन गरीब है और एक आदमी अमीर है । इस समाज व्यवस्था को जब तक नहीं बदलते हैं तब तक हमारी आर्थिक स्थित ठीक नहीं हो सकती है। अंग्रेज यहां से गये । राजा लोग और जागीरदारी प्रथा का भी अन्त हुआ । राज्य व्यवस्था बदल गई, लेकिन समाज-व्यवस्था जो है वह वैसी की वैसी पड़ी है । जब तक यह समाज व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक, मैं सोचता हूं, गरीबी का अन्त नहीं है । आबादी के सम्बन्ध में इस प्रकार कहना कि आजकल बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं इसलिए ज्यादा गरीबी हो रही है, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं ।

जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उन्होंने आंकड़े इस प्रकार के सदन के सामने पेश नहीं किये, जिनसे यह साबित हो सके कि आज दिन हमारे देश के अन्दर आबादी ज्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है इसलिए हमारे लिए यह खतरनाक है । हमारे लिये यह बहुत बुरी बात है । उन्होंने कोई आँकड़े पेश नहीं किये । जब कि दूसरे योरोपीय देशों के अन्दर, एशिया के अन्य देशों के अन्दर जिनके लोगों की काफी संख्या है जिनकी आर्थिक स्थिति काफी ठीक है, उन देशों के अन्दर भी आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है । हमारे यहां ऐसी तेजी के साथ नहीं बढ़ी है । मैं माननीय सभापति महोदय, इस सदन के सामने एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने सन १९३३ के अन्दर लन्दन के अन्दर एक सम्मेलन हुआ था, एक कमेटी हुई थी, उसके अन्दर एक विशेषज्ञ के तौर पर इस प्रकार के आँकड़े रखे थे, प्रस्तुत करना चाहता हूं । उन आकड़ों से यह साबित होता है, यानि उस वक्त भी यह समस्या हमारे सामने थी कि देश के अन्दर आबादी बढ़ रही है और आबादी के बढ़ने के कारण ज्यादा गरीबी होगी, उन डॉक्टर महोदय ने गरीबी निरोध सम्मेलन किया था, उसका विषय यही था, कि किस प्रकार से जो आबादी बढ़ रही है उसको रोका जाय, तो उन्होंने इस धारणा को गलत बताया था। मैं पढ़कर सुना देता हूं, सभापति महोदय। सन् १९३३ में यह सम्मेलन हुआ था उन्होंने इन चीजों की तरफ ध्यान दिलाया था ।

"इन चीजों की तरफ हमें स्थिर और अपरिवर्तनवादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए । हम से कहा जाता है कि भारत में इस समय २० करोड़ एकड़ जमींन पर खेती हो रही है, और उसकी आबादी को अच्छी तरह खिलाने के लिए ३५. ३ करोड़ एकड़ जमीन पर खेती करने की आवश्यकता है । लेकिन इतनी सारी जमींन पर खेती करना क्यों आवश्यक है, और किन परिस्थितियों में इतनी सारी जमींन पर खेती करना आवश्यक है? वह तभी आवश्यक है जब हम रासायनिक

(श्री गिरधारीलाल)

खादों का इस्तेमाल नहीं करें और जब हम खेती में सुधार नहीं करें। जिस आदमी को आधुनिक खेती का जरा भी ज्ञान है, वह इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि २० करोड एकड़ जमीन पर सभी भारतियों के लिए ढेरों खाने पीने की चीजें पैदा की जा सकती हैं ? और इसके लिए हमें भारतीय किसानों को कोई बहुत शिक्षा देने की भी आवश्यकता न होगी। एक दो साल में वे आसानी से जितना सीख सकते हैं, उतना ही इसके लिए पर्याप्त होगा। जिस प्रकार स्वास्थ्य रक्षा के उपाय के जरिए भारत में मौतों की ऊंची रफतार को कम किया जा सकता है, उसीप्रकार खेती में सुधार करके खाने-पीने की चीजों के अभाव को भी दूर किया जा सकता है।

तो, माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का प्रोपेगेन्डा मैं कहूँगा, आज भारत सरकार या उन लोगों की ओर से किया जा रहा है जो अपनी पंच वर्षीय योजना को, जो बेकारी देश के अन्दर बढ़ रही है और जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जो पब्लिक की, जनता की समस्याएं हैं उनकी ओर से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की समस्या का इस प्रकार का बहाना बनाते हैं कि हमारे यहां आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के कारण हम लोग ज्यादा गरीब हैं। मैं इसके औचित्य को नहीं मानता हूं। जिस प्रकार के आकड़ें दिये गये हैं, माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यहां कोई आबादी ज्यादा नहीं बढ़ी है। इस प्रकार के आंकड़े और प्रस्तुत करता हूँ। अन्य युरोपीय देशों के अन्दर और हमारे यहां की आबादी के आकड़ें, वृद्धि के आकड़ें देखते हैं तो हमको मालूम होगा कि हमारे यहां आबादी कम बढ़ी है। डॉ० मोरल्ड हैं उनका नाम, उन्होंने कहा कि सौलहवीं सदी में हमारे यहां १० करोड़ की आबादी थी और अब १९५१ में भारत और पाकिस्तान को मिलाकर ४२,३०,००,००. की आबादी हो गई, जब कि सन् १७०० में वेल्स और इंग्लेन्ड की आबादी कुल ५.१ लाख थी और वह बढ़ कर ४, ३७ ००,०० हो गई है सन् १९५१ में। इसका मतलब यह हुआ कि वहां हम लोगों से दुगनी आबादी बढ़ी है। इसी प्रकार से १८१७ और १९१० के बीच के आकड़ें देखते तो इस बात का पता चलता है कि भारत के अन्दर आबादी कम बढ़ी है। जब कि भारत में १८.९ प्रतिशत बढ़ी है तो इंगलैंड और वेल्स में ५८.८० प्रतिशत बढ़ी है। जर्मनी में १९ प्रतिशत बढ़ी है, बैल्जियम में ४७ प्रतिशत आदि। इस प्रकार आंकडे बताते हैं कि वहां जिस समस्या की ओर आज प्रोपेगेन्डा किया जाता है, और जिस समस्या का इतना बवन्डर रचा जाता है कि गरीबी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ रही है, मैं समझता हूँ, ऐसी कोई वास्तव में समस्या नहीं है। आज दिन हमारे पास इतनी जमीन है, ७० करोड़ एकड़ जमीन है हमारे पास जंगलो को निकाल कर। उसमें से २८ करोड़ एकड़ ऐसी जमीन है भारतवर्ष के अन्दर जिस पर काश्त होती है, उसमें ३२ करोड़ ऐसी जमीन है जो काश्त करने लायक है। तो ३२ करोड़ और २८ करोड़ एकड़ ऐसी जमीन हो गई जिसके ऊपर काश्त होगी। ८ करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें हल नहीं चलाये जाते हैं, बीज बोये नहीं जाते हैं। इसी प्रकार अन्य बीहड़ जमीन है, उपजाऊ जमीन है लेकिन उसको अधिक उपजाऊ नहीं बनाया जा रहा है और वैज्ञानिक तरीका नहीं

(श्री गिरधारीलाल)

अपनाया जाता है, इसलिये अनाज की कमी है और बाहर से मंगाना पड़ता है और पैसा देना पड़ता है। यदि जमीन का अच्छा उपयोग करें तो पता चलेगा कि वास्तव में न तो अनाज की कमी है और न दूसरी चीजों की कमी है। हमारे यहां बेकार ही पढ़े-लिखे लोग मारे मारे फिरते हैं, उनको यदि खेती पर लगावें तो बेकारी की समस्या भी हल हो सकती है, लेकिन वे लोग खेती का काम नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि हमने वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का तरीका नहीं अपनाया है। आज का कोई पढ़ा-लिखा इन्सान १२ घंटा काम करके साल में चार सौ, पांच सौ की आमदनी पर गुजर नहीं कर सकता। हर सभ्य नागरिक कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहता है और शहर में ज्यादा मिलता है, इसलिये पढ़े-लिखे लोग नौकरी की ओर भागते हैं और नौकरी ज्यादा नहीं मिलती है इसलिये बेकार रहते हैं। इस बेकारी को मिटाने के लिये जब तक केन्द्रीय और राज्य सरकार खेती में उन्नति नहीं करेंगी और किसानों को जब तक आधुनिक तरीकों से खेती करना नहीं सिखायेंगी तब तक अनाज की पैदावार नहीं बढ़ेगी।

मालगुजारी वगैर जो लगान वसूल किया जाता है वह भी किसानों की गरीबी का प्रमुख कारण है। कोई जमाना था जब हिन्दू राजा लोग बांटा लगान के रूप में लेते थे, फिर मुसलमान लोग आये, वे भी बांटा लेने लगे। मुसलमानों के बाद में अंग्रेज आये, वे अपने देश की पद्धति को यहां लागू करना चाहते थे, इसलिये उन्होंने नकद लगान लगाया। इसका असर यह हुआ कि किसानों के पैदावार हो या नहीं, किसानों से लगान का पैसा वसूल किया ही जाता था। वही नकद लगान आज भी मौजूद है। आज किसानों पर नकद लगान के साथ साथ सीलिंग, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स आदि लगाया जाता है। हर दिशा में किसानों को दबाना चाहते हैं। जब तक उनकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। आज किसान साहूकार के कर्जे से दब रहा है, उस पर जागीरदारों, जमींदारों और साहूकारों ने अन्याय किया है। जागीरदार और जमींदार तो आज पीछे पड़ गये, लेकिन उनकी जगह आज सरकार के पटवारियों ने ले ली है। जब तक उनको पैसा नहीं दिया जाता है तब तक वे किसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, सिवाय कोड़े मारने के दूसरा कोई सलूक नहीं करते। जब तक किसानों की हालत यही रहेगी, उनसे कैश में लगान वसूल किया जायगा, जब तक वे अपने पुराने कर्जे से मुक्त नहीं किये जायेंगे तब तक उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होगी और उनका भला नहीं हो सकेगा।

अभी भी माननीय सदस्यों ने पंचवर्षीय योजना का गुणगान किया और कहा कि हम इतने आगे बढ़ गये हैं कि कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूं कि आगे बढ़ना तो दूर रहा, हम पीछे हट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके इलाके में यदि सी. डी. ब्लॉक्स और एन. ई. ब्लॉक्स हैं तो बताइये कि जितने ब्लॉक्स खुले हैं उनमें किसानों की हालत में कितना सुधार हुआ है?

डॉ० बहादुरसिंह : काफी सुधार हुआ है।

श्री गिरधारीलाल : मैं समझता हूँ कि कतई परिवर्तन नहीं हुआ है। न तो शहरों में आर्थिक हालत में तब्दीली आई है और न आम जनता की आर्थिक स्थिति में तब्दीली

(श्री गिरधारीलाल)

का सवाल है और न किसी का लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ा है ।

डॉ० बहादुरसिंह : जहां ब्लॉक्स हैं वहां से कांग्रेस चुनावों में जीती है, यह बहतरी का सुबूत है ।

श्री गिरधारीलाल : कांग्रेस का सवाल नहीं है, ब्लॉक्स की बात चल रही है ।

श्री सभापति : यह आपके समझ का फेर है, दोनों ही अपने अपने तरीके से समझते चलें, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आर्थिक पॉलिसी की जगह सब्जेक्ट की रिलेवेन्सी पर आवें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री गिरधारीलाल : मैं निवेदन करूंगा कि जिनकी तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया गया है उन्होंने सबसे मूल चीज आर्थिक कारण बताया है, आज देश को यह समस्या है कि यदि आबादी बढ़ती गई तो हम गरीब बनेंगे । यह आर्थिक प्रश्न है इसलिये इसे इसी दृष्टिकोण से देखना होगा, जागीरदारों ने और दूसरे लोगों ने और बातें बता दी हैं, लेकिन मैं तो आर्थिक पहलू को लेकर ही चल रहा हूं । उधर के सदस्य भी इसे इसी दृष्टि से देख रहे हैं इसलिये मैं भी इसी पहलू से देख रहा हूं । मैंने आंकड़ों से बताया है कि हमारे यहां ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे कोई भय हो और बुरा असर पड़ता हो । आज दिन हमारे यहां जितने साधन उपलब्ध हैं उनका उचित ढंग से प्रयोग करें तो हमारे यहां किसी भी चीज की कमी नहीं है । हिन्दुस्तान गरीब लोगों का मुल्क है, लेकिन गरीब मुल्क नहीं है । हमारे यहां खनिज पदार्थों की बहुतायत है, खेती के लिये हमारे यहां अच्छा ग्राउन्ड है, इसी प्रकार अन्य चीजों के लिये भी हमारे यहां काफी अच्छा क्षेत्र है उसके द्वारा बेकारी मिटा सकते हैं, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है उन्होंने ऐसे आंकड़े नहीं बताये हैं जिससे यह सदन माने कि आज ऐसी समस्या है ! आज दिन नेता लोग ही इस ओर ध्यान दिलाते हैं लेकिन वास्तव में देखें तो ऐसी समस्या नहीं है इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता ।

श्री रामचन्द्र (डग) : सभापति महोदय, आजका विषय इतना जटिल है कि मैं सोच रहा था कि मैं इस पर बोलूं अथवा नहीं क्योंकि मैं तो यह सारी स्टेजेज़ पार कर चुका हूं जिससे माननीय सदस्य इतने भयभीत हैं ।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : आप कौनसी स्टेज पर हैं ?

श्री रामचन्द्र : यह स्टेज मुझसे दूर हो चुकी है ।

सभापति महोदय, यह बर्थ कंट्रोल की विचार-धारा का जिस पर सदन के माननीय सदस्य मिल कर विचार कर रहे हैं, उसका मूल जन्म स्थान भारतवर्ष नहीं है । उसका सबसे पहले जन्म पश्चिमी राष्ट्रों में ही हुआ था, यह आवाज बर्थ कंट्रोल की भारतवर्ष में सबसे पहले नहीं उठाई गई थी, न यह आवाज सबसे पहले इजिप्ट, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में उठाई गई थी । यह आवाज सबसे पहले उठाई थी इंग्लैंड और अमेरिका में और फ्रान्स ने । वहां पर जो लोग पश्चिमी सभ्यता में इतने लथपथ हो रहे थे उनको कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था कि वे

(श्री रामचन्द्र)

अपना जीवन किस प्रकार से सुखद बनावें। इसके समर्थन में एक मात्र यह दलील दी जा रही है, कि संसार की आबादी बढ़ती जा रही है उसका क्षेत्रफल सीमित है। आज ऐसा समय आ गया है कि यदि बर्थ कन्ट्रोल न किया गया तो हम भूखे मर जायेंगे और इसी दलील को लेकर प्रचार हो रहा है। इस दलील के बहकावे में आकर, मैं यह कहूंगा कि, भारतवर्ष ने भी इस विचारधारा को अपना लिया है और इस पर केन्द्र में भी काफी वाद विवाद हुआ है। मुझे आज के भाषणों को सुनकर ऐसा मालूम हो रहा था कि सदन के माननीय सदस्य यहां यह नहीं समझ रहे हैं कि हम राजस्थान विधान सभा में बोल रहे हैं और राजस्थान के लिये विचार कर रहे हैं, बल्कि वे सोच रहे थे कि यह मानो कोई भारत का प्रश्न है और इसलिये वे समस्त भारतवर्ष के लिये अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। उनको विचार करना चाहिये कि हम भारतवर्ष का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं बल्कि हम यह विचार कर रहे हैं कि हमें राजस्थान में जल्दी से जल्दी बर्थ कन्ट्रोल का प्रबन्ध करना चाहिये वरना हमारी पंचवर्षीय योजनायें खतम हो जायेंगी और सारा राजस्थान विनाश की ओर चला जायगा।

सभापति महोदय, मैं इसका उत्तर देने के लिये केवल चार बातों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वे चाहते हैं बर्थ कंट्रोल करना, लेकिन कहां के लिये; राजस्थान के लिये अथवा केरल के लिये बंगाल के लिये या यू. पी. के लिये। वे चाहते हैं बर्थ कंट्रोल करना राजस्थान के लिए। केरल वाले बर्थ कंट्रोल की आवाज बुलन्द करते हैं इसलिये कि वहां की आबादी एक हजार प्रति वर्गमील से अधिक है। बंगाल वाले आवाज लगाते हैं इसलिये कि वहां की आबादी ६००-७०० प्रति वर्ग मील है। यही आवाज देखादेखी राजस्थान में उठाई जा रही है। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि आपके राजस्थान की जन संख्या प्रति वर्ग मील क्या है जिसके लिये यह प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? क्या राजस्थान की जनसंख्या उस हद तक पहुँच गई है जिस हद तक केरल, बंगाल, यू० पी० आदि की है। अभी हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान में होने वाले विकास और उनका जो प्रभाव इस पर पड़ने वाला है, इन विषयों पर हमें विचार-विमर्श करना चाहिये। इसके पश्चात् प्रश्न को हल करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की, जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या डेढ़ करोड़ है और क्षेत्रफल के लिहाज से यह भारतवर्ष का तीसरा बड़ा राज्य है। इससे आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या प्रति वर्गमील बहुत ही थोड़ी है अर्थात् साधारणत: यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि राजस्थान की जनसंख्या ५०-६० व्यक्ति ओन दी एवरेज प्रतिवर्ग मील है।

डॉ बहादुरसिंह : आप आग लगाने पर उसका इन्तजार करेंगे।

श्री रामचन्द्र : देखिये, देखिये, सुनिये। फिर बताइये मैं क्या कहना चाहता हूँ। विचार प्रकट होने दीजिये।

मैं कह रहा था कि राजस्थान की जनसंख्या राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार बहुत थोड़ी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और भविष्य के

(श्री रामचन्द्र)

लिए कहिये, तृतीय पंचवर्षीय योजनायें चालू हैं, जिनके फलस्वरूप हमारे यहां पर भाखरा-नांगल बांध बना, नहरें बनीं और चम्बल नहर बन रही है, राजस्थान नहर भी बन रही है, जिनके फलस्वरूप राजस्थान का चित्र बदलने वाला है। राजस्थान जो रेगिस्तान था, वह हरा-भरा होने वाला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे हरे-भरे राजस्थान में ऐसी जनसंख्या रखना चाहते हैं, जिसके लिए आप उत्सुक हैं कि राजस्थान में बर्थ कन्ट्रोल होना चाहिए। (करतल-ध्वनि)मैं कहूँगा कि आप इसका उत्तर यही देंगे, कि हम बर्थ कन्ट्रोल नहीं चाहते, क्योंकि राजस्थान उन परिस्थितियों में नहीं है जिन, परिस्थितियों में केरल, बंगाल, यू० पी० वगैरह हैं, परिवार नियोजन का प्रश्न अथवा बर्थ कन्ट्रोल का प्रश्न, राजस्थान की रूरल पॉपुलेशन का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न है मिडिल क्लास का, जिनकी हालत गम्भीर बनती जा रही है। उनके लिए पारिवारिक जीवन इतना जटिल विषय बन गया है कि जिसकी वजह से तंग आकर वे कहने लगे हैं कि जल्दी से जल्दी राजस्थान में बर्थ कन्ट्रोल लगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बर्थ कन्ट्रोल की समस्या राजस्थान सरकार के कानून बनाने से दूर नहीं होगी। अगर आप इतने उत्सुक हैं और बर्थ कन्ट्रोल करना चाहते ही हैं तो आपको अपना जीवन संयमी बनाना चाहिये, अपने परिवार के जीवन को साधारण बनायें और जो जीवन आपने इस समय बना रखा है, उससे आप नफरत करें। इसलिए मैं कहूँगा कि आज जो सदन के सामने संकल्प प्रस्तुत हुआ है, इसे राजस्थान के अन्दर कतई कार्यान्वित नहीं करना चाहिए और उसके विषय में कानून बनाने की कतई जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, परिवार नियोजन के विषय को लेकर आज इस सदन में काफी लम्बी चर्चा चली, ऐसी कि दूसरे संकल्प थे, वे सब बिछुड़ गये। इस विषय में एक संकल्प प्रस्तुत हुआ और उस संकल्प पर कई संशोधन भी आये। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस पर व्यक्त किये, कुछ ने इस विषय को हास्य में उठाया, कुछ ने इस बारे में एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया और कुछ ने इसकी आड़ में एक राजनैतिक आक्षेप रखने की कोशिश की। इतनी बड़ी भारी इस सदन की इस संकल्प मे दिलचस्पी देखकर मेरी भी दिलचस्पी हो गई कि मैं भी बोलूं। यद्यपि मैं इसमें कोई खास विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन आज यह अमान्य नहीं किया जा सकता कि परिवार नियोजन का विषय है वह अत्यन्त अहम् विषय है और जिस प्रकार से उसके पक्ष में यह कह गया कि शायद किन्हीं कमियों को ढकने के लिये इस विषय को उठाया गया है, वह एक बड़ी भारी भूल की बात मालूम होती है। जहां रोटी और कपड़े का सवाल उठ खड़ा होता है, वहां उसे परिवार नियोजन की जैसी छोटी मोटी बात करके ढका नहीं जा सकता। यह भूल की बात है कि केवल इन बातों को उठाकर अहम् कमियों को ढकने की कोशिश की जाती है। जैसी कि प्रस्तावक महोदय की मन्शा है, यह एक संसार व्यापी विषय है और इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्सेज़ में पॉपूलेशन के विषय में बड़े बड़े विचार हुए हैं. उनमें परिवार नियोजन एक खासियत रखता रहा है। स्थान स्थान पर, देश देश में इस ओर प्रयास हुए हैं, वे

(श्री नारायणसिंह)

मौजूद हैं। यह बात नहीं है कि यह चीज भारतवर्ष में ली गई है। यह आज एक व्यापक प्रश्न है और जैसा प्रस्तावक महोदय ने कहा था, उन्होंने बढ़ोतरी का पर्सेन्टेज बताया था। मैंने भी एक स्थान पर पढ़ा कि अगर इसी प्रकार आबादी सारे विश्व में बढ़ती रही तो एक दिन वह समय आ जायेगा, १००, २०० वर्ष में, कि एक एक इंच पर एक व्यक्ति के खड़े होने की बात आयेगी। खैर, ऐसी तो परिस्थिति निर्माण होनी नहीं है, होगी तो उसके पहले न मालूम क्या होगा क्योंकि प्रकृति के नियमों के कोई बात प्रतिकूल हुई कि उसको अपने अनुकूल करने के लिए, उस समस्या को हल करने के लिए प्रकृति स्वयं एवं स्वतः आगे बढ़ जाती है, हर स्थान पर विकृति का संतुलन बिठाने का प्रकृति काम कर जाती है। इसी बुनियादी मौलिक तत्व को लेकर मालथस ने अपनी थ्योरी रखी थी। आज विज्ञान की प्रगति के साथ मेडिकल साइन्स की प्रगति के साथ प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप हुआ है। इस विषय में भी विज्ञान ने प्रकृति के क्षेत्र को अपने हाथ में लिया है। आज यह समस्या आ गई है कि बढ़ती आबादी का किस प्रकार नियन्त्रण किया जाय, क्योंकि जो छोटा सा दायरा है विश्व का, जिसमें वह संतुलनात्मक आबादी को रख सकता है, अगर उससे आबादी बढ़ती है तो बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन यह एक विचित्र बात है कि प्रकृति न मालूम किस प्रकार से इस असन्तुलन को बिठाने के लिए फिर भी उतारू हो जाती है। आज इस समस्या से जैसे सारी मानवी मानस की परिस्थिति ही बिगड़ी हुई है। मानवीय मस्तिष्क में ऐसा संघर्ष पैदा हो गया है कि जिससे चारों ओर विश्वव्यापी संघर्ष की परिस्थिति पैदा हो गई है। मुझे एकतन्त्र वाक्य याद आ जाता है :

"या देवी सर्व भूतेषु,
क्रान्ति रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै,
नमस्तस्यै नमोनमः।"

आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि हम एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं। जिस प्रकार एक स्थान पर भीड़ खड़ी हो जाती है, एक आदमी होता है तो मस्तिष्क का वातावरण एक प्रकार का होता है, अगर १०, २०, २५ आदमी होते हैं तो सरगर्मी और प्रकार की होती है। तो प्रकृति किस प्रकार संतुलन को बिठायेगी, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम इसे प्रकृति द्वारा ही एक विचित्र संतुलन का प्रयास कह सकते हैं मानस भ्रांति द्वारा। परिवार नियोजन एक अहम विषय है। हम नहीं कह सकते कि हम फिजूल की बात को लेकर खड़े हो गये हैं। वास्तव में मैं तो कहूँगा कई ऐसी बातों के डर से समाज में इनहिबिशन खड़े हो जाते। उनके प्रभाव के फलस्वरूप आर बाहर से बिल्कुल सुव्यवस्थित से दिखते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए बहुत बड़े ऐतराज खड़े कर दिये जाते हैं लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारे अन्दर क्या है, हमारे अन्दर क्या वेपर्स बन रहे हैं। हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में, जहां हम कहते हैं कि औरतें आगे आनी चाहिए, लेकिन जब वे समाज में कार्य करना चाहती हैं, जिस समय सामाजिक क्षेत्र में औरतें आती हैं, हम उनके चारों तरफ एक ऐसा ताना बाना लांछन का उपस्थित कर देते हैं कि अगर वे बिगड़ी नहीं भी हैं तो बदनाम होकर बिगाड़ की ओर बढ़ जाती हैं। वास्तव में साइकोलोजी का सिद्धान्त ही है कि जो

(श्री नारायणसिंह)

पर्सनेलिटी का सप्रैस्ड विभाग होता है, उसी विभाग की त्रुटि प्रोजेक्टेड स्वरूप अपनी त्रुटि दूसरों में देखने की प्रवृत्ति देखी जाती है। वह अवस्था यहां मौजूद है। और तथ्य अवलोकन से हम घबड़ाते हैं। अगर हम इस चीज को अच्छी तरह से और गहरी तरह से नहीं सोचते तो आज हम अपने समाज को सर्वांगीण रूप से आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरे देशों के उदाहरण मौजूद है। जहां इस प्रकार की इनहिबीशन का निराकरण हुआ है। वहां हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष सामाजिक क्षेत्र में स्वतन्त्रता से आते हैं। उनके एक दूसरे के प्रति आपेक्षात्मक अथवा गन्दे विचार नहीं होते हैं। और वे बड़े आनन्द के साथ एक दूसरे के पूरक बन कर समाज के कार्य करते हैं। मैं अभी इसी अरसे में स्वयं जापान गया था। वहां मैंने देखा कि स्त्रियां सामाजिक क्षेत्र में बहुत बढ़ी हुई हैं। फैक्ट्रीज में मैंने उन्हें काम करते हुए देखा, वेट्रेसेज के रूप में काम करते हुए देखा, मैंने देखा कि हर स्थान पर महिलाएं मौजूद हैं। लेकिन महिलाओं और पुरुषों में इतना सामंजस्य बना हुआ है कि कोई एक दूसरे की तरफ खराबी से देखने की कोशिश तक नहीं करता।....

महिलाओं और पुरुषों का इतना सामान्य व्यवहार सा समाज में बना हुआ है कि कोई किसी प्रकार से हरकत से देखने की कोशिश नहीं करता। कारण इसका यह है कि आज मिथ्याडम्बर का ढोल जो हमारे यहां सामाजिक दृष्टि से या दूसरी दृष्टियों से पीटा जाता है। उसके वहां से हट जाने से एक साइकोलोजिकल रुकावट दूर होती है और सामान्य प्रकार का व्यवहार दवे एवं मिथ्या व्यवहार की जगह ले लेती है। बेहद मिथ्या ढोंग असलियत को ही सड़ा देता है।

कई दलीलें दी गई परिवार नियोजन को ले कर। कहा गया कि साहब लड़के और लड़कियों की सह-शिक्षा हो रही है। यह नहीं होनी चाहिये। यह भी कहा गया कि जो शिक्षा पद्धति है वह दूषित है। उसको खत्म करना चाहिये। तोता मैना के किस्से आते हैं। उन्हें खत्म किया जाना चाहिये और न मालूम क्या क्या रोक दिया जाना चाहिये। यह इस प्रकार रोकने की कोशिश करेंगे तो वही समस्या आयेगी जो कन्ट्रोल पद्धति में, कन्ट्रोल व्यवस्था में हमने देखी थी। जितनी स्वाभाविक प्रेरणाएं हैं उन पर जितनी अधिक रोक लगायेंगे उतना ही उसका उद्गार भयंकर होगा। हम कोई एक बांध बांधते हैं। तो थोड़ा पानी बाहर जाने का रास्ता रखते हैं। यदि पानी बाहर जाने का रास्ता नहीं रखते हैं तो बुरी तरह से बन्ध टूटता है और जितना बचाना चाहते हैं उससे अधिक क्षति कर के सारा पानी बह जाता है।

आज समाज का संतुलन बैठाना है तो यह सोचना होगा कि यह कृत्रिम आवरण लगा कर न परिवार का नियोजन कर सकते हैं और न दूसरी समस्याओं का हल कर सकते हैं। जिस प्रकार कहा गया था कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स दो तीन बच्चों से ज्यादा पैदा न कर सकें, यह बड़ा वैसा विचार लगता है, जैसे सामाजिक क्रान्ति का विषय, उसे आप कानून से हल कराना चाहते हैं। बलात् कानून से या किसी प्रकार की थोपा-थोपी ऐसे विषयों में मैं ठीक नहीं समझता। कोई ऐसा कानून बन गया पर वाकई उससे कुछ काम बना या नहीं यह सोचने की बात है। आज (डीप ब्रीदिंग) भारी सांस लेने की पद्धति को अच्छा समझ कर हम अपनाना चाहते हैं। उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है यह मानते रहे हैं। पर इसे कानून बना कर

Page No.99

(श्री नारायणसिंह)

हम अपनाने की हिमाकत नहीं कर सकते। तो जो असली सामाजिक पहलू हैं वे सामाजिक क्रान्ति से ही ठीक होंगे। परिवार नियोजन की जहां सामाजिक क्रान्ति लाना है वहां केवल व्यावहारिक पद्धति नहीं लानी होगी। हमें यह नहीं देखना होगा कि कितने फैमिली प्लॉनिंग सेंटर खोल देते हैं, कितने कानून और कितने संकल्प पास कर देते हैं। हमें तो देखना होगा कि आमूल चूल सामाजिक प्रथाओं का कितना परिवर्तन कर पाते हैं। और जो हमारी ट्रेडिशन है, उसके ऊपर कैसा तरीका बैठ सकता है। आज इस परम्परा के लिये भी हमारे पास इतिहास है, शास्त्र है। उनमें हम जायेंगे तो विवाह पद्धतियों में, दूसरी पद्धतियों में हम देखेंगे बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से एक ढांचा बैठाया गया है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति मनोविज्ञान से अपरिचित उन्हें पढ़े तो शायद कह दे कि भारतीय संस्कृति बड़ी अश्लील है। जैसे इस प्रश्न पर बहस करते समय आज ही कहा गया कि इस प्रकार की अश्लील बातें यहां सदन में क्यों की जाती हैं। तो शायद वे यह भी कह सकते हैं कि हमारी महाभारत भी अश्लील है। तो इस प्रकार से सोचें तो हमें स्वयं एक मूलाधार मिलता है कि हमारे यहां किस प्रकार मनोतत्वानुकूल हमारी ही परम्परा के आधार पर इस दिशा में एक व्यवस्था बिठा दें।

आज हमारे यहां कृत्रिम पद्धति से परिवार नियोजन की बात की जाती है। (हां ठीक है) कृत्रिम से भी होनी चाहिये कुछ लोग कहते हैं कि मणियां दी जायेंगी जिससे कि दिन गिन कर, फर्टिलिटी पीरियड को बचाकर वे चलेंगे। यह बात कही। पर आज हमें यह सोचना होगा कि कृत्रिम या किसी पद्धति से हम यह परिवार नियोजन लाना चाहते हैं। परिवर्तन को हम लोगों की समझ में परिवर्तन हुए बगैर कैसे ला सकते हैं ?

गांधीजी को कृत्रिम पद्धतियों से विरोध था। उनका कहना था कि ऐसे व्यवहार प्राकृतिक तरीकों से ही बनायें कि स्वभावतः लोग समझ जांय। आज हमारे यहां कहावत है कि एक ही पुत्र हो लेकिन सिंह हो साधारण व्यक्ति भी सोच सकता है कि उसकी आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितना अपने परिवार का नियोजन उसे करना चाहिये ? और इनके साथ हम धर्म की परम्पराओं के भाव भी स्थापित कर सकते हैं। हमें इस प्रकार का लिटरेचर मनोवैज्ञानिक एवं जरूरी बनाना चाहिये कि जो सब को कन्विन्स कर सके कि यह ठीक है। परिवार नियोजन यह है और हमें भी करना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : अब समय समाप्त हो चुका है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि एक दो मिनिट में भाषण समाप्त कर दें।

राव नारायणसिंह : (जारी) मैं जल्दी ही करूंगा।

तो इस प्रकार से वास्तव में परिवार नियोजन में चरित्र, शिक्षा व्यवहार–शिक्षा सारी चीजें लानी पड़ेंगी। हमारी आगामी संतानों की शिक्षा में इन बातों से यह कह कर परहेज करें कि ये तो अश्लील हैं, यह तो अश्लील विषय हैं। उसके सामने से हटा दिया जाय तो खराबियां बनी रहेंगी। आज हमें इस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है कि उनका व्यवहार भी ऐसा संयत और संतुलित हो कि जिससे वे समझ सकें

Page No.100

(श्री नारायणसिंह)

कि परिवार नियोजन क्या है और उसके न करने से क्या खराबियां हो सकती हैं। आज वैस्ट में कई फिल्में बताई जाती है गर्भाधान इत्यादि। यहां उनको बड़ा अश्लील समझा जायगा। पर उनके परिणामों को देखने के बाद, मैंने देखा है कि छोटे बच्चों के दिमाग पर इतना प्रभाव होता है कि इससे यह खराबी हो सकती है, और वे इस चीज की ओर कुप्रवृति से दूर हो जाते हैं।

पर हर चीज को दबाये रखते हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। बालक यह सब चीजें सीखेंगे तो सही, पर गलत तरीके से गलत काम करेंगे। तो सही तरीकों से इसे सोचने की आवश्यकता है, मैं तो परिवार नियोजन से बैस्ट यह समझता हूँ कि हम इस तरह की जानकारी पहले दें। मैं इस संकल्प में कमी यह देखता हूं कि इस में आगे के लिये जो मार्ग दर्शन होना चाहिये था वह नहीं है। यों तो संकल्प ठीक है। सरकार की तरफ से प्रचार से भी यह काम ठीक हो सकता है। यह तो हम मानते हैं कि परिवार नियोजन क्या है, कैसे हो, क्या खराबियें हैं या अच्छाइयें हैं यह तो टेक्नीकल विशेषज्ञ भी जानते हैं। बहुत आवश्यकता तो इस बात की है कि इस ओर ठोस और सही कदम की दिशा क्या हो सकती है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही ३-११-५८ के ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५. ५. बजे दिनांक ३ नवम्बर, १९५८ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई).

———

Page No.101

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ३१ अक्टूबर, १९५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	१२३२	महकमा ।	
जिला उदयपुर की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता ।		राजस्थान में छिपे हुए डाकू ।	
फायर आर्म्स के लाइसेन्स ।		जिला बीकानेर में नये स्कूलों का खोला जाना ।	
जयपुर गवर्नमेन्ट मोटर गैरेज का फैक्ट्रीज़ एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन ।		गवातड़ा पुलिस स्टेशन का भवन ।	
भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के बाढ़ पीड़ित गांव ।		प्राइवेट मोटरों का किराये पर चलाना ।	
टोंक डिस्ट्रिक्ट की स्कूलों को मल्टीपर्पज़ व हायर सेकन्ड्री स्कूलों में परिणत करना ।		कन्या पाठशाला, बारां ।	
ग्राम डांगरा के किसानों को बीज का वितरण ।		राजस्थान नहर निर्माण का कार्य ।	
चम्बल बांध के टोली लाइन्स के स्लीपर्स ।		जावाल नदी पर पुल का निर्माण ।	
वन विभाग, बारां द्वारा भूमि अवाप्त ।		राजकीय हाई स्कूल सिरोही में अध्यापकों की कमी ।	
मालपुरा ब्लॉक डेवलपमेन्ट के गोदाम में से बोरियों की चोरी ।		प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किये गये मुकदमे की पैरवी ।	
डिस्ट्रिक्ट पूल, जालोर की जीपें ।		बीकानेर में जल कष्ट को दूर करने की योजना ।	
बनास नदी का बांध ।		मेडीकल कॉलेज में छात्रों को प्रवेश ।	
विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क से मुक्ति ।		गौ-वध कानून की अवहेलना ।	
ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन एण्ड पब्लिसिटी का		कोटा डिविजन में छोटे उद्योगों को लोन ।	
		गलवा बन्ध, उनियारा ।	
		कृषि फार्म-जिला पाली ।	

स्कम्भ

करणपुर घाटी से करणपुर ग्राम तक सड़क विस्तार की योजना।

जयपुर जिले की अध्यापिकाओं का फिक्सेशन।

तालाबों की मरम्मत, जिला बूंदी।

चांदपोल बाजार की सड़क की मरम्मत।

तहसील कोटपुतली में प्लॉटों के लिये प्रार्थना-पत्र।

चम्बल योजना से डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले के गांवों को बिजली की प्राप्ति।

अन्य विभागीय कर्मचारियों की ग्राम सेवकों के पद पर नियुक्ति।

मन्डरायल के स्कूल-भवन निर्माण सम्बन्धी योजना।

कोटपुतली में नल लगाने की योजना।

राजस्थान कॉलेज।

गांधी उद्यान, नावां।

पॉवर हाउस बीकानेर का विगत तीन वर्षों का हानि-लाभ।

पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण,
भाखरा नागल योजना द्वारा विद्युत-वितरण।

उच्चतर माध्यमिक एवं हाई स्कूल परीक्षाओं के परिणाम।

गवर्नमेन्ट हाई स्कूल बसवा के अध्यापक।

स्कम्भ

नवयुग में प्रकाशित सभापति के निर्णय सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न १२८८

दैनिक-पत्र "नवयुग" में प्रकाशित विधान सभा की दिनांक २९ अक्टूबर, १९५८ की कार्यवाही से सम्बन्धित श्री भैरोंसिंह (१४) के विशेषाधिकार-प्रश्न को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

राजस्थान मृत्यु भोज अशासकीय कार्य (प्रतिबन्ध) विधेयक, १९५८ १२९०
(पुरःस्थापित)

१ विधायी कार्य—पुरःस्थापित किया गया विधेयक डॉ० बहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा, ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान मृत्युभोज प्रतिबन्ध विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित किया।

अशासकीय संकल्प १२९५

श्री भोलानाथ ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :

"इस सदन की राय है कि बढ़ती हुई आबादी का नियन्त्रण करने के लिये राजस्थान सरकार अन्य राज्यों की भांति परिवार नियोजन के लिए शीघ्र कारगर कदम उठावें।"

उपरोक्त संकल्प पर श्री पी० के० चौधरी, श्री मूलचन्द डागा,

श्रीमती गंगादेवी डाटा व डॉ० बहादुरसिंह ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये ।

इस पर की गई बहस में जिन सदस्यों ने भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं :

१. श्री भैरोंसिंह (१४)
२. श्री अर्जुनदास
३. श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा
४. श्री मदनसिंह दांता
५. श्री दयाकृष्ण विजय
७. श्री मोहरसिंह
६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
८. श्री हीराभाई
६. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
१०. श्री गिरधारीलाल
११. श्री रामचन्द्र
१२. श्री नारायणसिंह (मसूदा)

मंगलवार, दिनांक ४ नवम्बर, १६५८ की कार्यसूची

(१) राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (अष्टम संशोधन) विधेयक, १६५८ (खण्डश: विचार विमर्श एवं पारित)।

(२) राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (नवां संशोधन) विधेयक, १६५८ (खंडश: विचार-विमर्श एवं पारित)।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६७ का उत्तर देखिये)

LIST SHOWING THE NAMES OF INDUSTRIES TO WHOM LOANS HAVE BEEN ADVANCED BY THE INDUSTRIES DEPT. IN KOTAH DIVISION.

S No.	Name of the industry.	Amount of loan advanced.	Progress made
	KOTAH DISTRICT :		
1.	M/S.Kotah Rubber Industries, Kotah.	Rs. 5,000/—	It is working most satisfactorily, The main products are Rubber Belts, Cycle Pedals & Covers and material for making rubber solution.
2.	-do-	5,000/—	
3.	Shri Umaid Mal Mehta, Prop. Jain Printing Press, Kotah.	5,000/—	It is a printing press working satisfactorily. Running satisfactorily.
4.	M/S. Kotah Mfg. Saheria Co-operative Society Ltd., Village Pathari. Tehsil Shahbad.	2.500/—	Further finance is required for smooth running of the industry.
5.	Shri Suraj Mal, Mangrol (Dal & Oil Mill).	2,500/—	Loan utilised. Further finance required; for the smooth running of the industry,
6.	Shri Madanlal Dakshani, Prop. Dakshani Cottage Industries, Chipabarod.	3,500/—	Working satisfactorily with good production. Efforts are being made to reform the quality of soap and hair oil.

1	2	3	4
7.	M/S. Kotah Rubber Indutsries, Kotah.	15,000/—	Remarks as given at S. No. 1&2 above hold good.
8.	Shri Mullah Yasin S/o Hassanji, Lohar, Ramganjmandi.	1,000/—	
9.	ShriPrabhulal Gupta, Prop. Gupta Ice Factory Baran.	5,000/—	They have been recently advanced loans during March and April, 1958. The progress is good.
10.	Shri Rameshchandra S/o Popsingh, Bhimganj mandi, Kotah (Shoe maker),	1,500/—	
11.	Shri Nandlal S/o Ladlilal, Prop. Kotah Printing Press Kotah.	5,000/—	
12,	Shri Vaidya Pt. Kishangopal S/o Narainlalji, Prop. Faithful Pharmecy, Kotah.	15,005/—	
13.	Shri Premchand s/o Bhawanilal, Prop. Jyoti Printing Press, Kotah.	5,000/—	
		81,000/—	

1	2	3	4
	BUNDI DISTRICT -		
14.	Shri Mohanlal Pareek, Dehi. Teh. Nanwal. (for chaff cutting & saw machine)	Rs. 2,000/—	
15,	Shri Chaman Shah, Bundi (for soap making).	1, 500/—	These have made a satisfactory progress after advancement of the loans.
16.	M/s Seth Industries, Bundi (for slate and pencil making.	2,000/—	
17.	The Chamar Utpadak Sahkari Samiti, Dablana, (Bundi). (for leather works).	4,000/—	
		9,500/ –	
	JHALAWAR DISTRICT :		
18.	Shri Shubrati S/o Imambux, Village Mordi, Teh. Bakani. (for blacksmithy shop).	500/—	
19.	Shri Kazi Noor Modh. S/o Ramzani, Mordi, Teh. Bakani.	3,000/—	-do- -do-
20,	Shri Nabi bux s/o Meerabux, Mordi, Bakani.	1, 500/—	
21.	Shri Mohammed Hussin s/o Baddrudin, Mordi, Teh. Bakani.	600/—	

1	2	3	4
22.	Shri Mohd. Hussain s/o Neen Mohd., Mordi, Teh. Bakani.	600/—	
23.	Shri Mohd. Yaseen s/o Mohd Ismail, Mordi, Bakani.	3.000/—	
24.	Shri Abdul Shakoor s/o Suleman, Modi, Bakani,.	3 000/—	
25.	Shri Nazar Mohd. s/o Mullah Yaseen, Modi, Bakani.	3.000—	
26.	Shri Nathmal Nagota s/o Harakchand, Pachpaher. for Ginning, flour and saw mill).	5,000/—	The Factory is expected to start very soon.
27.	M/s. M. Flour Mill, Jhalraptan. (for Maida, Suji, Besan etc.)	4.000/—	Progress satisfactory.
28.	Shri Dharampal Singh, Bhawanimandi, (Ice Factory).	8,000/— 5,000/—	The factory has started. * Recently sanctioned not yet disbursed.
29,	Shri Bidhikarman S/o Tarachand, Bakani. (Ginning, rice hullers, ground nuts ete.)	6,000/—	Machinery has been purchased.
30.	Shri Madanlal s/o Chaturbhuj, Teh. Aklera. (Soap Factory).	1.000/—	Efforts are being made to start the factory.
31.	Shri Chand s/o Murliram, Bharat Shoe Factory, Jhalawar.	5,000/—	The factory has made good progress.

1	2	3	4
32.	Shri Abdul Shakoor s/o Ghasikhan (for trunk, Buckets Mfg.) Jhalrapatan.	2,000/—	-do-
33.	Shri Kashimala S/o Maulabux, Jhalrapatan. (Trunk & Bucket Mfg.)	2,000/—	-do-
34.	Shri Ram Pd. S/o Munnaram, Gangdhar. (saw Mill).	8,000/—	
35.	M/s. Omprakash Shanker lal, Manoharthana. (finish Ginning factory) [for purchese of raw material etc.)	5,000/—	Progress reports yet awaited.
		66,200/—	
	Grand total Rs. 1, 56,700/—		

Page No.109

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६८ का उत्तर देखिये)

आवेदनकर्ताओं की लिस्ट सन् १९५७-५८

क्र०सं०	आवेदनकर्ता का नाम	५ रु० जमा कराए या नहीं	नाम खान	खान न देने का कारण	अवधि ठेका
१	२	३	४	५	६
	श्री गुलजारीलाल	जमा नहीं कराए	अजीतपुरा मोहनपुरा	—	५७ = ५८
	,, विष्णुदत्त	,,	,,	—	,,
	,, ,,	,,	,,	—	,,
	,, गुलजारीलाल	,,	,,	—	,,
	,, सुन्दरलाल	,,	,,	—	,,
	,, ,,	,,	,,	—	,,
	,, रघुनाथसिंह	,,	मोजा देवता सरहद	—	,,
	,, किशोरीलाल	,,	कुंजोता	—	,,
	,, ग्यारसीलाल	,,	मोहनपुरा जोधपुरा	—	,,
	,, जगदीशप्रसाद	,,	कुंजोता	—	कैन्सिल किया
	,, रघुनाथसिंह	,,	मोहनपुरा कुंजोता	—	५७–५८
	,, शिवकुमार	,,	,,	—	कैन्सिल किया
	,, जगदीश प्रसाद	,,	मौजा कुंजोता	—	५७–५८
	,, कालीचरण	,,	मोहनपुरा जोधपुरा	—	,,
	,, सुन्दरलाल	जमा कराए	देवता मोहनपुरा, जोधपुरा	—	२७–५–५७ से ५ साल
	,, गुलजारीलाल	,,	अजीतपुरा	—	,,

१	२	३	४	५	६
,,	श्रीकान्त शर्मा	,,	मोहनपुरा कुंजोता—प्रार्थी लेना नहीं चाहता।		
,,	जगदीशप्रसाद लाडा	,,	,, ,,	—	,,
,,	काशीराम	,,	,, ,,	—	एम. एम. सी. आर. के तहत आवेदन पत्र मांगा है।
,,	नाथूराम	,,	मोहनपुरा	—	३०–५–५८ से ३ साल
,,	हीरालाल	,,	,,	—	,,
,,	जानकी प्रसाद	,,	,,	—	,,
,,	रामेश्वर दयाल	,,	,,	—	२७–५–५८ से ३ साल
,,	महावीर प्रसाद	,,	कुंजोता	—	,,
,,	जगदीशप्रसाद लाडा	,,	मोहनपुरा	—	१७–५–५८ से ३ साल
,,	उमराव सिंह	,,	,,	—	२२–५–५८ से ३ साल
,,	कालीचरण शर्मा	,,	,, खारिज की गई		
,,	मूलचन्द शर्मा	,,	,, एम. एम. सी. आर. के अध्याय ८ के तहत आवेदन पत्र मांगा है।		
,,	शिवकुमार शर्मा	,,	,, खारिज की गई		
,,	धर्मेन्द्र कुमार	,,	जोधपुरा, मोहनपुरा, कुंजोता		प्रार्थी लेना नहीं चाहता।
,,	माधोलाल	,,	मोहनपुरा, कुंजोता,		कार्यवाही चालू है।
,,	इम स्टोन ए०	,,	पलाने वाली पहाड़ी पर		
,,	श्रीनन्दन	,,	बंदीसी		सही नक्शा मांगा है।

१	श्री गुलजारीलाल	हां जमा कराए।	अजीतपुरा, मोहनपुरा	—	१९५६–५७
२	,, विष्णुदत्त	,,	,, ,,	—	,,
३	,, ,,	,,	,, ,,	—	,,
४	,, गुलजारीलाल	,,	,, ,,	—	,,
५	,, सुन्दरलाल	,,	,, ,,	—	,,
६	,, ,,	,,	,, ,,	—	,,
७	,, मथुराप्रसाद रामस्वरूप	,,	,, कुंजोता	—	,,
८	,, रघुनाथसिंह	,,	मौजा देवता सरहद	—	,,

१	२	३	४	५	६
९	,, किशोरीलाल	,,	कुंजोता	—	,,
१०	,, ग्यारसीलाल	,,	मोहनपुरा, चोथपुरा	—	,,
११	,, जगदीश प्रसाद	,,	कुंजोता	—	,,
१२	,, रघुनाथसिंह	,,	मोहनपुरा, कुंजोता	—	,,
१३	,, शिवकुमार	,,	,,	—	,,
१४	,, जगदीशचन्द्र	,,	मौजा कुंजोता	—	,,
१५	,, कालीचरण	,,	मोहनपुरा, चोथपुरा	—	,,

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१२३४	अन्तिम से ६	श्री रामकिशोर ध्यास	श्री रामकिशोर व्यास
१२३५	,, १७	अ । वश्यक	अनावश्यक
१२३५	,, १६	श्री रामकिशोर व्मास	श्री रामकिशोर व्यास
१२३८	अन्तिम से ४	टोंक डिस्ट्रिक्ट	टौंक डिस्ट्रिक्ट
१२४२	१२	श्री प० के० चौधरी	श्री पी०के० चौधरी
१२५२	अन्तिम से ६	व्युरो	ब्युरो
१२५५	,, से २	(श्र पूनमचन्द	(श्री पूनमचन्द
१२६८	,, से ६	राजराजा	रावराजा
१२७६	,, से ६	माइनिंग लीवज	माइनिंग लीज़
१२७७	२१	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम
१२७८	८	कुम्मलगढ़	कुम्भलगढ़
,,	१५	उनकी सीनियीरेटी	उनकी सीनियोरिटी
१२७९	१३	श्री ब्रिजेन्द्रपाल	श्री बृजेन्द्रपाल
१२८३	१२	ह नेवाली	होने वाली
१२८५	६	हपारी तरफ से	हमारी तरफ से
१२८५	१३	जहां केकैयी के	जहां कैकेयी के
१२९२	अन्तिम से ४	The Hon Membar	The Hon. Member
१३०१	२०	वड़ाकर	बढ़ाकर
१३१२	शीर्ष	परिवार नियजन	परिवार नियोजन
१३१३	१	प्रतिस्थापति	प्रतिस्थापित
१३१३	म से ५	यह उन्हों	यह उन्होंने

१	२	३	४
१३१५	२५	मालथस का कहना	मालथस का कहना
१३१६	५	अगर तीनों	अगर तीन
१३१७	२	बढ़ने से रोकने का स्टर्लाइजेशन	बढ़ने से रोकने का स्टर्लाइजेशन
१३२६	अन्तिम से ६	यह सवल	यह सवाल
१३२८	अन्तिम से ७	लोग इसको इसको	लोग इसको,
१३३०	५	मूण	भ्रूण
१३३२	२	वहीं बांध	कहीं बांध
१३३३	शीर्ष	१२३३	१३३३
,,	१५	दीवर है उस दीवार को	दीवार है, उस दीवार को
१३३४	६	विटामिन "सी" की वमी	विटामिन "सी" की कमी
१३३४	अन्तिम से १०	महिलयें	महिलायें
१३३६	अन्तिम से १०	, जहां गरीबी होगी	
१३३६	अन्तिम	ती हैं	कहलाती हैं
१३३८	अन्तिम से ४	फायादा	फायदा
१३३९	२	महोदय	महोदय,......
१३४८	६	यह समरया	यह समस्या
१३५४	२२	सन् १९४७ के बद	सन् १९४७ के बाद
१३५५	१२-१३	राष्ट्रीय-रण	राष्ट्रीयकरण
,,	१४	राष्द्रीयकरण	राष्ट्रीयकरण
१३६१	२६	माननीय सदस्य	माननीय सदस्यों
१३६२	शीर्ष	-३२ अक्टूबर,	-३१ अक्टूबर'
,,	१६	"Either enther	"Either enter
,,	२३	instead of heaving	instead of having
१३६६	अन्तिम से ८	मृत्युासंख्या	मृत्युसंख्या
१३६८	१४	हमने	कहने
१३६९	१४	किंग रीजन्स	किन रीज़न्स
१३७०	१२	दुर्भाग्ववश	दुर्भाग्यवश
१३७१	अन्तिम से ६	जैसी शहर	जैसे शहर

१	२	३	४
१३७२	,, से २३	पुराने बूटों	पुराने, बुढों
,,	अन्तिम से ३	काम कर हैं	काम कर रहे हैं
१३७३	६	सम जाती है	सांस जाती है ।
१३७५	१०	भारतवर्ष से	भारतवर्ष में
,,	११	पडेगा भारतवर्प में	पड़ेगा भारतवर्ष में
१३७६	अन्तिम से १०	बच्चे से	बच्चों से
१३७९	अन्तिम से ६	कस सकते हैं	कह सकते हैं
१३८३	२	जतियों	जातियों
,,	५	मशीनरीज	मिशनरीज़
,,	अन्तिम से६	खाधान की समस्या,	खाद्यान्न की समस्या है
१३८४	,, से ३	उससे गव के	उससे गांव के
१३८६	,, से ६	के ज़ाद शादी	के बाद शादी
,,	५	में निवेदन	मैं निवेदन
१३९१	१३	जा रहा।	जा रहा है।
१३९२	शीर्षक	परीवार	परिवार
१४००	१०	नहीं आज	नहीं। आज
,,	अन्तिम से ५	यह आवश्वक है	यह आवश्यक है
१४०४	७	कौन साहरा होगा ?	कौन सहारा होगा ?
१४०५	१६	मेंने आपको बताया।	मैंने आपको बताया।
१४०९	अन्तिम से ९	भारतयासियों की	भारतवासियों की।
१४१०	५	सकती मैं	सकती। मैं
१४१०	अन्तिम से ५	जैसलमेर में जावर	जैसलमेर में जाकर
१४१६	,, से ६	बाटा	बांटा
१४१७	१८	कर्ज	कर्जे
१४२०	५	वर्थ	बर्थ
१४२३	६	ऐ ी कि दूसरे संक्ल्प	ऐसी कि दूसरे संकल्प
,,	७	ओर	और

१	२	३	४
१४२३	१५	यह कह गया	यह कहा गया
,,	अन्तिम से ११	व ां	वहां
१४२४	१६	नालथस	मालथ्स्
१४२५	अन्तिम से १०	वन रहे हैं।	बन रहे हैं।
१४२६	२	र्प्सनेलिटी	पर्सनेलिटी
,,	१३	रामाजिक चेत्र	सामाजिक चेत्र
,,	१४	आपेचात्मक	आचेपात्मक
,,	अन्तिम से २	अससियत	असलियत
१४२८	,, से १६	फर्टिलि ी	फर्टिलिटी
१४२६	,, से ३	समापति	सभापति
१४४१	आइटम ४ पंक्ति ४	Recontly	Recently
१४४२	आइटम २ पंक्ति ८	for purchese	for purchase
